खण्ड-197, अंक-9
सोमवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(8 सितम्बर, 1958 ई0)

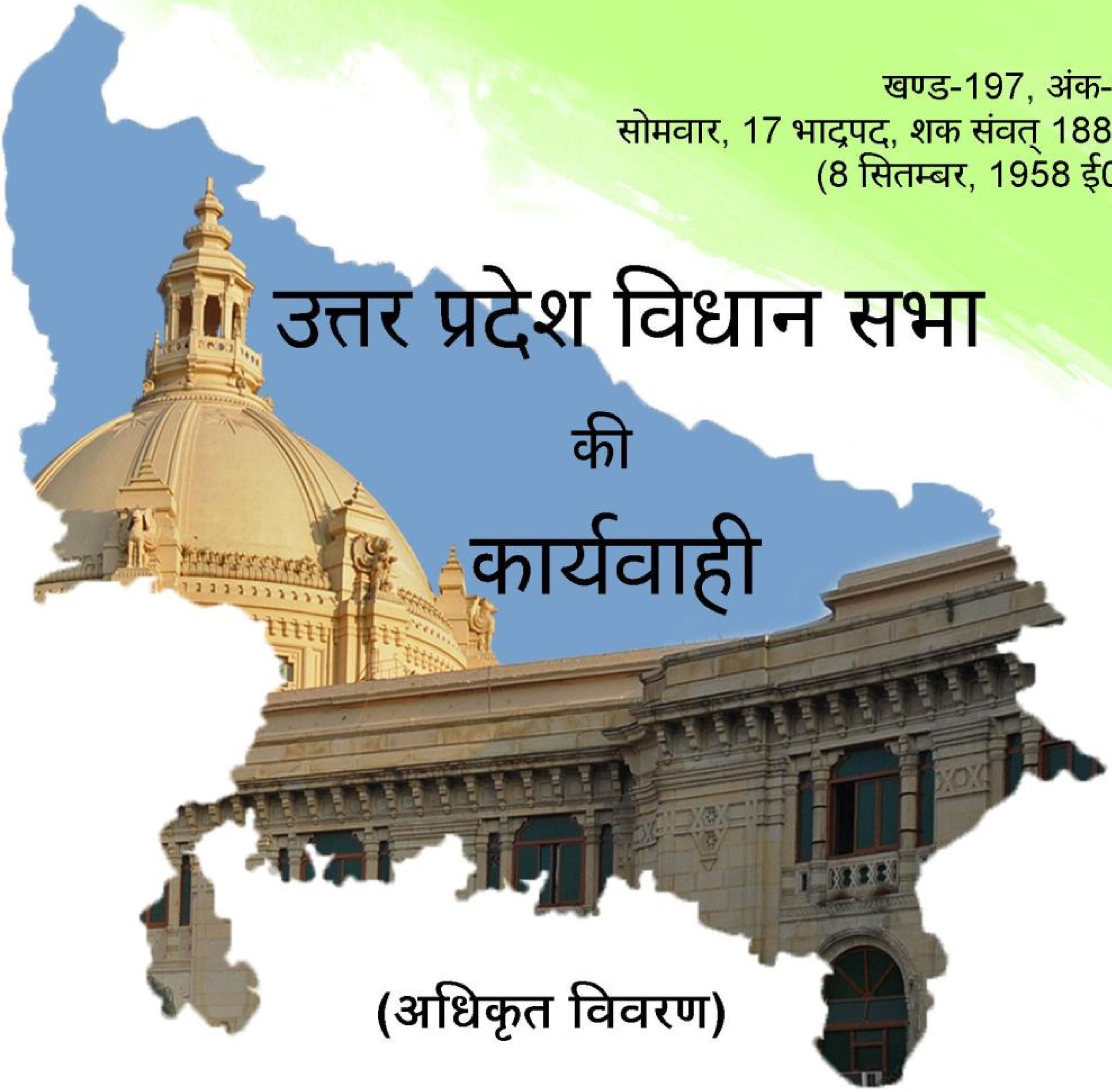

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 197 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३०९

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खुशीराम, श्री
खड़गसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गफूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री

मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्र सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्म नारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ८ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फतेहगढ़ अनाज मण्डी में लूट

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ अनाज क. मंडी में गत २७ अगस्त को प्रति रुपया दो सेर गेहूं दूकानदारों द्वारा न बेचने के कारण सैकड़ों की भीड़ ने गल्ला लूटना शुरू कर दिया ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जिले से जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह विदित होता है कि गत २७ अगस्त, १९५८ को श्री माधो प्रजापति, सोशलिस्ट, फतेहगढ़ चार अन्य व्यक्तियों के साथ अनाज की मंडी म गय उनके साथ लगभग ८०—१०० आदमियों की

भीड़ भी थी। यहां पर उन्होंने खुले बाजार में अनाज के दूकानदारों से दो सेर प्रति रुपया गहूं बेंचने को कहा। जब दूकानदारों ने यह स्वीकार न किया तो श्री माधो प्रजापति तथा अन्य व्यक्तियों ने भीड़ से दूकानें लूटने को कहा। तब लूट हुई।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर भी फतेहगढ़ में २७ अगस्त को गेहूं नहीं था?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। गत २७ अगस्त को फतेहगढ़ में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं का स्टाक मौजूद था और उस दिन का पूरा निर्धारित कोटा बेचा गया।

पंजाब और उत्तर प्रदेश को संम्मिलित अन्न क्षेत्र बनाने का केन्द्र को सुझाव

**३—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य की विषम खाद्य समस्या को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्र को यह सुझाव दिया है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश को मिला कर एक फूड जोन बनाया जाय और क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से भी किसी प्रकार की बातचीत करने का निश्चय किया है?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, इस प्रकार का सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया गया है परन्तु उन्होंने इस पर अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत किये बिना सहमत होने पर असमर्थता प्रकट की है। इस विषय पर राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से किसी प्रकार की बातचीत करने का अभी निश्चय नहीं किया है।

पूर्वीय जिलों की खाद्य स्थिति सुधारने के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुझाव

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के पास प्रदेशीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से पूर्वीय जिलों की खाद्य समस्या सरकार द्वारा हल करने हेतु अगस्त के चतुर्थ सप्ताह में कोई सुझाव आया है? यदि हां, तो वह क्या है, तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। निम्नलिखित सुझाव हैं—

(१) १४ पूर्वीय जिलों को आर्थिक तथा खाद्य दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के प्रश्न पर जांच के लिये एक समिति की नियुक्ति की जाय।
(२) लगान में छूट दी जाय।
(३) सस्ते गल्ले की दूकानें काफी संख्या में खोली जायं।
(४) लोगों को काम दिलाने के लिये रिलीफ वर्क्स का प्रबन्ध किया जाय।
(५) उस क्षेत्र के छात्रों की फीस माफ की जाय।

जहां तक सुझाव (१) का सम्बन्ध है राज्य सरकार पूर्वी जिलों की आर्थिक तथा खाद्य स्थिति से भरपूर परिचित है इस कारण जांच समिति की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। अन्य सुझावों के सम्बन्ध में जो संभव हो सका है किया गया है और किया जा रहा है।

इलाहाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

**५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में किन-किन तहसीलों में सरकारी गल्ले की दुकानें खुलवाई गईं और कितनी-कितनी संख्या में?

श्री सैयद अली जहीर—इलाहाबाद जिले में विभिन्न तहसीलों में खुली हुई सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या निम्नलिखित है :

तहसील का नाम	दूकानों की संख्या
मेजा	५७
करछना	३७
योग ..	९४

उपरोक्त दूकानों के अतिरिक्त इलाहाबाद शहर में ६० दूकानें खुली हैं।

बदायूं जिले के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते अनाज की दूकानें खोलने के आदेश

**६—श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़-पीड़ित बदायूं जिले में वह उझानी-दातागंज क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां। बदायूं जिले की दातागंज तहसील तथा अन्य बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री शिवराजसिंह यादव—जिला बदायूं की तहसील दातागंज में तथा अन्य क्षेत्रों में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की आज्ञा दी गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तहसील दातागंज में दो, तहसील बदायूं में एक, तहसील गुन्नौर में एक, सैसवां में एक, इस प्रकार बदायूं में पांच हैं और चार दूकानें और खोलने की आज्ञा दी गई है जिनके लिये जिलाधीश को लिखा गया है कि जिस जगह वे मुनासिब समझें उन्हें खोलें।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या आदरणीय मंत्री महोदय वह फार्मूला बताने की कृपा करेंगे कि जिसके आधार पर इन दूकानों की संख्या निर्धारित की जाती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—गेहूं का मिलना और उसकी आवश्यकता जितनी हो।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खोली हुई दूकानों में कोई देहात में भी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ज्यादातर आज्ञा यह प्रदान की गई है कि जहां तक मुमकिन हो सके उन्हें कस्बों या शहरों में खोलना चाहिये जिससे उनकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो सके। यह भी है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के नजदीक हों तो अच्छा है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—बाढ़-पीड़ित क्षेत्र जो परगना खेड़ा बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर म है, क्या सरकार वहां भी कोई दूकान खोलने की कृपा कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और न मेरे पास इस समय यह सूचना है।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या यह सही है कि जिला बदायूं प्रदेश के उन चार जिलों में से हैं जिनमें सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और दूकानों की संख्या के लिहाज से सब से कम दूकानें खुली हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—सैलाब की बात तो सबको मालूम ही है। दूकानों की तादाद के मुताल्लिक़ जिलाधीश से मश्विरा किया जाता है और जितनी मुमकिन होती हैं उतनी दूकानें खोल दी जाती हैं। इसी उसूल पर हर जगह दूकानें खोली जाती हैं और वहां भी खोली गई हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जो दूकानें चल रही हैं उनमें गेहूं फारेन है या इंडियन है, कहां का है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन जो गेहूं केन्द्रीय सरकार से मिलता है वही इन पर बेचा जाता है, और इस समय वह आस्ट्रेलिया और कैनाडा का है।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में दूकानें खोली जा रही हैं, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि बदायूं में तहसील दातागंज में जहां दूकानें खोलने की आज्ञा दी है, वहां रामगंगा नदी के दूसरे तट पर परगना खेड़ा बझेड़ा में भी कोई दूकान खोलने की आज्ञा दी है ?

श्री सैयद अली जहीर—वह दूसरा जिला है, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

नलकूपों से सिंचाई की दर कम करने की प्रार्थना

*१—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या ट्यूबवैल्स की सिंचाई की दरों में कोई कमी करने का उसका विचार है ? यदि हां, तो कब से और कितना ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं।

*२—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह प्रदेश की विभिन्न सिंचाई की नहरी व ट्यूबवेल की दरों को समान करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—प्रश्न नं० २ में मैंने कारण भी पूछा था।

श्री राममूर्ति—कारण यह है कि दरियाओं से निकली नहरों की स्थिति सबकी एक-सी नहीं है। कुछ में पानी बराबर रहता है और कुछ में वर्ष के कुछ महीनों में ही रहता है। जहां तक ट्यूबवेल्स की बात है, उनमें वाल्यूमेटिक बेसिस पर पानी दिया जाता है। इसलिये सब रेट समान करना मुनासिब नहीं मालूम होता है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को मालूम है कि ट्यूबवेलों का रेट अधिक होने के कारण जनसाधारण उनसे सिंचाई नहीं कर सकते हैं ?

श्री राममूर्ति—पूर्वी जिलों में स्वराज्य से पहले ट्यूबवेल नहीं थे, बाद में ही बने हैं, इसलिये वहां के लोग इनके आदी नहीं थे। आहिस्ता-आहिस्ता वे इन्हें पसन्द करते जा रहे हैं। पिछले साल में जब खुश्की रही तो ट्यूबवेलों का काम बहुत सन्तोषजनक रहा। इससे पता चलता है कि धीरे-धीरे हमारे पूर्वी प्रदेश के लोग भी ट्यूबवेलों को पसन्द कर रहे हैं। आगे उनका कार्य पश्चिमी जिलों जैसा होने की आशा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री जी या उनके विभाग की ओर से अखबारों में बयान निकला है कि वह ट्यूबवेलों की भराई कम करने जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—'समाचार-पत्र' का मुझे कुछ नहीं मालूम लेकिन वक्तन-फवक्तन यह देखा जाता है कि वक्त की मांग से रेट कम होना चाहिये या नहीं ।

श्री राजनारायण—(जिला वाराणसी) क्या सरकार यह बतायेगी कि पूर्वी जिलों में पहले ३६ हजार गैलन की यूनिट मिलता था और अब ९ हजार गैलन मिलता है तो क्या इससे सिंचाई की दर वही रहेगी ?

श्री राममूर्ति—ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य को ठीक जानकारी नहीं करायी गयी। ९ हजार गैलन कभी पानी नहीं दिया गया। जो बिजली के कुएं चलते हैं उनमें १९,६०० गैलन पानी दिया जाता है और जो डीजल आयल से चलते हैं, उनमें १३,००० गैलन दिया जाता है। पूर्व में तो ३६ हजार गैलन कभी नहीं दिया गया, पश्चिम में जरूर पहले ३६ हजार गैलन दिया जाता था। जिस समय ऐसा था उस समय पूर्वी जिलों में ऐसे कुएं कम थे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पूर्व के जिलों में बिजली न मिलने के कारण ट्यूबवेल्स जितने घंटे चलने चाहिये, उतने घंटे नहीं चल रहे हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है ?

श्री राममूर्ति—यह बात हो सकती है। शुरू में हमारा प्रोग्राम बहुत विस्तृत था इसलिये बहुत से ट्यूबवेल्स में बिजली नहीं पहुंच सकी। इसके साथ साथ यह भी कोशिश की गयी कि पावर हाउसेज बनाते चलें। जैसा कि आपको विदित होगा कि वक्तन फवक्तन चीजें मिलने में दुश्वारी हो जाती है, इसलिये पावर हाउस उतनी तेजी से नहीं बन पाये जितनी तेजी से हम बनाना चाहते थे। इसलिये जिन कुओं पर बिजली नहीं पहुंच सकी वे हम डीजल आयल से चलाने लगे। हो सकता है कुछ ट्यूबवेल्स पर काम पूरा न हो पाया हो।

इलाहाबाद में मुट्ठीगंज थाने के निकट श्री विश्वनाथ प्रसाद की हत्या तथा कोतवाली थाने के अन्तर्गत चोरियां

*३—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में मुट्ठीगंज थाने के समीप तारीख २४ फरवरी, १९५८ को प्रातः काल श्री विश्वनाथ प्रसाद, रिटायर्ड आई० जी० पुलिस कर्मचारी को गोली से मार दिया गया ? यदि हां, तो यह घटना किस प्रकार की थी ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां। उक्त तिथि के प्रातः काल ४-३० बजे मुट्ठीगंज थाने से दो फर्लांग की दूरी पर रहने वाले श्री विश्वनाथ प्रसाद पर कुछ अपराधियों ने जो उनके पड़ोसी श्री स्वामी प्रसाद के घर में चोरी करके माल ले जा रहे थे भागने का मौका पाने के हेतु गोली चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

*४—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में कोतवाली थाने के क्षेत्र में कितनी चोरी व डकैती १५ फरवरी, १९५८ ई० से १५ मई, १९५८ तक हुई और-कौन कौन सी चोरियों का पता लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में इलाहाबाद में कोतवाली थाने के अन्तर्गत कुल ५१ चोरियों की सूचना मिली, डकैती की कोई घटना नहीं हुई। ऐसी चोरियों का विवरण जिनका पता चल गया है संलग्न तालिका में दिया है।

(देखये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४९ पर)

*५-६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

स्वतंत्रता-संग्राम के दो सैनिकों को उनकी कन्याओं के विवाह के लिए सहायता

*७---कुंवरश्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५ से अब तक जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के कितने रजनीतिक पीड़ितों को कन्या के विवाह के निमित्त कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---दो स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों की कन्या के विवाह के निमित्त पांच, पांच सौ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार ने ऐसी सहायता देने के लिये कोई नियम बनाये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, नियम तो हैं और जो स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक हैं, उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उनको विवाह करने के लिये रुपया दिया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि इन दो में से एक सज्जन के कन्या ही नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, मुझे यह पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य को कोई ऐसा सूचना हो तो बता दें, पता लगा लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी मेरे कहने को ही सूचना मान कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह बात मान कर कैसे जांच करायी जा सकती है। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। अगर वे नाम बतायेंगे तो जांच करायी जायगी।

श्री अध्यक्ष---(कुंवर श्रीपाल सिंह से) आप लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार को मालूम है कि इन दो में से एक स्वतंत्रता-संग्राम का सैनिक ही नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं, यह तो सही नहीं मालूम होता।

श्री विश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी में हरिजन प्रवेश के समय गिरफ्तारियां

*८---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के श्री विश्वनाथ मंदिर में सन् १९५७ और १९५८ में बलात हरिजन प्रवेश के समय कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में हरिजन प्रवेश के सम्बन्ध में सन् १९५७ ई० में ६५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। किन्तु सन् १९५८ ई० में अब तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये लोग किस अपराध में गिरफ्तार किये गये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रनटचेबिलिटी आफेंस ऐक्ट के अन्तर्गत इनके खिलाफ कार्यवाही की गयी।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुये उनमें सब सवर्ण ही हुये या कुछ हरिजन भी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--साधारणतया मालूम होता है कि सवर्ण ही होंगे, हरिजन क्यों गिरफ्तार होते ?

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि जो यह गिरफ्तारी की फीगर दी गयी है उसमें विधान सभा के सदस्य श्री राजनारायण और कौंसिल के सदस्य उस समय के श्री प्रभुनारायण सिंह भी शामिल थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, नामों की पूरी सूची तो मेरे पास नहीं है इस समय और माननीय सदस्य को स्वयं बहुत अच्छी तरह यह ज्ञात होगा ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि विधान सभा के सदस्य श्री राजनारायण और श्री प्रभुनारायण सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सेशन जज ने उसे अवैध करार दिया और कहा कि उनके विरुद्ध मैजिस्ट्रेट ने जो कार्यवाही की है वह अनुचित थी ?

श्री अध्यक्ष--उनको तो यह मालूम ही नहीं है कि आप उस गिरफ्तारी में शामिल थे कि नहीं थे ।

स्वतंत्रता-संग्राम इतिहास परामर्शदात्री समिति द्वारा मूल प्रपत्रों का प्रकाशन

*९--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार भारत-स्वातंत्र्य युद्ध का इतिहास लेख-बद्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, अभी स्वतंत्रता संग्राम इतिहास परामर्श दात्री समिति केवल मूल प्रपत्र प्रकाशित कर रही है । इस ग्रंथमाला में प्रथम दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं ।

*१०--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार ने उपर्युक्त इतिहास के लेखन के लिये किसी असरकारी संस्था अथवा लेखक को प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी नहीं, इस विषय में असरकारी संस्था अथवा लेखकों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है, पहले मूल सामग्री का प्रकाशन अनिवार्य है । लेखक उसके बाद ही कुछ लिख सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मूल प्रपत्र का जो उल्लेख किया गया है, तो किस प्रकार का संकलन और प्रकाशन होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह दूसरे उत्तर से स्पष्ट है कि जिस समय कोई मूल अभिलेख या प्रपत्र मिल सकेंगे उनका प्रकाशन किया जायगा जिससे कि ऐसी सामग्री प्राप्त हो सकेगी जो निर्विवाद हो और उसकी बिना पर फिर इतिहास लिखा जा सकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस परामर्शदात्री समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--सूची के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि १९४२ की क्रान्ति के सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने काशी विश्वविद्यालय का एक अलग इतिहास लिखवाया था, उस इतिहास को इस स्वातंत्र्य-संग्राम के इतिहास में शामिल नहीं किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, यह इतिहास के शामिल करने का प्रश्न नहीं है । अभी तो यह तय हुआ है कि जो मूल सामग्री कोई उपलब्ध हो सके उसका प्रकाशन कर दिया जाय । उसके पश्चात् इतिहास लिखने का प्रश्न उठेगा ।

माता टीला बांध पर शिल्पकला व चित्रकारी बनाने के सम्बन्ध में जानकारी

*११--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे माताटीला बांध को अधिक आकर्षक बनाने के लिये वहां कुछ शिल्पकला व चित्रकारी के कलात्मक (Artistic) काम बनवाने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

*१२--श्री लक्ष्मणराव कदम--यदि हां, तो क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना पर कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न नहीं उठता ।

*१३--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर जिले में धोबहा बन्ध, ड्रेन तथा साइफन पर व्यय

*१४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत तीन वर्षों में धोबहा बन्ध, धोबहा ड्रेन, धोबहा साइफन तथा डोमा साइफन के निर्माण में अलग-अलग कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति--गत तीन वर्षों में प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय हुए धन का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७५० पर)

*१५--श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)--[हटा दिया गया ।]

विधायक निवास के कमरों का बंटन

*१६--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में कितने कमरे ऐसे हैं जिनमें--(अ) अनांकित (unallotted) सदस्य रह रहे हैं, (ब) पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अथवा उपमंत्री रह रहे हैं, (स) अभी तक खाली हैं, (द) केवल एक ही सदस्य रह रहे हैं, (घ) दो सदस्य साथ-साथ रह रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--(अ) कोई नहीं
(ब) ७
(स) २
(द) २३३
(घ) ७९

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो सात पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपमंत्री रह रहे हैं सूचना के मुताबिक, उनको क्या निवास एलाउन्स भी साथ-साथ मिलता रहता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--एलाउन्स उनको मिलता है । किराया वे देते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार यह बतायेगी कि इन विधायकों को जो एक कमरे में एक ही रह रहे हैं उनके सम्बन्ध में कोई यह विचार हो रहा है कि उनको एक कमरे में एक ही रखा जाय अथवा यह विचार हो रहा है कि जिसमें दो रह रहे हैं उनको कुछ किराया भी दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--ये सब प्रश्न विचाराधीन हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी सुविधा दी जा सके कि माननीय सदस्यों को एक कमरा रहने के लिये अलग-अलग मिल सके ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अथवा उपमंत्री जिन कमरों में रह रहे हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनके पास एक-एक कमरा है और कितने ऐसे हैं जिनके पास दो-दो कमरे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, पूरा ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि एक-एक इनके पास सूट्स हैं, उन्हीं के लगे हुये जो कमरे होते हैं उसको वह उपयोग में लाते हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को मालूम है कि विधायक निवास जहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और डिप्टी मिनिस्टर रह रहे हैं वह जितना उनको नियम के मुताबिक किराये का एलाउन्स मिलता है वह सब वह किराये में दे देते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जो नियम के अनुसार उनको किराया देना है वह देते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी तक उनके पास ऐसे कितने केसेज हैं जिनमें दो सदस्यों ने एक कमरे के लिये आवेदन-पत्र दिया और एक को एलाट किया गया, दोनों को नहीं एलाट किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--बहुत ब्योरे का प्रश्न है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर हाथरस ब्रांच नहर के पुल में खराबी की शिकायत

*१७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाथरस ब्रान्च नहर के मील २८-६ पर पुल के एक दर बढ़ाने और उसके पूर्ण करने पर क्या खर्च हुआ है ?

श्री राममूर्ति--हाथरस ब्रांच नहर के मील २८--६ पर नहर विभाग द्वारा पुल के पुनर्निर्माण में कुल २४,६९६·२५ रुपये तथा १५,६००·२५ रु० सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुल के ढाल के ठीक कराने में व्यय हुये हैं।

*१८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या सरकार को पता है कि इस पुल निर्माण के कुछ ही दिन बाद ये पुल फट गया है और आगरा-अलीगढ़ का यही एक मार्ग है और भारी माल के ट्रकों के लिये ये बहुत ही खतरनाक है ?

श्री राममूर्ति--पुल में कोई दरारें नहीं देखी गईं। पुल के आखीर में कुछ दरारें अवश्य हुईं जो कि मिट्टी के दबने के कारण हुई। पुल के लिये कोई खतरा नहीं है।

*१९--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया इस पुल के फट जाने के कारणों की जांच के लिये एक बोर्ड आफ इंजीनियर्स कायम करेंगे ?

श्री राममूर्ति--जांच के लिये बोर्ड आफ इंजीनियर्स बिठाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उच्च इंजीनियरों ने दरारों की जांच कर ली है और उन्हें बिलकुल हानिकारक नहीं बताया है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस ठेकेदार को इस पुल के निर्माण का काम दिया गया था और देख-रेख किन इंजीनियर साहबान के द्वारा हुई थी ?

श्री राममूर्ति--ठेकेदार का नाम तो मेरे पास नहीं है, उसके लिये नोटिस चाहिये। लेकिन जब यह मसला अफसरों की नोटिस में लाया गया तो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर उसकी जांच के लिये गये और उन्होंने अपना मत बताया कि पुल के लिये कोई खतरा नहीं है ।

श्री ऊदल--जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने खुद देखा है तो इस बात को स्वीकार करते हुये उसकी फिर से सदन के सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच कराने की कृपा करेंगे मंत्री जी ?

श्री राममूर्ति--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे पास यह लिखकर नहीं भेजा कि वह स्वयं गये थे और उनका क्या ख्याल है। वह तो सवाल जिस तरह आया उसका जवाब मैंने दिया जो पैरापिट बनते हैं वह महज मिट्टी के ऊपर से बनने शुरू कर दिये जाते हैं और कुयें जो गलाये जाते हैं उनकी गहराई एक हद तक इंजीनियर बनाया करते हैं। इसलिये मैंने कहा कि पुल के लिये कोई खतरा नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस पुल की इस वक्त जैसी हालत है वह भारी ट्रकों के लिये खतरनाक तो नहीं है ?

श्री राममूर्ति--कोई खतरा नहीं है ।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पैरापिट मिट्टी के ऊपर से शुरू किये जाते हैं तो क्या नीचे की चिनाई, डाट वगैरह छोड़ दी जाती है ? मिट्टी कहां होती है पुल के ऊपर ?

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री राममूर्ति--पुल बनाये जाते हैं तो मैंने अर्ज किया कि कुयें गलाये जाते हैं और उनके ऊपर डाट लगायी जाती है और उसके बाद जो पैरापिट बनाये जाते हैं उससे अगाड़ी बढ़ाकर बनाये जाते हैं ताकि पुल में घुसने के वक्त जानवरों को और मनुष्यों को प्रोटेक्शन हो जाय। इसलिये मैंने कहा कि वह पैरापिट जमीन के ऊपर से ही बनाने शुरू कर दिये जाते हैं, नीचे खोद कर नहीं बनाये जाते।

श्री देवनारायण भारतीय--अभी मंत्री जी ने बताया कि २४,००० और १५,००० की दो रकमें क्रमशः खर्च हुईं, तो यह दोनों रकमें एक ही काम में खर्च हुयीं या दोनों की अलग-अलग सेंक्शन हुई ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बताया कि पुल निर्माण में २४,००० और १५,००० ढालों की दुरुस्ती करने में व्यय हुआ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट--क्या मंत्री जी वह रिपोर्ट बतायेंगे जो इंजीनियर्स ने जांच कर के दी ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, डिटेल्ड रिपोर्ट इस वक्त इंजीनियर की नहीं है, नोटिस चाहिये।

*२०-२१--श्री गंगा प्रसाद सिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

द्वितीय बाढ़ योजना की निर्धारित धनराशि में कटौती

*२२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि बाढ़ योजना को स्थगित किये जाने के कोई आदेश प्रदेश के पश्चिमी जिलों में गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री राममूर्ति--इस राज्य की द्वितीय बाढ़ योजना की निर्धारित धनराशि ९ करोड़ रुपये से घटा कर ८ करोड़ रुपये कर दी जाने के कारणवश सारे प्रान्त में यह आज्ञा दे दी गई है कि कोई भी नई योजना पर काम उस समय तक न किया जाये जब तक कि उसके लिये धन निर्धारित न कर दिया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि बाढ़ स्कीम के लिये जो ९ करोड़ रुपया सैंकशन था उसमें से केन्द्रीय सरकार का कितना था ?

श्री राममूर्ति--यह सारी धनराशि केन्द्रीय सरकार से ही आई ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह आदेश किस तारीख को दिये गये ?

श्री राममूर्ति--मुझे तारीख तो ठीक याद नहीं लेकिन जिस वक्त केन्द्रीय सरकार का यह आदेश आया कि रुपया घटा कर आठ करोड़ कर दिया गया है उसके बाद ही यह आदेश जारी किये गये थे ।

सुरेमनपुर, जिला बलिया में घाघरा के कटाव को रोकने के लिए ठोकरों के निर्माण पर व्यय

*२३--श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया) (अनुपस्थित)----क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले के सुरेमनपुर स्टेशन के पास के घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिये बने कितने ठोकर अभी भी कटान से खतरे में हैं और कितने ठोकरों पर मिट्टी और बालू इकट्ठा हो गया है ?

श्री राममूर्ति--बलिया जिले के सुरेमनपुर में घाघरा के कटान से बचाव के लिये १२ ठोकर बनाये गये थे । इनमें से कोई भी ठोकर कटान के खतरे में नहीं है । नदी की धारा इन ठोकरों से टकरा कर हट गई है और अब थोड़ी-थोड़ी धारा ठोकर नं० ४ और ५ पर है । सारे ठोकरों पर बालू पड़ना शुरू हो गया है ।

*२४--श्री रामनाथ पाठक (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त ठोकरों के प्रभाव से नदी की धारा कुछ बदली है । यदि हां, तो कितनी ?

श्री राममूर्ति--इन ठोकरों के बनने से घाघरा की धारा बदल गई है और बायें किनारे यानी उत्तर की ओर कटान कर रही है । इन दिनों बाढ़ के समय में यह बताना कि अभी तक धारा कितनी बदल गई है, संभव नहीं है ।

*२५--श्री रामनाथ पाठक (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ठोकरों के बनाने का क्या तखमीना था और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री राममूर्ति--इन ठोकरों के बनाने का तखमीना २१.६ लाख रुपया था और अब तक यानी २२ अगस्त, १९५८ तक लगभग साढ़े आठ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

हरदोई तहसील सदर के कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*२६--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई, १९५८ में हरदोई तहसील सदर के कितने कलेक्शन नायब तहसीलदारों के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायतों की जांच डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस (कम्प्लेंट्स) हरदोई ने की ?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त माह में कम्पलेन्ट आफिसर जिला हरदोई ने, तहसील सदर, हरदोई के केवल एक कलेक्शन नायब तहसीलदार के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत की जांच की ।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि क्या जांच में उक्त शिकायत सही पाई गई ? यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कुछ सच्चाई पाई गई और विभागीय कार्यवाही करने के लिये संस्तुति की गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस नायब तहसीलदार के खिलाफ क्या शिकायत थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—रिश्वत लेने की ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस वक्त वह नायब तहसीलदार मुअत्तल हैं, बर्खास्त हो चुके हैं या उन पर मुकदमा चल रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि मुकदमे की गुंजायश नहीं है लेकिन उस शिकायत में इतनी सच्चाई जरूर पाई गई कि उन पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है, उसके लिये लिखा गया है और वह हो रही है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि किस उच्च अधिकारी के द्वारा यह जांच कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—डी० एस० पी० कम्पलेन्ट्स द्वारा ।

*२७—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

तहसील मिसिरिख, जिला सीतापुर में धारा १०७, ११७, १५१ तथा १०९ के अन्तर्गत मुकदमें

*२८—डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील मिसिरिख, जिला सीतापुर में मार्च, १९५७ से जुलाई, १९५८ तक कितने मुकदमे सी० आर० पी० सी० की धारा १०७,११७,१५१ तथा १०९ के अन्तर्गत चालान हुए और इनमें से कितने मुकदमों का फैसला हो गया है और कितने बाकी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस अवधि में धारा १०९ के ६४ व धारा १०७/११७/१५१ के २१२ मुकदमें चालान हुए । १०९ के ६३ मुकदमों का फैसला हो चुका तथा एक बाकी है । १०७/११७/१५१ के २०९ मुकदमों का फैसला हो गया तथा तीन बाकी हैं ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस अवधि में दो बार यह १०७ का केस कितने व्यक्तियों पर चला है ?

श्री कैलाशप्रकाश—बहुत ब्योरे का प्रश्न है, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २१२ केसेज में कितने अपराधी सम्मिलित थे ? उनकी संख्या कितनी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो १०९ के ६४ मुकदमे चलाये गये और ६३ में फैसले हुए, उनमें कितनों में सजा हो गयी और कितने छूट गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—५१ में सजा हुई और ११ छूट गये ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस १०७ में दोनों पार्टीज के ऊपर दो तरफा, कितने मुकदमें चलाये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह भी बहुत ब्योरे का प्रश्न है । पूरी सूची मेरे पास है ।

*२९–३०—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२७ अगस्त, १९५८ को प्रश्न संख्या ८१–८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव का स्कूल कम करने के लिए आदेश

*३१—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव ने कोई ऐसा आदेश निकाला है जिसके अनुसार एक बड़ी संख्या में स्कूल तोड़ दिये या दूसरे स्कूलों में मिला दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इस वर्ष के परिषद् के बजट में लगभग तीन लाख रुपये का घाटा होने के कारण कुछ एक दूसरे के पास वाले स्कूल या जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम थी आपस में मिला दिये गये हैं ।

*३२—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदेश का कितने स्कूलों पर प्रभाव पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—५२ पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा १९ प्रारम्भिक स्कूल ।

*३३—श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् ने उक्त आदेश निकालने से पूर्व अन्तरिम जिला परिषद से स्वीकृति प्राप्त की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, जिला परिषद् का १९५८–५९ का बजट अन्तरिम जिला परिषद् के स्थापित होने के पूर्व बनाया जा चुका था और स्कूलों के सम्मिलित करने के आदेश बजट के अनुसार प्रसारित किये गये थे अतएव परिषद् की पूर्व स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी ।

बस्ती जिले में बूढ़ी राप्ती की बाढ़ रोकने के लिए परसोहन बांध योजना

*३४—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बाढ़ विभाग बस्ती की ओर से बूढ़ी राप्ती की बाढ़ रोकने के लिये एक योजना बांध परसोहन, तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में बनाई गई थी ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*३५—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त परसोहन बांध अंग्रेजी शासन-काल में बनवाया गया था और वह अब जीर्ण हो गया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, परसोहन नाम का एक बांध ब्रिटिश शासन-काल में सन् १९२६ ई० में टेस्ट वर्क द्वारा बनाया गया था जो अब पूर्णतया जीर्ण हो चुका है ।

गाजीपुर जिले में गांवों को ऊंचा करने का कार्य

*३६—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने ऐसे गांव हैं जो बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले में अब तक २०० बाढ़-ग्रस्त ग्रामों को ऊंचा करने का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

पुलिस द्वारा पता न लगाई जा सकी मैनपुरी जिले की डकैतियां

*३७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सिर्फ सन् १९५७ ई० में फी थाने में ऐसी डकैती कितनी पड़ी है जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सन् १९५७ ई० में जिला मैनपुरी के प्रत्येक थाने में पड़ी ऐसी डकैतियों की संख्या जिनका पता पुलिस नहीं लगा सकी निम्नांकित हैं :

क्रम संख्या	नाम थाना	डकैती
१	कोतवाली	१
२	शिकोहाबाद	१
३	सिरसागंज	१
४	जसराना	१
५	करहल	१

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सिर्फ १९५७ में जो पांच डकैतियां पड़ीं, जिनका पता अब तक नहीं लगाया जा सका, उसके कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जिले में उस वर्ष २७ डकैतियां पड़ीं। सब में छान-बीन की गयी। २२ का पता लग गया, पांच का पता नहीं लगा और पता न लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं कि जहां डकैती पड़े कोई उसमें नाम न ले सके, नाम लें तो गलत लें। इस तरीके से बहुत से कारण होते हैं जिससे छानबीन करने के पश्चात् भी मुकदमा चलाया नहीं जा सकता।

*३८—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—[स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में दयोरा बुजुर्ग गांव की डकैती में कत्ल

*३९—श्री द्वारिकाप्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त सन् १९५७ में गांव दयोरा बुजुर्ग, नगला बख्शी, थाना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद में जो डकैती हुई थी उसमें कितने व्यक्ति घायल हुये और कितने मारे गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—उक्त गांव की डकैती में जो बद्री पुत्र मुन्ना जाटव निवासी बख्शी पुरवा के यहां पड़ी थी कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ केवल एक व्यक्ति मारा गया।

*४०—श्री द्वारिकाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कत्ल और डकैती के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस संबंध में कुल पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे, परन्तु इनकी शिनाख्त न होने के फलस्वरूप इन्हें मुक्त कर दिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो व्यक्ति मारा गया किन हथियारों द्वारा उसकी मौत हुई और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके पास कोई हथियार बरामद हुए थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, डाकुओं ने लाठी और पिस्तौल का प्रयोग किया था।

जूनियर हाई स्कूल, चठिया, जिला बरेली में प्रसार अध्यापक का रिक्त स्थान

*४१--श्री बाबूराम (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जूनियर हाई स्कूल, चठिया, जिला बरेली में नवम्बर, सन् १९५७ से प्रसार अध्यापक नहीं है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जूनियर हाई स्कूल चठिया, जिला बरेली में नवम्बर, १९५७ से प्रसार अध्यापक का स्थान रिक्त था जिसका मूल कारण वहां के प्रसार अध्यापक श्री महेश शरन कपूर का अपने पद से त्याग-पत्र देना था। परन्तु यह स्थान इस समय रिक्त नहीं है, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा एक अन्य प्रसार अध्यापक की नियुक्ति उस स्थान पर १२ अगस्त, १९५८ को हो चुकी है।

श्री बाबूराम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतने समय तक कोई अध्यापक मिल नहीं सका या सरकार ने उस स्थान को भरना मुनासिब नहीं समझा ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस वक्त तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। मैं इसकी पूछ-ताछ कर रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रसार अध्यापक की जगह कब तक रिक्त रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--जब तक दूसरी नियुक्ति हुई जिसकी तिथि मैंने उत्तर में दी है, १२ अगस्त, १९५८।

झांसी जिले में बनगुवां की डकैती में श्री जुगलकिशोर की हत्या

*४२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ग्राम बनगुवां, थाना तालबेहट, जिला झांसी में ११-१२ जुलाई की रात को श्री ओंकार वैश्य के यहां डकैत आये और उसके लड़के श्री जुगलकिशोर को गोली से मार डाला ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बनगुवां गांव थाने से पांच मील दूर पक्की सड़क पर है फिर भी डकैती की सूचना दो घंटे में आने के बाद छः घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंच सकी ?

श्री कैलाशप्रकाश--पूरा ब्योरा कि किस समय यह डकैती पड़ी और कितनी देर बाद उसकी सूचना मिली मेरे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या माननीय मंत्री जी को यह भी पता है कि रिपोर्ट पुलिस के गांव में पहुंच जाने के बाद १० बजे दिन को लिखायी गयी और रजिस्टर में पौने ४ बजे प्रातः दिखायी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुझको ऐसा पता नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है और वे समझते हैं कि ठीक काम नहीं हुआ तो वे कृपाकर लिख कर दें, उसकी पूछ-ताछ की जायगी।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुगलकिशोर के कत्ल के संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश--अभी इसकी जांच हो रही है।

श्री सुदाम प्रसाद गोस्वामी--क्या यह सही है कि श्री जुगलकिशोर जिसकी हत्या की गयी है वह अपने पिता का इकलौता पुत्र था ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह कोई महत्व की बात नहीं है, आप खुद जानते होंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११–१२ जुलाई से अब तक जो जांच नहीं हो सकी है उसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जांच करने में कोई अवधि तो निश्चित नहीं हो सकती। यह तो मुकदमे के ऊपर और जिस परिस्थिति में डकैती पड़ती है उसके ऊपर मुनहसिर रहता है। प्रयत्न यह किया जाता है कि जल्द से जल्द जांच हो।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को पुलिस की इस लापरवाही के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं नहीं जानता। अगर माननीय सदस्य ने कोई रिपोर्ट भिजवायी होगी तो अवश्य मिली होगी। इस वक्त तो मेरे पास पूरी सूचना नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुगलकिशोर को गोली मारने की जो घटना हुई है यह गोली बन्दूक से चलायी गयी या रिवाल्वर से या किसी देशी असलाह से ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, किस्सा यह है कि लोग आये। जुगलकिशोर और उनकी पत्नी घर में सो रहे थे, दरवाजा अन्दर से बन्द था, उसको पीटा गया और उनको आवाज दी गयी। उनकी धर्मपत्नी ने उनको जगाया तो जुगलकिशोर ने पूछा कौन है ? बाहर वालों ने उनके किसी मित्र का नाम ले दिया। उन्होंने दरवाजा जैसे ही खोला और अपने मित्रों को न देख कर बन्द करने की चेष्टा की कि इतने में ही ये लोग घर में घुस गये और बन्दूक से गोली मारी।

*४३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १५ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रबंधक, आर्यनकल्चर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, जिला अलीगढ़ का अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र

*४४—**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्यनकल्चर (Aryan Culture) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ को कितने वर्षों से मान्यता प्राप्त है ? क्या उसे कोई सरकारी सहायता मिलती है ?

श्री कैलाशप्रकाश—१९४८ की हाई स्कूल परीक्षा से मान्यता प्राप्त है। विद्यालय विभाग की अनुदान सूची पर नहीं है। केवल वर्ष १९५४–५५ में इस संस्था को जमींदारी उन्मूलन के संबंध में २,५३१ रुपया अनुदान दिया गया था।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय के प्रबन्धक ने अनुदान के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया था तो वह किन कारणों से अभी तक सूची पर नहीं लाया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, इस विद्यालय ने अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन कठिनाई एक ही है कि प्रति वर्ष बजट में एक निर्धारित संख्या है जिन विद्यालयों को सूची पर लाया जाता है और विद्यालय बहुत अधिक संख्या में रहते हैं इसलिये यद्यपि विद्यालय मान्यता प्राप्त भी हों, प्रार्थना-पत्र भी दिया हो और उनके खिलाफ भी वैसी कोई बात भी न हो तब भी विद्यालय ऐसे रह जाते हैं जिनको अनुदान नहीं दिया जा सकता है। इस विद्यालय ने भी प्रार्थना-पत्र दिया था और इस विद्यालय के बारे में एक सूचना यह भी प्राप्त हुई कि उसमें विद्यार्थियों की संख्या कम थी, इसलिये यह सूची पर नहीं लाया जा सका।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष भी इस विद्यालय का अनुदान के लिये कोई प्रार्थना-पत्र आया है और क्या वह अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, सरकार की सदा ऐसी इच्छा रहती है कि विद्यालयों को सहायता दे, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने विद्यालयों को मान्यता प्राप्त है उन सबको अनुदान नहीं दिया जा सकता है। जब सबके प्रार्थना पत्र आ जायंगे, उन पर विचार होगा और तब निर्णय किया जायगा।

गोरखपुर जिले के निचलौल थाने के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*४५—**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गृह मंत्री को गोरखपुर जिले के निचलौल थाने के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध गत जनवरी से जून तक दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, एक में निचलौल तथा महराजगंज थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध ४ बेगुनाह व्यक्तियों को एक डकैती केस में फंसाने की शिकायत की गई है तथा दूसरे में निचलौल थाने की पुलिस के प्रति जनता में बढ़ते हुए असंतोष के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।

*४६—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)—[हटा दिया गया।]

गोरखपुर जिले में नदुआ वासियों को अन्यत्र बसाने की योजना

*४७—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सदर तहसील में ग्राम नदुआ के किसानों को लालपुर ताल में, जो इस समय पट गया है, बसाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति—अभी कोई योजना नहीं है, परन्तु नदुआ ग्राम के १८८ परिवारों को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था बाढ़ के बाद की जावेगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उपरोक्त गांव के १८८ परिवारों को राप्ती नदी के कटाव तथा बाढ़ से लगातार कई सालों से सामना करना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—कई सालों से सामना करना पड़ रहा था इसी वजह से वहां एक रिंग डाला गया और उसके पीछे एक रिटायर बांध बांधा गया, लेकिन कुछ ऐसी खबर आई है कि पानी पड़ोस में भर जाने की वजह से नदुआ गांव के लोगों ने उस बांध को काट दिया और न उन्होंने केवल अपनी मुसीबत बुलाई, बल्कि ६०-७० गांवों में मुसीबत आ गई और उससे लगभग ४०,००० एकड़ खेती खराब हुई और पड़ोसी गांवों में मुसीबत पैदा कर दी। अब इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि बाढ़ घट जाने के बाद उनके बसाने के बारे में कोई योजना बनाई जा सकती है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस नदुआ गांव के लोगों ने बांध को काटा है उसकी इंक्वायरी करवा कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ?

श्री राममूर्ति—उसके बारे में कुछ जांच हो भी रही है, लेकिन अभी चूंकि कोई पूरी चीज सामने नहीं है मैं ब्योरेवार चीज नहीं बता सकता।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नदुआ ग्राम की सुरक्षा के लिये जो रिंग बंद बना था उसमें पानी आने का क्या कारण है इसकी कुछ इन्क्वायरी हुई ?

श्री राममूर्ति—अब इसकी मेरे पास इत्तला तो नहीं है लेकिन यह मुझे मालूम है कि जो वहां तकलीफ थी उसको दूर करने के लिये विभाग के कर्मचारियों ने बहुत कोशिश की और कामयाबी भी बहुत मिली। कई रोज तक बराबर वह मुसीबत से मुकाबला करते रहे लेकिन जिस रात में यह काटा गया ९–१० बजे के करीब जब वे थक कर आराम करने के लिये चले गये उसी बीच में वहां के लोगों ने यह हरकत कर दी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस रिंग बन्द और मलौनी बांध के सिलसिले में एक महीने पहले कोई तार प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना ने भेजा था इसको दुरुस्त करने के लिये ?

श्री राममूर्ति—इसकी मेरे पास कोई इस वक्त इत्तला नहीं है।

श्री खजानसिंह चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सही है कि बांध खुद कटा, किसी ने काटा नहीं ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को इसकी इत्तला होगी। मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच कर रखी है कि गत वर्ष जब मलौनी बांध वहां कटा था उसके बाद से इस जाड़े के महीनों में या बाढ़ जब नहीं आयी थी उससे पहले नदुआ ग्राम को बचाने के लिये कोई व्यवस्था सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई ?

श्री राममूर्ति—इतने ब्योरे के साथ मेरे पास कोई इत्तला नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले में बेहटा गांव की पुलिस चौकी तोड़ना

*४८—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छिबरामऊ थाना, जिला फर्रुखाबाद के बेहटा गांव की पुलिस चौकी क्यों तोड़ दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—फर्रुखाबाद जिले के थाना छिबरामऊ के अन्तर्गत बेहटा गांव में एक पुलिस चौकी अस्थाई रूप में रक्खी गई थी। अब उसकी आवश्यकता न रहने के कारण तोड़ दी गई। वहां से ४ मील दूर तालग्राम गांव में जो पुलिस चौकी है इस गांव की देख रेख करती है।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस समय बेहटा गांव में पुलिस चौकी कायम की गई थी उस समय तालग्राम पुलिस चौकी पहले से थी तो सरकार बताने की कृपा करेगी कि फिर कौन सी आवश्यकतायें होने के करण बेहटा पुलिस चौकी कायम की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—स्थिति यह है कि बेहटा ग्राम के निकट में कुछ अपराधों की संख्या बढ़ गई थी तो वहां के जिला अधीक्षक ने यह उचित समझा कि अपनी स्वीकृति से पुलिस संख्या में से उस ग्राम में वे कुछ स्थित कर दें। वहां स्थित करने से प्रभाव अच्छा पड़ा। अपराधों की संख्या कुछ घट गई। और जो गिरोह वहां काम करता था उसने अपने क्षेत्र को भी बदल दिया। इसलिये यह उचित मालूम पड़ा कि ४ मील दूरी पर जहां कि इस गिरोह ने अपना क्षेत्र कायम कर लिया था वहीं और पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर अच्छे तरीके से देख रेख की जाय और अपराधों को कम किया जाय।

*४९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद जिले में मुहम्मदाबाद थाने के अन्तर्गत कत्ल

*५०—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में १९५८ के जून और जुलाई मास में कितने कत्ल हुये और कितनों में मुकदमें चलाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में जिला फर्रुखाबाद के थाना मुहम्मदाबाद के अन्तर्गत केवल एक कत्ल हुआ जिसमें मुकदमा चलाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

राजनीतिक पेन्शन पर प्रतिमास व्यय

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय कितने लोगों को कुल कितनी धनराशि राजनीतिक पीड़ित की पेन्शन के रूप में दी जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३,६०२ व्यक्तियों को कुल ९२,३८० रुपये प्रतिमास राजनीतिक पेंशन के रूप में दिया जाता है ।

बलिया जिले में गंगा के किनारे ऊंचे किये गये गांव

*५२—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई राज्य-मंत्री कृपया बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे पूरी तौर से ऊंचे किये गये गांवों की एक सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री राममूर्ति—बलिया जिले में गंगा नदी के किनारे पूरी तौर से ऊंचे किये गये गांवों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७५१ पर)

गवर्नमेंट माडल स्कूलों के अस्थायी जे० टी० सी० अध्यापक

*५३—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट माडल स्कूलों में कितने जे० टी० सी० अध्यापक दो साल से अधिक से कार्य कर रहे हैं और अब तक अस्थायी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—४६ ।

*५४-५५—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—[स्थगित किये गये ।]

इंचार्ज, थाना कोतवाली, एटा के संबंध में श्री गंगाप्रसाद, एम० एल० ए० का शिकायती-पत्र

*५६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या गृह मंत्री के पास जून, १९५८ में थाना इंचार्ज कोतवाली, एटा के संबंध में श्री गंगाप्रसाद, एम० एल० ए० का कोई शिकायती-पत्र आया ? यदि हां, तो सरकार ने उसके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां । इसकी जांच की गई और आरोप सही नहीं पाये गये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि शिकायतें क्या थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय गंगाप्रसाद जी ने शिकायतें लिखी थीं जिनमें एक शिकायत तो यह थी कि वहां के थानेदार एक बदमाश जयदेव के साथ सांठ-गांठ रखते हैं । उन पर कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते ।

दूसरी यह थी कि वहां के कोतवाल साहब की जो शिकायतें होती हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है और तीसरी यह थी कि वे पक्षपात से काम करते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—मेरे पास वहां के जिला अधीक्षक की रिपोर्ट है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि जांच करते समय माननीय गंगाप्रसाद जी से पूछा गया और उनको अपनी शिकायतों के पुश्त पर साक्ष्य देने का अवसर दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, जब यह डी० एस० पी० कम्पलेन्ट्स इस बात की जांच कर रहे थे तो उन्होंने माननीय गंगाप्रसाद जी से पूछताछ की थी ।

शाहजहांपुर जिले के नलकूप

*५७—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार शाहजहांपुर के नलकूपों के बारे में निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :—

(क) कुल नलकूपों की संख्या जो १-४-५८ तक सरकार ने बनाये ?

(ख) उनमें से कितने चालू हैं और कितने नहीं ?

(ग) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रतिवर्ष १९५० से १९५८ तक कितने कितने नलकूप बने ?

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने और बनने शेष हैं ?

श्री राममूर्ति—कुल ८९ नलकूप बनाये गये । ७४ नलकूप चालू हैं और १५ नलकूप अभी नहीं चल रहे हैं ।

१९५०-५१ में	—नलकूप बने	
१९५१-५२ में	—	,,
१९५२-५३ में	५२	,,
१९५३-५४ में	३	,,
१९५४-५५ में	—	,,
१९५५-५६ में	११	,,
१९५६-५७ में	१४	,,
१९५७-५८ में	९	,,

१३ नलकूप और बनने शेष हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो १५ नलकूप बन जाने के बाद भी चालू नहीं हैं उनके चालू न होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—अक्सर बिजली न मिलने की वजह से नलकूप चालू नहीं हो पाते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—जो १३ नलकूप अभी तक बनने को शेष हैं, क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ये कहां-कहां बनेंगे और कब तक बन जायंगे ?

श्री राममूर्ति—जो बनने को बाकी हैं उनके बनने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि रुपये की कमी हो गई है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो नलकूप बनकर तैयार हैं और पानी नहीं दे रहे हैं तो क्या उनके लिये बिजली का अभाव है या वे नलकूप ठीक से बने नहीं हैं और पानी नहीं दे रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—बने हुये ठीक हैं ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां हाइडल के पास इतनी अधिक बिजली है कि वह बहुत सी इलेक्ट्रिक कम्पनियों को अपनी ओर से बिजली दे रही है तो क्या सरकार इन १५ नलकूपों को चालू करने के लिये हाइडल से जल्दी बिजली लेने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह सही है कि उस इलाके में हाइडल के पास बिजली काफी है, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिये जिस सामान की जरूरत है उस सामान में कमी पड़ गई है । वह सामान मुहय्या किया जा रहा है और जैसे ही सामान मिल जायगा बिजली पहुंचाने की कोशिश की जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार अगली रबी की फसल की आबपाशी के लिये वहां की जनता को यह सुविधा देने की कृपा करेगी कि वह इन ट्यूबवेलों से लाभ उठा कर अपनी खेती की आबपाशी कर सकें ?

श्री राममूर्ति—इस ओर प्रयत्न किया जायगा ।

इटावा जिले में पुलिस विभाग के अन्तर्गत बैकवर्ड व परिगणित जातियों के कर्मचारी

*५८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में पुलिस विभाग में कितने कांस्टेबिल, क्लर्क व हेड कांस्टेबिल हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड क्लासेज के हैं तथा कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इटावा जिले के नागरिक पुलिस में कुल २२ कांस्टेबिल, क्लर्क और ४७ हेड कांस्टेबिल हैं, जिनमें से ३ हेड कांस्टेबिल परिगणित जातियों के हैं तथा ६ हेड कांस्टेबिल व ६ कांस्टेबिल क्लर्क पिछड़ी जातियों के हैं ।

*५९—श्री भजनलाल (मुख्य मंत्री से सम्बन्धित)—[११ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में फीस की माफी

*६०—श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—क्या यह सही है कि लखनऊ शहर में प्राइमरी एजूकेशन फ्री होने के बावजूद भी बहुत से प्राइवेट स्कूलों में दो रुपया से भी ज्यादा फीस लेते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । निर्देशानुसार केवल उन्हीं प्राइमरी स्कूलों तथा प्राइमरी कक्षाओं (जू० हा० तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों से संलग्न) के लिये निःशुल्क योजना लागू करनी अनिवार्य है, जो शासन अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित हैं अथवा शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय से अनुदान पाती हैं तथा जुलाई १,१९५६ के पहिले से शासन द्वारा क्षतिपूर्ति के हेतु निर्धारित दर से पाठन शुल्क लेती थीं । जो प्राइवेट स्कूल उपर्युक्त सिद्धान्तों के अन्दर नहीं आते उन्होंने निःशुल्क योजना अभी नहीं लागू की है और पाठन शुल्क ले रहे हैं ।

*६१—श्री शब्बीर हसन—क्या सरकार ने कुछ दिन हुये यह हुक्म जारी किया था कि प्राइवेट स्कूलों में किसी भी शक्ल में अन-अथराइज्ड फीस न ली जाय ? यदि हां, तो यह हुक्म कब जारी किया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । प्रथम बार जनवरी, १९५७ तथा द्वितीय बार जनवरी, १९५८ में ।

प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी को वन् संग्राम शिक्षा देने के लिए कीछा में प्रबंध

*६२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पुलिस को जंगल कार्य की शिक्षा देने के लिये कीछा चुना गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी को वनसंग्राम शिक्षा (jungle warfare training) देने के लिये कीछा निम्नांकित सुविधाओं के कारण चुना गया :

शिविर भूमि के समीप रेलवे स्टेशन, सड़क व टेलीफोन की लाइन होने के कारण वहां परिवहन व संचार की सुविधायें प्राप्त हैं, तथा वहां एक निरीक्षण गृह (Inspection House) और निकटवर्तीय कीछा बस्ती में पैट्रोल पम्प भी स्थित हैं । इसके अतिरिक्त वह स्थान चारों ओर सघन वन से घिरा होने के कारण उपरोक्त शिक्षा देने के लिये बहुत ही उपयुक्त है तथा चांदमारी के लिये एक रेंज वहां प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है । तैरने व नदी पार करने की शिक्षा देने के लिये जो कि उपरोक्त शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, समीपवर्ती सतुइया नदी में पर्याप्त जल प्राप्य है । पीने के पानी के लिये वहां एक नलकूप की भी व्यवस्था है । इन सुविधाओं के साथ-साथ शिविर भूमि से कीछा बस्ती निकट होने के कारण शिविर की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें भी सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक का हाई कोर्ट द्वारा अवैध घोषित होना

*६३—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक जो सदन से स्वीकार हुआ था वह हाईकोर्ट से अवैध घोषित कर दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां ।

गोंडा जिले की बलरामपुर हवालात में रमजान की मृत्यु

*६४—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रमजान नाम का आदमी बलरामपुर (गोंडा) के हवालात में २९ जुलाई को मरा हुआ पाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया घटना का विवरण देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७५२ पर)

*६५—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६६—श्री उग्रसेन—[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६७—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

पीलीभीत जिले में बीसलपुर तथा पूरनपुर तहसीलों में विभिन्न अपराध की घटनायें

*६८—श्री बिहारी लाल (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले की तहसील बीसलपुर व तहसील पूरनपुर में सन् १९५७-५८ में कितने कत्ल, डकैती तथा चोरियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५७-५८ में पीलीभीत जिले में तहसील बीसलपुर व पूरनपुर में १० कत्ल, ६ डकैती तथा १२७ चोरियां हुईं।

आजमगढ़ जिले व सगड़ी तहसील में बन्दूक के लाइसेंसों की मंजूरी व जब्ती

*६९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार सन् १९५६, १९५७ और ३० जून, १९५८ तक कुल कितनी दरख्वास्तें डी० बी० बी० एल० बन्दूक (D. B. B. L. gun) के निमित्त दी गईं? और कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७५३ पर)

*७०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिले की सगड़ी तहसील में १९५६, १९५७ व ३० जून, १९५८ तक कितने व्यक्तियों से बन्दूक के लाइसेंस जब्त किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सगड़ी तहसील में जब्त (cancelled) किये गये बन्दूक के लाइसेंसों की सन्वार संख्या निम्नलिखित है :—

सन्	जब्त हुये लाइसेंसों की संख्या
१९५६	७
१९५७	१
१९५८ (३० जून तक)	..

गोंडा जिले में लगाये जाने वाले नलकूप

*७१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला गोंडा में सन् १९५८ में कितने नलकूप लगाने जा रही है और किन-किन स्थानों पर?

श्री राममूर्ति—जिला गोंडा में सन् १९५८ में निम्नलिखित ७ नलकूपों का निर्माण राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है :

बलरामपुर क्षेत्र में	२ नलकूप
मनकापुर	४
कटरा बाजार	१
योग ..	७

आजमगढ़ जिले में बिना गूलों के नलकूप

*७२—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कितने नलकूप ऐसे हैं जिनकी गूलें (नहरें) अभी निर्मित नहीं की गई हैं? इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में २२ नलकूपों पर अभी गूलें निर्मित नहीं की गयी हैं। यह गूलें भूमि अवाप्ति (acquire) न होने के कारण नहीं बनी हैं।

जालौन जिले में कूसेपुरा ग्राम को पहूज नदी के कटाव से बचाने के लिए प्रार्थना

*७३—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम कूसेपुरा (जागीर रामपुरा), जिला जालौन को पहूज नदी के कटाव से बचाने के लिये कोई योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—इस समय ऐसी कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

इटावा जिले की औरैया तहसील में नलकूपों की आवश्यकता

*७४—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जिला इटावा की तहसील औरैया में ट्यूबवेल लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

हरदोई जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*७५—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५८ से अब तक हरदोई जिले में कितने कत्ल, डकैतियां, चोरियां तथा राहजनी की घटनायें हुईं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ जनवरी, १९५८ से १५-८-५८ तक हरदोई जिले में ३२ कत्ल, १४ डकैतियां, २५४ चोरियां तथा ५ राहजनी की घटनायें हुईं।

*७६—श्री जगन्नाथ चौधरी—[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी जिले के गोबरहा तथा रामचन्दीपुर ग्रामों को गंगा के कटाव से बचाने की प्रार्थना

*७७—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई राज्य-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के परगना जाल्हूपुर, मौजा गोबरहा रामचन्दीपुर का क्षेत्र जिसका किनारा बाढ़ से कट रहा है, उसके बचाव का क्या प्रबंध कर रहे हैं?

श्री राममूर्ति—वाराणसी जिले के रामचन्दीपुर और गोबरहा गांवों की भूमि को गंगा नदी के कटाव से बचाने की कोई योजना नहीं है। नदियों से कटाव होना एक स्वाभाविक बात है। अगर इस कटाव को निषेध लागत पर रोकने का प्रयत्न किया जाता है तो दूसरी जगहों पर इसका अधिक बुरा प्रभाव होने की सम्भावना हो सकती है। इसलिये ऐसी कोई योजना बनाने का विचार नहीं है।

उन्नाव जिले के पुराने पुलिस कर्मचारी

*७८—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में कितने पुलिस कर्मचारी ऐसे हैं जो ५ वर्ष से इसी जिले में नियुक्त हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्नाव जिले में इस समय ३ सब इंस्पेक्टर, ११ हेड कांस्टेबुल तथा १४२ कांस्टेबुल ५ वर्ष से इसी जिले में नियुक्त हैं।

गोरखपुर जिले में विभिन्न नहरों से सिंचाई की दर में अन्तर

*७९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में डान्डा तथा रोहिन कैनाल (canal) व नारायणी कैनाल के पानी की दरों में अन्तर है? यदि हां, तो कितना और क्यों?

श्री राममूर्ति--जी हां, रोहिन और डान्डा नहरों पर सरकार ने अनुसूची संख्या १ की दरें विज्ञप्ति संख्या १५७९-डब्लू/२३--६२-डब्लू-१९४६, दिनांक ३१ मार्च, १९५३ में स्वीकृत की थीं क्योंकि इन योजनाओं की लागत, जो कि रोहिन और डान्डा नदियों से निकाली गई हैं अधिक थीं और यह भी आशा की जाती थी कि इन नहरों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा।

सिंचाई की दरें जो उपरोक्त नहरों पर अब लागू हैं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७५४ पर)

*८०--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--[२२ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सारदा सागर, नानक सागर मजदूर यूनियन खटीमा-पीलीभीत, जिला नैनीताल की कथित मांगें

*८१--श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या सारदा सागर, नानक सागर मजदूर यूनियन खटीमा-पीलीभीत, जिला नैनीताल का एक मांग-पत्र सरकार के पास आया है? यदि हां, तो उसमें प्रमुख मांगें क्या हैं?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

*८२--श्री प्रतापसिंह--उपर्युक्त मांगों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री राममूर्ति--कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ तहसील के कुछ गांवों में चोया बढ़ने की शिकायत

*८३--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में भोपा ग्राम से लेकर ढांसरी ग्राम तक गंगा नहर के दोनों तरफ ६-७ ग्रामों में मसलन नगला बुजुर्ग, खेड़ी फिरोजाबाद, जोली, ढांसरी, कम्मेड़ा, रड़कली के जमीन में चोया बढ़ता जा रहा है? यदि हां, तो उसके रोकने का सरकार ने क्या उपाय किया है या करने जा रही है?

श्री राममूर्ति--स्थान का निरीक्षण करने से यह ज्ञात हुआ है कि तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में भोपा ग्राम से लेकर ढांसरी ग्राम तक गंगा नहर के दोनों तरफ ६-७ ग्रामों की जमीन में चोया नहीं बढ़ता जा रहा है।

*८४--श्री अहमद बख्श--क्या सराकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त ग्रामों की कितनी एकड़ जमीन पर चोये का असर हो चुका है और जो काश्त के काबिल नहीं रही?

श्री राममूर्ति--उपरोक्त ग्रामों की लगभग २,००० एकड़ जमीन पानी में डूब जाती है और फसल को नुकसान पहुंचता है। तिस्सा नाले के निर्माण से कष्ट दूर हो सकता है और यह जमीन काश्त के योग्य हो सकती है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में बाढ़ शरणालयों पर व्यय

*८५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सिंचाई राज्य-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सन् १९५५-५६ व १९५७ में बाढ़ से बचने के "Flood Shelters" कहां-कहां बने हैं और प्रत्येक पर कुल कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में सन् १९५५-५६ व ५७ में निम्नांकित बाढ़ शरणालय बनाये गये हैं और उन पर व्यय किये गये धन उनके सामने अंकित हैं :

बाढ़ शरणालय का नाम	व्यय किये गये धन
	रु०
१—महुला	८,७९१
२—हाजीपुर	९,४९५
३—रौनापार	९,६९५
४—शिवपुर	१०,५७५

नहर विभाग के अनक्वालीफाइड अस्थायी ओवरसियर

*८६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर-प्रदेश में नहर विभाग में तीन साल से अधिक सर्विस वाले ऐसे कितने अनक्वालीफाइड ओवर-सियर हैं जिनको अभी तक मुस्तकिल नहीं किया है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग में इस समय ५४ योग्यताहीन (unqualified) ओवरसियर ऐसे हैं जिनकी सेवा (services) ३ वर्ष से अधिक की है और अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में गांव ऊंचे करने पर व्यय

*८७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में कौन-कौन गांव बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचे किये गये तथा उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में बाढ़ से बचाने के लिये ५८ गांवों को ऊंचा करने की एक योजना बनाई गई थी, जिनमें से ३१-३-५८ तक २७ ग्रामों का स्तर ऊंचा किया जा चुका है और शेष ३१ ग्रामों पर कार्य प्रगति पर है । जिनकी सूची संलग्न है ।

ऊंचे किये हुये ग्रामों पर २,१६,००० रुपया व्यय हो चुका है । आगे की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७५५ पर)

हमीरपुर जिले में गुसयारी ग्रामवासी श्री देवी दयाल का कत्ल

*८८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा गुसयारी, तहसील मौदहा, जिला हमीरपुर के निवासी देवी दयाल के कत्ल के सम्बन्ध में जो २०-७-५७ को हुआ था सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कत्ल के सम्बन्ध में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच की।

*८९—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त कत्ल के सम्बन्ध की रिपोर्ट में नामजद व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस की प्रथम रिपोर्ट सूची में किसी अभियुक्त का नाम नहीं दिया गया था। कुछ व्यक्तियों का नाम संदेह में लिखा गया था परन्तु वे जांच में सही नहीं निकले।

*९०—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या उक्त कत्ल से सम्बन्धित मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

टेहरी-गढ़वाल "इण्डोतिब्बती बार्डर" की 'इनर लाइन" के राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को सीमान्त भत्ता

*९१—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला-टेहरी गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के 'इंडो तिब्बती बार्डर' एरिया की 'इनर' लाइन के अन्दर कितने राजकीय प्रारम्भिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय—१।

राजकीय प्रारम्भिक पाठशाला—५।

*९२—श्री सूरतचन्द रमोला—इन विद्यालयों में कार्य करने वाले कितने अध्यापकों को 'फ्रन्टियर एलाउंस' यानी सीमा भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन विद्यालयों के सभी अध्यापकों को, जिनकी संख्या १० है, सीमान्त भत्ता दिया जाता है।

गोरखपुर व बस्ती डिवीजन के निलम्बित ओवरसियर्स

*९३—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सिंचाई राज्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कितने ओवरसियर्स गोरखपुर व बस्ती डिवीजन में इस समय मुअत्तल हैं ?

श्री राममूर्ति—बस्ती और गोरखपुर डिवीजनों में इस समय ४ ओवरसियर मुअत्तल (suspended) हैं।

इलाहाबाद में चोरियों के संबंध में गिरफ्तारियां

*९४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक तथा १ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक कितनी चोरी की रिपोर्ट हुईं और उनमें कितने जोर पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक ५६ चोरियों की रिपोर्ट हुईं और उनमें २०३ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। १ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९५८ तक ६१७ चोरियों की रिपोर्ट हुईं और उनमें २३८ व्यक्ति गिरफ्तार हुए।

*९५—श्री जगन्नाथ चौधरी—[स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले के चालू नलकूप

*९६—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में इस समय कितने ट्यूबवेल हैं ? उनमें से कितने मोटर से चलते हैं और कितने विद्युत से ?

श्री राममूर्ति—इस समय बस्ती जिले में २५२ नलकूप हैं, जिनमें से २४१ विद्युत से तथा ८ डिजिल इंजनों से चलते हैं और ३ नलकूप फेल हो गये हैं।

*९७—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—उक्त ट्यूबवेलों में से कितने इस समय काम कर रहे हैं और कितने नहीं और क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—२५२ नलकूपों में से इस समय २४९ नलकूप काम कर रहे हैं और शेष ३ चालू हालत में नहीं हैं, क्योंकि ये नलकूप फेल हो चुके हैं।

माताटीला बांध भराने के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

*९८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के भराने के लिये कितने किसानों की जमीन को लिया गया तथा उसके बदले में कितने रुपये मुआवजे के रूप में किसानों को दिये गये ?

श्री राममूर्ति—माताटीला बांध भराने के लिये लगभग १,८०० किसानों की भूमि ली गई है। अभी तक किसानों को मुआवजे के रूप में ६२,०८,९१२ रुपया दिया जा चुका है।

शारदा सागर व नानकसागर योजनाओं पर व्यय

*९९—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सारदासागर व नानकसागर स्कीम के अन्तर्गत कुल कितना रुपया खर्च किया गया और कितना रुपया भविष्य में किया जायगा ?

श्री राममूर्ति—शारदा सागर योजना का निर्माण दो चरणों (stages) में हो रहा है। प्रथम चरण के निर्माण में जुलाई, १९५८ के अन्त तक ३६१.९५ लाख रुपया खर्च हुआ इस योजना को पूरा करने के लिये भविष्य में ११७.५४ लाख रुपया खर्च होना शेष है। शारदा सागर द्वितीय चरण के निर्माण में जुलाई, १९५८ तक १७८.३३ लाख रुपया खर्च हुआ। इस योजना को पूरा करने के लिये भविष्य में ८०५.६८ लाख रुपया खर्च होना शेष है।

नानक सागर स्कीम के अन्तर्गत जुलाई, १९५८ तक ९४.८९ लाख रुपया खर्च हुआ। इस योजना पर १८७.४९ लाख रुपया और खर्च होगा।

*१००—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि नानकभत्ता मन्दिर के आस-पास के किसानों की भूमि उपयुक्त स्कीम के लिये ली जा रही है ? यदि हां, तो कितने गांवों की ?

श्री राममूर्ति—जी हां, २० गांवों की।

अतारांकित प्रश्न

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालय

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में लोकल बाडीज द्वारा संचालित कितने हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं अर्थात बालक-बालिकाओं के कितने हाई स्कूल और कितने इन्टर कालेज हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना इस प्रकार है :—

विद्यालय की	बालकों के उत्तर माध्यमिक विद्यालय			बालिकाओं के उत्तर माध्यमिक विद्यालय			लोकल बाडीज-द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या
	साहायिक विद्यालय	असाहायिक विद्यालय	योग	साहायिक विद्यालय	असाहायिक विद्यालय	योग	योग (४+७)
१	२	३	४	५	६	७	८
नगरपालिका द्वारा संचालित							
१—इंटर कालेज	१३	—	१३	९	—	९	२२
२—हाई स्कूल	१०	३	१३	४	२	६	१९
योग ..	२३	३	२६	१३	२	१५	४१
जिला परिषद् द्वारा संचालित							
१—इंटर कालेज	१	१	२	—	—	—	२
२—हाई स्कूल	—	१	१	—	२	२	३
योग ..	१	२	३	..	२	२	५
सम्पूर्ण योग ..	२४	५	२९	१३	४	१७	४६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैंने दो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिये थे और तीन दिन के बाद मालूम हो जाना चाहिये था कि उनको सरकार मानेगी या नहीं। आपके संकेत पर वे प्रश्न मैंने दिये थे.....

श्री अध्यक्ष—इसके संबंध में आप मेरे दफ्तर में आकर पूछ सकते हैं। मैं यहां पर जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री राजनारायण—इस संबंध में आप अपने सेक्रेटेरियेट को आगाह कर दें, क्योंकि वे मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न थे।

श्री अध्यक्ष—आप न आ सकें तो अपनी पार्टी के किसी अन्य सदस्य को भेज दें। वहीं मालूम हो सकेगा।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कुछ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। कुल ९ प्रस्ताव हैं। इनमें अधिकतर जो सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके संबंध में प्रस्ताव हैं। मैं उन सबको न तो पढ़ कर सुनाता हूं और न मैं उनमें से किसी को कामरोको प्रस्ताव का विषय समझता हूं। क्योंकि यह आन्दोलन जो हुआ है उसके बारे में और खाद्य समस्या के सिलसिले में और इसके अलावा यहां जो अविश्वास का प्रस्ताव हुआ, उसमें उस संबंध में काफी बहस हो चुकी है और उक्त आन्दोलनों के परिणाम के संबंध में, कि क्या परिणाम होंगे, ये सब बातें हो चुकी थीं। तो परिणाम की सब जिम्मेदारियों को लेकर ही लोगों ने यह आन्दोलन किया है। इस कारण इन विषयों के ऊपर बहस, द्विरुक्ति होगी और इस सदन का समय व्यर्थ नष्ट जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अगर कुछ इजाजत हो तो कहूं ? इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा मेरा कामरोको प्रस्ताव है श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे के बारे में.....

श्री अध्यक्ष—यह सवाल नहीं है। आप बैठ जायं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, इतना सुन लें कि कोई गैर कानूनी काम उन्होंने नहीं किया है और बिना गैरकानूनी काम के आज सारे प्रान्त में....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—आप नहीं मानते तो सदन छोड़ कर चले जायं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—हम तो स्वयं ही सदन छोड़े दे रहे हैं ? यहां चूंकि सरकार नीदरसोल और हैलटशाही की नीति बरत रही है इसलिये हम इस सदन का परित्याग करते हैं।

(जनसंघ पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, यदि आप कामरोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके सार्वजनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कम से कम उनको पढ़कर सुनाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं करूंगा, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बारे में सूचना दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जो कि इन कामरोको प्रस्तावों के संबंध में नहीं है। आप के आदेश के विरुद्ध मुझे कोई बात नहीं कहनी है। मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि अभी तक आपको यह मालूम है कि स्वतंत्र प्रगतिशील धारा सभाई दल ने सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का जन-आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय नहीं किया है और न अभी तक यही निश्चय किया है कि जो अन्न-आन्दोलन हो रहे हैं उनमें से किसी में योग दिया जाय या उनमें शरीक हुआ जाय। अपना विरोध सदन के भीतर तक ही सीमित रखा है और अपने साथियों के इसी निश्चय के अनुसार आज मुझे केवल यही निवेदन करना है कि सदन के भीतर के संबंध में सरकार ने जो राजनीतिक सुलह का आफर दिया था और जो आज फिर दोहराया है उसके संबंध में उसने कोई न तो पहल की और न कोई कदम उठाया और अब उसने दमन नीति का मार्ग अख्तियार कर लिया है। इसलिये मैं इसके विरोध में अपने साथियों सहित सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से उठ कर चले गये।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं। जनतंत्र प्रणाली के अनुसार मुख्य मंत्री के बराबर का दर्जा विरोधी दल के नेता का होता है। विरोधी दल के नेता ने कोई आन्दोलन नहीं किया फिर भी उनको मुख्य मंत्री जी ने किस लिये गिरफ्तार करा दिया है ? किस कानून की किस धारा के अनुसार उनको गिरफ्तार कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना मैं दूंगा। जब मैं स्वयं ही सूचना दे रहा हूं तो आप माननीय मुख्य मंत्री से नहीं पूंछ सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह—जब कोई आन्दोलन नहीं किया गया है.....

श्री अध्यक्ष—आप अपना स्थान ग्रहण करें अथवा सदन को छोड़ कर चले जायं।

श्री प्रतापसिंह—मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रताप सिंह अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन से बाहर चले गये।)

बाराबंकी जिले की फतेहपुर तहसील में कत्ल व अराजकता के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री जंगबहादुर जी वर्मा का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर में दो कत्ल थाना मुहम्मदपुर खाला में ६–७ की रात में हो गये। जिले की बढ़ती हुई अपराधों की संख्या व पुलिस की असमर्थता व उपेक्षा व इन कत्लों के कारण जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है तथा जन-जीवन असुरक्षित है और परिस्थिति विषम है।

अतः इस तात्कालिक महत्व के जन-जीवन से संबंधित विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज भी कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती, क्योंकि कत्ल होने पर एकदम यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार द्वारा उसकी उपेक्षा की गयी और यह चीज ऐसी भी है कि जिसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से इसका संबंध सरकार से आता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कानपुर की सूती मिलों में तालाबन्दी के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री बलवान सिंह जी का भी एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"कानपुर में कई सूती मिलों की तालाबन्दी के कारण ८,००० मजदूर व कर्मचारी बेकार हैं। लाखों रुपये मजदूरों की मजदूरी के बकाया हैं। सरकार ने इस दिशा में उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई है। फलस्वरूप सोशलिस्ट मजदूर नेता विमल मेहरोत्रा तथा कम्युनिस्ट नेता रवि सिन्हा ने ८ सितम्बर से २१ दिन का अनशन प्रारम्भ कर दिया है। इससे प्रदेश में व विशेष कर कानपुर में अशान्ति व बेचैनी पैदा हो गयी है। अतः इस विषय पर वाद-विवाद करने के लिये विधान सभा अपना कार्य आज स्थगित करे।"

जहां तक मजदूरों की बेकारी और मिल की तालाबन्दी का प्रश्न है, इस विषय में इस आदरणीय सदन में कई दफा चर्चा हो चुकी है। दूसरे यह विषय रीसेंट आकरेंस का भी नहीं है, इसलिये यह भी कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

दूसरे इसमें प्रश्न यह है कि सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों ने अनशन कर रखा है। इसके बारे में भी मैंने एक दफा निर्णय दिया था कि स्वेच्छा से जो अनशन किया जा रहा है, जिसके लिये उनको कोई बाध्य नहीं करता है, वह तो आत्म शुद्धि के लिये किया जाता है, आत्मा की शांति के लिये वह किया जा रहा है और दूसरों के हृदय परिवर्तन के लिये किया जा

रहा है, वह तो तपस्या है, उसको कामरोको प्रस्ताव का विषय बनाना, अनशनकर्त्ता की तौहीन करना है, इसलिये उसको भी कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि वहां पर हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और सरकार खुद कानून तोड़ने पर .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

चन्दौली में गृह मंत्री की उपस्थिति में सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं के घसीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जो इस प्रकार है—

"गत ६ सितम्बर को गृह मंत्री उत्तर प्रदेश चन्दौली गये थे। वहां पर सरकारी गल्ला व्यापारियों द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार के विरुद्ध सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री जी से निवेदन किया। गृह मंत्री जी ने अपनी उपस्थिति में जिस प्रकार पांच सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं को घसीटने का आदेश दिया और जिस प्रकार वह घसीटे गये उसने प्रत्येक जनतांत्रिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाया है और सारे जिले में इस घटना ने व्यापक क्षोभ की लहर पैदा कर विषम स्थिति पैदा कर दी है।

अतः यह सदन जनहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय गृह मंत्री जी के पास इस संबंध में कोई जानकारी हो तो वे दे दें।

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—श्रीमन्, इस वक्त माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं। क्या बातचीत हुई है यह वे ही बतला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—तो इस प्रश्न को मैं कल लूंगा। उस वक्त तक आप जानकारी हासिल कर लें कि यह विषय निश्चित है या नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता हूं। उस समय क्या बातचीत हुई वह .....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न के द्वारा जानकारी हासिल कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—मुझे अपनी बात तो सुनाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—बातें सुनाने का यह उपयुक्त समय नहीं है।

सदस्यों की गिरफ्तारी सम्बंधी कार्य-स्थगन प्रस्ताव के विषय में निवेदन

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की आज्ञा देकर आपने मेरे ऊपर महान् कृपा की। मैं आपकी सेवा में सिर्फ दो शब्द ही उपस्थित करना चाहती हूं। हमारी पार्टी के कर्णधार माननीय त्रिलोकी सिंह जो बाहर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप से मेरी यह प्रार्थना है कि उन्होंने यह वचन दिया था कि हम शान्तिमय आन्दोलन करते रहेंगे, लेकिन जब आज वे गिरफ्तार हो गये हैं तो मेरी आप से यह प्रार्थना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लिये जिम्मेदार सरकार ही होगी, क्योंकि बाहर तो वे रहे नहीं।

श्री अध्यक्ष—आप तो व्याख्यान दे रही हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्रीमती राजेन्द्रकुमारी—मेरी यह प्रार्थना है कि कामरोको प्रस्ताव रखने की आप आज्ञा दें क्योंकि उसके जरिये मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष—उससे तो गड़बड़ी और बढ़ सकती है कम नहीं हो सकती ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव की आप इजाजत दें क्योंकि यह गिरफ्तारी नहीं हैं बल्कि लोगों के घरों में घुस-घुस कर लोगों को वहां से निकाला गया है और यह इस तरह से सरकार द्वारा डकैती हुई है । इसलिये न्याय पाने के लिये आप कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये अदालत में जाकर वहां न्याय लिया जा सकता है । इस तरह की किसी बात पर सदन में बहस नहीं हो सकती ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना—सदन में अशान्ति

श्री अध्यक्ष—विभिन्न जिलों के जिलाधीशों से कुछ माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं सदन के सामने सुनाये देता हूं । माननीय सदस्यों के नाम व जिन धाराओं के अन्तर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई है, वे इस प्रकार हैं :—

(१) माननीय यमुनासिंह यादव—आई० पी० सी० की धारा १४७ व ४४८, ३५३, ५८० के अन्तर्गत ।

(२) माननीय रामायणराय—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १५१ के अन्तर्गत ।

(३) माननीय पद्माकरलाल—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०१, ११७ (३) के अन्तर्गत ।

(४) माननीय विश्रामराय
(५) माननीय रामसुन्दर पांडेय } क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७, ११७, १५१ के अन्तर्गत ।

(६) माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे—आई० पी० सी० की धारा १५३ के अन्तर्गत ।

(७) माननीय गेंदासिंह—आई० पी० सी० की धारा ११७ के अन्तर्गत ।

(८) माननीय गौरीशंकर राय—आई० पी० सी० की धारा ११७ के अन्तर्गत ।

(९) माननीय रामशरण यादव—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७, ११७ के अन्तर्गत ।

(१०) माननीय त्रिलोकीसिंह जी—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७ ११७ के मातहत ।

(११) श्री दुर्योधनप्रसाद—इंडियन पेनल कोड की धारा ३८९ के मातहत ।

(१२) श्री झारखंडेराय के बारे में यह अभी तार आया है, तार के द्वारा यह सूचना मिली है कि धारा १०७/११७ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत वह गिरफ्तार हो गए ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने का अवसर देंगे आप ?

श्री अध्यक्ष—मैं कामरोको प्रस्ताव वगैरह तो सब खत्म कर चुका हूं । उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री राजनारायण—कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं नहीं कहूंगा। अभी आपने जो सूचना दी है उस सम्बन्ध में जो मेरी सूचना है वह मैं देना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं अब कोई भाषण नहीं हो सकता। एक दो शब्दों में कोई सुझाव आप देना चाहते हों तो दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब हमारे यहां भारतीय संविधान के अनुसार भाषण स्वातंत्र्य है तो जिस प्रकार धारा ११५ के अन्दर माननीय त्रिलोकीसिंह जी गिरफ्तार हुए और धारा १०७ और ११७ उन पर बाद में लगायी गयी, श्रीमन्, आपने भी समाचार-पत्रों में देखा होगा.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो सूचना दी कि दफा १०७/११७ में वह गिरफ्तार हुए, अब उससे बाहर की चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, अखबारों में कोई खबर आयी तो उसके ऊपर आप यहां चर्चा नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण—तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करेगी कि अगर इतने व्यापक पैमाने पर १०७/११७ का प्रयोग होगा तो इसका क्या यही अर्थ नहीं होगा कि राजनीतिक.....

श्री अध्यक्ष—मैं भाषण करने की इजाजत नहीं दे सकता.....

श्री राजनारायण—और दूसरा स्पष्टीकरण मैं यह चाहता हूं कि जिन-जिन जखीरेबाजों ने २८ रुपये, २९ रुपये, ३० रुपये मन गेहूं बेचा है क्या इस सरकार ने आई० पी० सी० की किसी धारा के मातहत उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की है? क्या इसके लिए कोई धारा नहीं ह?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं। इसके बारे में खाद्य मंत्री जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

पहले प्रश्न के बारे में अगर माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन कोई वाध्यता की बात नहीं है। देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई सूचना नहीं देनी है। स्थानीय अधिकारी जैसा उचित समझते हैं जिस मामले में वैसा करते हैं। हमसे इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उसके बाद मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, सरकार की इस नीति के विरोध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं इस सदन का त्याग करूंगा। इसलिए त्याग करूंगा कि यह सरकार हठवादी नीति पर अड़ी है। वह उन होर्डर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैं इस सदन को प्रोपेगेंडा का स्थान नहीं बनने दे सकता। यह स्वतंत्र विचार विनिमय के लिए है।

श्री राजनारायण—स्वतंत्र विचार विनिमय के लिए ही मैं कह रहा हूं। कानपुर में मजदूरों का लाखों रुपया वेतन का नहीं दिया गया.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके अपने स्थान को ग्रहण करें नहीं तो आपको सदन को छोड़ना पड़ेगा।

श्री राजनारायण—मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं सदन को छोड़ने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको आज्ञा देता हूं कि ...(व्यवधान)... आप छोड़िए सदन को कृपा करके। .....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं और अगर आप चाहेंगे तो मैं कोई भाषण भी नहीं दूंगा। भाषण देने का स्थान तो दूसरा है। मगर जो जनता की आकांक्षायें हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके सदन को छोड़ दें।

(श्री राजनारायण अपने स्थान पर खड़े रह कर बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष—अच्छा, तो मैं श्री राजनारायण जी को, मुझे खेद है, मैंने कई दफा कहा कि वह सदन को छोड़ दें, लेकिन वह आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं उनका नाम 'इंगित' करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री राजनारायण जी को इस सदन की सेवा से १५ दिन के लिए वंचित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री राजनारायण इस सदन की सेवा से १५ दिन के लिए वंचित किये जायं।

श्री राजनारायण—मुझे इसका विरोध करने का मौका दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं और आपके द्वारा यह मांग करता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी एक महीने के लिए इस सदन से निकाले जायं, क्योंकि उन्होंने प्रदेश को तबाह किया है, बर्बाद किया है, जुल्म ढा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री राजनारायण को, सदन के बाहर जाने की अध्यक्ष द्वारा दी गई आज्ञा के न मानने पर, १५ दिन के लिये सदन की सेवा से वंचित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—डिवीजन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप द्वारा इस पर डिवीजन नहीं होगा।

श्री राजनारायण—इस अन्याय के विरुद्ध सदन-त्याग करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। सरकार की गुंडागर्दी, तानाशाही, गुंडाशाही नहीं चलने दी जायगी। यह सदन है, बाहर इस चीज को प्रतिबिम्बित होना चाहिये....

(श्री अध्यक्ष ने मार्शल को आदेश दिया कि वह नम्रतापूर्वक उनसे सदन के बाहर जाने के लिये प्रार्थना करें।)

श्री राजनारायण—मैं कहता हूं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द को सदन से एक महीने के लिये बाहर किया जाय। उन्होंने विधान को तोड़ा है, जखीरेबाजों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये ऐसी सरकार का यहां बैठना बिल्कुल अनावश्यक है, सरकार को निकालिये, सम्पूर्णानन्द इस्तीफा दें।

(मार्शल ने श्री राजनारायण से सदन के बाहर जाने के लिये आग्रह किया। इस समय सदन में गड़बड़ होने लगी और कई सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं सदन में बहुत काफी गड़बड़ हो रही है, इसलिये मैं सदन को १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

[१२ बजकर २१ मिनट पर बैठक १० मिनट के लिये स्थगित की गयी।]

इन दस मिनट में श्री राजनारायण और उनके साथियों ने और ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया और श्री राजनारायण ने अध्यक्ष मंच पर जाकर भाषण देना शुरू कर दिया और उनके साथियों ने मार्शल को श्री राजनारायण को बाहर ले जाने में जबरदस्ती रोकथाम की। दस मिनट के बाद भी सदन में शान्ति स्थापित न हो सकी। तब श्री अध्यक्ष के आदेश पर सचिव विधान मंडल ने घोषणा की कि सदन १ बजकर १५ मिनट तक के लिये स्थगित किया गया और सदन की बैठक लंच के बाद २ बजकर १५ मिनट पर होगी। इसी दौरान में माननीय अध्यक्ष ने आज्ञा दी कि मार्शल श्री राजनारायण को तथा उन लोगों को जो श्री राजनारायण को सदन से बाहर ले जाने में रुकावट डालें, पुलिस की सहायता से सभा-मंडप से बाहर करके शान्ति स्थापन करे। श्री अध्यक्ष की आज्ञा पर मार्शल आवश्यक पुलिस की सहायता से श्री राजनारायण को सदन के बाहर ले गये। निम्नलिखित १२ सदस्यों को भी जिन्होंने श्री राजनारायण को बाहर ले जाने में जबरदस्ती बाधा डाली माननीय अध्यक्ष के आदेश से पुलिस की सहायता से सभा-मंडप के बाहर किया गया।

सर्वश्री (१) अवधेश सिनहा, (२) टीकाराम, (३) देवनारायण भारतीय, (४) मूलचन्द, (५) नन्दराम गुप्त, (६) नत्थाराम रावत, (७) राम सिंह चौहान, (८) बलवानसिंह, (९) रामस्वरूप वर्मा, (१०) मोतीलाल अवस्थी, (११) जंगबहादुर वर्मा, (१२) अभयराम यादव।

इसी समय माननीय अध्यक्ष ने अपने कमरे से सदन की दीर्घाओं को भी खाली करने का आदेश दिया।

[२ बजकर १७ मिनट पर सदन की बैठक श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

*उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब कृषि मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

विधान सभा में गड़बड़ी तथा सदन के परिसर के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपकी अनुपस्थिति में हेलमेट तथा स्टील के टोपों वाली पुलिस यहां आई। आपका कहना था केवल श्री राजनारायण के लिये कि वह सदन त्याग दें लेकिन उन्होंने चारों ओर से सदन में कार्डन डाला। मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को सदन से घसीट कर और लातें मारकर इस बुरी तरह से घसीटा जाय कि उसके कपड़े फट जांय और धोती खुल जाय और इस तरह से नंगा कर के निकाला जाय, यह कहां तक उचित है कि इस तरह से सदन के माननीय सदस्यों को आपकी अनुपस्थिति में निकाला जाय। यह जो लोहे का दरवाजा है उसके बाहर....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। पहला जो व्यवस्था का सवाल छेड़ा गया वह यह है कि क्या किसी माननीय सदस्य को घसीट कर या उसको धक्के मारकर, या उसके कपड़े फाड़ कर ले जाने का सदन के बाहर कोई तरीका होना चाहिये या नहीं? मैं कहना चाहता हूं कि यह तरीका नहीं है कि किसी के कपड़े फाड़े जांय, मारा जाय या धक्का दिया जाय या और कुछ ऐसा ही किया जाय। लेकिन इतनी शक्ति का प्रयोग तो अवश्य किया जायगा जिस से उन को बाहर निकाला जा सके क्योंकि जब माननीय सदस्य से बाहर जाने के लिये

* २२ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।
† २ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री अध्यक्ष]

कहा गया और आज्ञा दी गई और मार्शल ने जाकर उन से पूछा और फिर मुझ से आकर कहा कि क्या शक्ति का प्रयोग किया जाय, तो मैंने उन से कहा कि अभी शक्ति का प्रयोग न करें केवल उनसे प्रार्थना करें। उस के बाद मार्शल ने कई बार श्री राजनारायण जी से प्रार्थना की लेकिन उन्होंने उस को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो मैंने शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही सदन को १० मिनट के लिये स्थगित कर दिया। उस के बाद अगर वह चले जाते तो ऐसी बात न होती और जो घटनायें हुईं वह भी न होतीं। मुझे आशा थी कि इस बीच में वह शांत हो जांयगे और चले जांयगे और इस तरह से सदन की प्रतिष्ठा भी कायम रहेगी। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि उसके बाद भी वह यहां पर भाषण देते रहे और उनके साथी आप लोग (सोशलिस्ट दल के सदस्य) भी यहां बैठे रहे। जब यह देखा गया कि इस तरह से दस मिनट बाद भी सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी इसलिये फिर कहा गया कि शक्ति का प्रयोग कर के उन को अलग कर देना चाहिये। फिर उस के बाद भी उन से कहा गया और वह नहीं गये तब शक्ति का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर अब शिकायत है कि शक्ति के प्रयोग में कोई ऐसी बात की गई कि जो नहीं होनी चाहिये थी, घसीट कर मारने की, धक्का देने की या कपड़े फाड़ने की बात.....

श्री बलवानसिंह—श्री अध्यक्ष, श्री रामसिंह चौहान के तो इतनी चोट लगी है कि उन का पेशाब नहीं उतर रहा है।

श्री अध्यक्ष—अगर ऐसी चीज है तो मेरी व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। व्यवस्था यह है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये। ऐसी चीज हुई या नहीं, इसके बारे में जिसको शिकायत हो वह मेरे पास करें, उसकी मैं जांच करूंगा और अगर यह चीज हुई है तो जो कार्यवाही उचित होगी वह होगी।

दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि 'प्रिसिंक्ट्स' कहां तक है, तो 'प्रिसिंक्ट्स' से बाहर करने का मतलब वह है जिसकी व्यवस्था पहले कर दी गयी है और वह यह है कि जो सदन के ऐप्रोचेज हैं, जहां से कि सदन में घुस सकते हैं वहां तक 'प्रिसिंक्टस' समझना चाहिये। व्याख्या यह है:

"The precincts of the House have not yet been defined but mean clearly the Assembly Hall, Lobbies, the rooms in occupation of Legislature Secretariat, Speaker's room, Deputy Speaker's room, Committee Room, Library, Parties' rooms and approaches thereto".

२१ जुलाई को इसकी जो डेफिनीशन ऊपर दी गयी है उसको मैंने मंजूर किया था। इसलिये प्रिसिंक्ट्स का यही अर्थ होता है कि जहां तक उक्त स्थानों के ऐप्रोचेज हों उनके बाहर तक। क्योंकि यह चीज जो है इस तरह की तो है नहीं कि हर नियम का फायदा कानून तोड़ने वाला उठा ले, इसलिये मैंने यह व्याख्या दी कि इस सदन की कार्यवाही चल सके। मैं कार्यवाही चलाना असंभव नहीं होने दूंगा। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि नियम का फायदा उठाकर यानी 'प्रिसिंक्ट्स' की डेफिनीशन का, और रोजाना कारीडर में चला आये और १५–१६ रोज तक सदन का काम न चलने दे तो वह इस प्रकार आ न सके, घुस न सके, इसलिये 'प्रिसिंक्टस' की व्याख्या से ऐसी हद बांधी जहां से वह व्यक्ति रोका जा सकता है।

श्री बलवानसिंह—तो क्या बाहर तक ?

श्री अध्यक्ष—बिलकुल बाहर तक हैं 'एप्रोचेज'।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—आपने तो राजनारायण जी को १५ रोज के लिये निकाला और मुझे क्यों मेन गेट तक घसीटते हुए ले गये ?

श्री अध्यक्ष—आप मुझे उसकी शिकायत दीजिये, लिखित शिकायत दीजिये।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---हमने तो माननीय कैलाशप्रकाश जी से कहा । उन्होंने कहा कि मैं कुछ सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । जब सदन १० मिनट के लिये खत्म हो गया तो सब लोग अपने-अपने स्थान पर चले गये । लेकिन उनको भी जबरदस्ती घसीट कर निकाला गया । जो लोग गैलरी में थे उनको भी बाहर किया और रामसिंह चौहान के तो बेंत मारा गया है.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके लिखित शिकायत दें, मैं उसको देखूंगा ।

श्री बलवानसिंह---क्या आपकी आज्ञा सबको बाहर ले जाने की थी या केवल राजनारायण जी के लिये थी ? क्या यह भी आज्ञा थी कि सबको जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जाय और ठोकर मारी जाय ? यह मेरा कुर्ता देखिये ।

श्री अध्यक्ष---प्रथम मेरी आज्ञा शक्ति का उपयोग जितना आवश्यक हो वह करके राजनारायण जी को बाहर निकालने की थी । फिर मार्शल की शिकायत यह थी कि आप लोगों ने एक शृंखला बनाकर उनको (राजनारायण जी को) घेर लिया और एक के हाथ में हाथ डालकर शृंखला बनायी और श्री राजनारायण को हटाने से उनको रोका, इसलिये मेरी आज्ञा लेकर आप लोगों के खिलाफ भी उनको शक्ति का उपयोग करना पड़ा ।

श्री बलवान सिंह---श्रीमन्, डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा को बाहर फेंका गया और मार्शल साहब ने कहा कि जितने सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं उन सब को कारिडर से बाहर करने का हुक्म है ।

श्री अध्यक्ष---आप लिखित शिकायत भेजें ।

श्री बलवानसिंह---जिस हाउस में ऐसी स्थिति हो उस हाउस में बैठना नहीं चाहते ।

(इस पर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये ।)

सर्वश्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा राजनारायण के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में मैंने एक लिखित प्रस्ताव भेजा था । वह इस प्रकार है---

"आज हाउस ऐडजर्न होने से पूर्व माननीय सदस्य श्री गोविन्दसिंह तथा श्री राजनारायण ने आपके आदेश के विरुद्ध निरन्तर हठपूर्ण आचरण करके भी बोलने का आचरण किया । यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है ।

आपके हाउस ऐडजर्न करने के पश्चात् अध्यक्ष के आसन से माननीय श्री राजनारायण ने भाषण देना आरम्भ किया । यह भी दूसरा ब्रीच आफ प्रिविलेज है । अतः इस पर उचित कार्यवाही कीजिये ।"

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जहां तक पहली शिकायत से ब्रीच आफ प्रिविलेज का ताल्लुक है कि श्री गोविन्द सिंह और श्री राजनारायण जी ने आदेश का पालन नहीं किया और भाषण दिया, तो उसमें तो अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि उनको सदन से जाने की आज्ञा दे और वह कार्यवाही मैंने कर दी थी । जब वह कार्यवाही हो चुकी और वे यहां से चले गये तो ब्रीच आफ प्रिविलेज उस मामले पर नहीं आयेगा ।

दूसरी शिकायत जो ब्रीच आफ प्रिविलेज की श्री राजनारायण के सम्बन्ध में है उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठ सकता है । लेकिन सदन के सामने वह घटना नहीं हुई । जब मैंने कह दिया कि १० मिनट के लिये यह सदन ऐडजर्न होता है उसके बाद यह सुना गया--मैंने भी सुना--कि यहां पर अध्यक्ष के डायस पर आ कर उन्होंने भाषण देना शुरू किया । इस विषय

[श्री अध्यक्ष]

में मैं समझता हूं कि नियम के अनुसार जिन माननीय सदस्य को जानकारी हो उन्हें सेक्रेटरी को नोटिस देना चाहिये ब्रीच आफ प्रिविलेज के बारे में, तब मैं फैसला दूंगा। अगर सदन की आंखों के सामने बात हुई होती तो मैं तुरन्त फैसला दे देता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—तो कल मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो यह आप नोटिस दे रहे हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी हां।

उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब इसके ऊपर श्री श्रीपालसिंह अपना भाषण समाप्त कर चुके थे।

श्री शिवराजबलीसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहां उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक इससे बहुत पहले आना आवश्यक था लेकिन यह भी समझता हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनमें देरी होती है क्योंकि उनके विषय में अधिक सोचना समझना पड़ता है और बहुत सी चीजों का प्रबन्ध करना होता है। इस विधेयक से हमारे काश्तकारों को बहुत काफी लाभ होगा क्योंकि वे बहुत दिनों से इतने पीड़ित थे कि उनको अपने गल्ले का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। जब किसान के यहां कोई शादी व्याह पड़ती थी तो गांव में वह कर्जा लेता था और कर्जा देने वाला फसल पर भाव से डेढ़ पाव या आधा सेर अधिक उसका अनाज ले लिया करता था। बाजार में भी उसके साथ मन मानी होती थी।

मेरे जिला फतेहपुर में एक बिन्दकी स्थान है जो अनाज की बहुत बड़ी मन्डी है। वहां की हालत यह है कि काश्तकार जब गाड़ी पर गल्ला ले जाता है तो पहले तो उसे चुंगी देनी पड़ती है। यह तो आप कहेंगे कि कायदे की चीज है लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि उसे कितना भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद जब वह बाजार में गाड़ी खड़ी करता है तो आढ़तियों के मुनीम और दलाल वहां जाते हैं और गल्ले का मूल्य तय करते हैं। फिर वह दूकान पर गल्ला तौलने के लिये आता है। बाद में मालिक उस माल को देखने के लिये आता है और जो भाव तय हुआ होता है उससे वह छटांक, आध पाव अधिक लेता है। वह यह कहता है कि माल ठीक नहीं है। जब तक गाड़ियां दूकानों पर से डट जाती हैं तो किसानों को मजबूर होकर गल्ला तुलवाना होता है।

दूसरी बात यह है कि आढ़तियों के काफी खर्चे निकाले जाते हैं। इसमें धर्मादा होता है, पौआ चलता है; मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान का चार-छः पसेरी गल्ले का नुकसान हो जाता है।

तीसरी बात यह है कि आढ़तियों के यहां यह बंधा हुआ है कि जब किसान का गल्ला १०५ मन तोला जाता है तो वह १०० मन माना जाता है। अगर ऐसा न करे तो वह मुनीम नहीं रखा जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसान मुद्दत से दुखी था, पीड़ित था, समय पर उसे पैसा नहीं मिलता था ठीक से कर्जे के कारण। लेकिन आज बड़े सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है कि हमारे मंत्री जी और सरकार इस विधेयक को लाये हैं। अगर गोदाम खुल जायेंगे और ठीक से प्रबंध होगा तो किसानों को बड़ी सुविधा होगी जैसा कि इस विधेयक में लिखा है कि किसान अपना गल्ला गोदाम में ले जायगा और जो लायसेंसदार होगा वह उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा, दीमक से, घुन से और बरसात में जो नमी आ जाती है उससे सुरक्षा रहेगी। सब से बड़ी चीज तो यह है कि किसानों के लिये जो गवर्नमेंट तय कर देगी ७५ फीसदी उसे पहले मिल जायगा और जब किसान चाहेगा तो उसे बेच देगा और उसको दाम मिल जायेंगे।

श्रीमन्, एक शंका यह है कि जो प्राइवेट लोग हैं, जो अपना निजी व्यापार करते हैं बगैर लायसेंस के दुकान नहीं कर सकेंगे। अगर मंत्री जी को पूर्ण विश्वास हो कि जो कानून बन रहा है उससे किसान को राहत मिलेगी, उनकी पीड़ा दूर होगी तो मैं इसके पक्ष में हूं और मुझे कुछ कहना नहीं है। एक बात यह भी है कि जो लायसेंस लेंगे और जो सरकारी कर्मचारी रखे जायेंगे जैसे तौलने वाले होंगे, नापने वाले होंगे तो जिस तरह से हर विभाग में हमारे भाई-बंधु होते हैं उसी तरह के यहां भी होंगे क्योंकि यह समाज का मर्ज है। इसलिये इसको अच्छी तरह से देखना है। सरकार के पास इतने गोदाम नहीं होंगे और अगर लाइसेंस नहीं दिये गये और प्राइवेट दूकानें बंद हो गईं तो डर इस बात का है कि किसान का क्या हाल होगा? क्या सचमुच में प्रबंध हो सकेगा। अगर आप यह समझते हैं कि पूर्णतया प्रबंध हो जायगा और किसानों को तकलीफ नहीं होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और प्राइवेट दूकानें बंद कर दी जांय और गोदाम चलाये जांय। जब किसान की हालत अच्छी हो जाय तब प्राइवेट दूकानदारों को लाइसेंस दिये जांय।

मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा न हो कि किसानों को परेशानी हो जाय। किसान गल्ले की गाड़ी ले जाय और उसको न रखा जाय और बाद को उसका गल्ला बिके और बड़ी दौड़-धूप करने के बाद उसको रुपया मिले। यह समझने की बात है क्योंकि उस समय प्राइवेट दूकानें बंद कर दी जायंगी तो किसान और दूसरे लोग सरकार को लांछन देंगे। अगर प्राइवेट दूकानें खुली रहें और सरकारी गोदामों में असुविधा हो तो वहां बेच सकते हैं। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अच्छी तरह सोच समझ लें कि प्राइवेट दूकानें खुली रहें, यह ठीक है या नहीं।

एक बात यह भी है कि अगर मंत्री जी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी दूकानों से काम ठीक से चलेगा तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको और भी आगे बढ़ाया जाय। ऐसे लाइसेंस देने का कोई काम नहीं जैसा कि मैंने पहले कहा जब काश्तकारों की हालत अच्छी हो जाय, उनकी तरक्की हो जाय और उनकी गरीबी दूर हो जाय तो दो-चार वर्ष के बाद दूसरों को लाइसेंस दिया जाय। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

*कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें भाग लिया, आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल का हृदय से समर्थन किया। कुछ गलतफहमी थी जिसकी बिना पर कुछ इसके विरोध में कहा गया। मैं बहुत सी चीजों को इस वक्त साफ करना उचित नहीं समझता, लेकिन एक बात कह देना जरूरी समझता हूं वह यह कि इस बिल और वेयर हाउसेज बनाने के बाद प्राइवेट ट्रेड पर किसी तरह की कोई रुकावट होगी या प्राइवेट ट्रेड को किसी तरह से लाइसेंस लेना जरूरी होगा यह इस बिल का मतलब हर्गिज नहीं है। यह तो वेयर हाउसेज जो चलाना चाहें सिर्फ उनसे सम्बन्ध रखता है। जो ट्रेड मामूली तौर से चलेगी उससे उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। उसकी वजह से कुछ और गलत-फहमियां थी जिनका इस वक्त उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। इन शब्दों के साथ इस सदन के सामने इस बिल को विचार करने के लिये पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ जनमत संग्रह के हेतु दो मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो तथा अपनी रिपोर्ट ४५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा जावे जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन यह निश्चित करता है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट अगले एक महीने के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—१०

परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "सहकारी समिति" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित, कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के अधीन रजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड समझी गई समिति से है;

(ख) "निक्षेप्ता" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो अपना माल गोदाम-परिचालक को गोदाम में जमा रखने के लिए देता है, तथा इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो गोदाम-परिचालक द्वारा जमा किये गये माल के सम्बन्ध में दी गई रसीद का सम्यक् अनुक्रम से धारी हो और जो सम्यक् पृष्ठांकन या हस्तान्तरण द्वारा निक्षेप्ता या उसके वैध हस्तांतरी से माल में स्वत्व प्राप्त करे;

(ग) "माल" का तात्पर्य ऐसी वस्तु अथवा वस्तुओं से है जो नियत की जायं;

(घ) "लाइसेंस" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन स्वीकृत अथवा धारा ६ के अधीन नवीकृत लाइसेंस से है;

(ङ) "लाइसेंस-प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन लाइसेंस-प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन एवं उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकारी से है;

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(छ) "रसीद" का तात्पर्य नियत प्रपत्र में गोदाम की रसीद से है जो गोदाम-परिचालक द्वारा निक्षेप्ता को दी जाये तथा जिससे

यह व्यक्त हो कि उसमें लिखा माल उसके गोदाम में जमा किया गया है ;

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(झ) "गोदाम" का तात्पर्य किसी ऐसे भवन, इमारत अथवा अन्य पटे हुये घेरे से है जो निक्षेप्ताओं की ओर से माल जमा रखने के काम में लाया जाये या लाया जा सके ;

(ञ) "गोदाम-परिचालक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपने गोदाम के लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, तथा

(ट) "सम्यक् अनुक्रम से धारी" का अर्थ वही है जो निगोशिएबिल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट, १८८१ में पद "होल्डर इन ड्यू कोर्स (holder in due course)" का है।

गोदाम-परिचालक।

३—कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस तथा समय-समय पर नियत की जाने वाली तत्सम्बन्धी शर्तों के अनुसरण के बिना गोदाम-परिचालक का व्यवसाय नहीं करेगा।

लाइसेंस की स्वीकृति

४—(१) लाइसेंस के लिए प्रत्येक प्रार्थना-पत्र नियत प्रपत्र में, नियत शुल्क के साथ, लाइसेंस-प्राधिकारी को दिया जायगा ;

(२) लाइसेंस की स्वीकृति देने के पहले लाइसेंस-प्राधिकारी इस विषय में अपना समाधान कर लेगा कि :

(क) प्रस्तावित गोदाम उस वर्ग विशेष का माल ठीक से जमा रखने के लिये उपयुक्त है, जिसके लिए लाइसेंस की प्रार्थना की गई है ;

(ख) प्रार्थी ने प्रतिभूति की नियत राशि दे दी है ;

(ग) प्रार्थी अन्य ऐसी शर्तें, जो नियत की जायं, पूरी करता है ;

(घ) ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि प्रार्थी लाइसेंस-प्राधिकारी के विचार में अनर्ह समझा जाय;

(३) जब पूर्वोक्त सब शर्तें पूरी हो जायं तो लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन

५—राज्य सरकार सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित कर के गोदाम-परिचालक को धारा ४ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस की शर्तों में परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकती है।

लाइसेंस की अवधि तथा उसका नवीकरण

६—धारा ४ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस नियत की जाने वाली अवधि तक वैध होगा तथा गोदाम-परिचालक द्वारा प्रार्थना-पत्र एवं नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस-प्राधिकारी समय-समय पर ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो नियत की जाय, लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ में दी हुई अन्य शर्तें पूरी होती रहनी चाहिए।

लाइसेंस के नवीकरण की अस्वीकृति की सूचना

७—जब लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस स्वीकृत करना अथवा उसका नवीकरण अस्वीकार करे तो वह अस्वीकृति के कारण लिखेगा तथा उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि प्रार्थी को भेजेगा।

लाइसेंस का निलम्बन तथा रद्द करना

८—लाइसेंस-प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक लाइसेंस स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रद्द अथवा निलम्बित किया जा सकता है यदि उसकी राय में लाइसेंस-गृहीता :

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है ; अथवा

(ख) गोदाम पर नियंत्रण से पूर्णतः अथवा अंशतः अलग हो गया है; अथवा

(ग) ने गोदाम का संचालन बन्द कर दिया है ; अथवा

(घ) ने अपनी सेवाओं के लिए अनुचित परिव्यय मांगा या वसूल किया है ; अथवा

(ङ) उस गोदाम के संचालन के लिए किसी अन्य प्रकार से अक्षम हो गया है ; अथवा

(च) ने लाइसेंस की किन्हीं शर्तों का अथवा इस अधिनियम या नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है अथवा उनका पालन नहीं किया है ।

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन अथवा रद्द करने का आदेश देने के पूर्व लाइसेंस-प्राधिकारी गोदाम-परिचालक को एक नोटिस देगा जिसमें वे कारण वर्णित रहेंगे जिनके आधार पर लाइसेंस को निलम्बित अथवा रद्द करने का विचार हो तथा उसे समुचित अवसर देगा कि वह कारण बतलाये कि उसका लाइसेंस क्यों न निलम्बित अथवा रद्द कर दिया जाय,

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां लोक-हित में तुरन्त कार्यवाही आवश्यक हो वहां लाइसेंस-प्राधिकारी कारण लिखने के पश्चात् बिना इस प्रकार का नोटिस दिये लाइसेंस निलम्बित कर सकता है ।

लाइसेंस लौटाना

९—(१) जब लाइसेंस समाप्त, निलम्बित अथवा रद्द हो जाय तो गोदाम-परिचालक उस रूप में कार्य करना बन्द कर देगा तथा लाइसेंस लाइसेंस-प्राधिकारी को लौटा देगा, जो कि गोदाम-परिचालक को व्यवसाय के उपसंहार (winding up) के लिये उचित समय दे देगा ।

(२) जब गोदाम-परिचालक उपधारा (१) के अनुसार लाइसेंस नहीं लौटाता है, तो लाइसेंस-प्राधिकारी प्रतिभूति की धनराशि को पूर्णतः अथवा अंशतः जब्त करने का आदेश दे सकता है ।

लाइसेंस की दूसरी प्रति

१०—जब गोदाम-परिचालक का स्वीकृत लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विकृत हो जाय अथवा अन्य प्रकार से अस्पष्ट हो जाय तो लाइसेंस-प्राधिकारी नियत रीति से तथा नियत शुल्क दिये जाने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर देगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और इस विधेयक, के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।

खंड ११–१४

११—प्रत्येक गोदाम-परिचालक अपने पास जमा किये गये माल की उतनी देख-भाल करेगा जितनी कि उसी प्रकार की परिस्थितियों तथा अवस्थाओं में औसत विचारशीलता वाला कोई व्यक्ति अपने माल की करेगा।

जमा किये गये माल की उचित देख-भाल

१२—(१) प्रत्येक गोदाम-परिचालक गोदाम में जमा किये गये माल को हानि तथा क्षति से बचाने के लिए अपने गोदाम को ऐसी अवस्था रखेगा जो नियत की जाय।

माल को क्षति से बचाने के लिये सावधानी

(२) कोई गोदाम-परिचालक जमा करने के लिए ऐसा माल नहीं लेगा जिससे कि दूसरे माल को, जो जमा हो अथवा आगे जमा किया जाये, क्षति होने की संभावना हो।

माल की पहचान का परिरक्षण

१३—प्रत्येक गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में एक निक्षेप्ता के माल को दूसरे निक्षेप्ताओं के माल से, तथा उसी निक्षेप्ता के अन्य ऐसे माल से, जिसके लिए अलग रसीद दी गई हो, ऐसी रीति से अलग रखेगा जिससे कि जमा किये गये मालों की हर समय पहचान हो सके तथा वे सरलता से दिये जा सकें :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्धारित कोटि के अनुसार बनाये गये (standardized) और निर्धारित श्रेणी के (graded) माल किसी गोदाम में जमा किये जायें तो, किसी विपरीत संविदा के अधीन रहते हुए, एक ही तरह का माल जो एक निक्षेप्ता अथवा विभिन्न निक्षेप्ताओं का हो साथ में रखा जा सकता है, और प्रत्येक निक्षेप्ता सूख तथा सिकुड़न का यथोचित ध्यान रखते हुये यथास्थिति अपनी रसीद में व्यक्त भार अथवा परिमाण के अनुसार केवल अपने माल की मात्रा का अधिकारी होगा।

गोदाम-परिचालकनिक्षेप्ता को माल के निरीक्षण की सुविधाएं देगा

१४—प्रत्येक गोदाम -परिचालक निक्षेप्ता को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो नियत किया जाय, निरीक्षण करने के लिए तथा यह समाधान करने के लिए कि माल की उचित रूप से देखभाल की जा रही है, आवश्यक सुविधायें देगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५–१७

गोदाम में माल का क्षीण होना तथा उसका निस्तारण

१५—(१) जब कभी भी गोदाम में जमा किया गया माल गोदाम-परिचालक के वश के बाहर के कारणों से क्षीण होने लगे अथवा उसके क्षीण होने की संभावना हो तो वह तुरन्त निक्षेप्ता को इस आशय का नोटिस देगा जिसमें उससे अपेक्षा करेगा कि वह यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस कर के तथा गोदाम-परिचालक को देय पूरे परिव्यय दे कर माल तुरन्त वापस ले ले।

(२) यदि निक्षेप्ता उपधारा (१) के अधीन दिये गये नोटिस का पालन नियत समय के भीतर नहीं करता तो गोदाम-परिचालक निक्षेप्ता के व्यय तथा जिम्मेदारी पर माल को गोदाम से हटवा सकता है और उसका सार्वजनिक रूप से नीलाम करवा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम-परिचालक ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, बिक्री की पूर्व सूचना उसके कम से कम ४८ घंटे पहले देगा।

स्पष्टीकरण:--सूखने अथवा सिकुड़ने के कारण भार या परिमाण की हानि अथवा नमी सोख लेने के कारण परिमाण या भार की वृद्धि इस धारा के अर्थों में क्षीण होना समझा जायगा, यदि हानि या वृद्धि ऐसी सीमाओं से, जो नियत की जायं, अधिक हो।

माल की दशा के विषय में सूचना

१६---कोई व्यक्ति, जो गोदाम में जमा किये गये किसी माल में या ऐसे माल की रसीद में स्वत्व रखता हो, गोदाम-परिचालक को इस तथ्य की तथा अपने स्वत्व की प्रकृति की लिखित सूचना दे सकता है और गोदाम-परिचालक इस बात का अभिलेख रखेगा। यदि ऐसा व्यक्ति लिखित प्रार्थना करता है कि माल की दशा के सम्बन्ध में उसे सूचित किया जाये तथा वह उस सूचना के लिए व्यय देने को सहमत हो तो गोदाम-परिचालक उसे तदनुसार सूचना देगा।

माल देना

१७---(१) निक्षेप्ता के मांगने पर, तथा उसके यथाविधि भरपाई की हुई रसीद वापस करने और गोदाम-परिचालक को देय पूरे परिव्यय देने पर प्रत्येक गोदाम-परिचालक उसे अपने गोदाम में जमा किया हुआ माल अनावश्यक विलम्ब के बिना दे देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि निक्षेप्ता अपने तथा गोदाम-परिचालक के बीच किसी अनुबन्ध के अधीन रहते हुए, गोदाम में जमा किये गये माल को आंशिक रूप से वापस (partial delivery) ले सकता है।

(२) गोदाम-परिचालक को इस प्रकार दी जाने के पश्चात् प्रत्येक ऐसी रसीद उसके द्वारा विरूपित कर दी जायेगी तथा पुनः जारी नहीं की जायेगी।

(३) जब निक्षेप्ता द्वारा माल आंशिक रूप से ही वापस लिया जाये तो गोदाम-परिचालक शेष माल की एक नई रसीद दे देगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५, १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८-२०

जमा किये गये माल में कमी अथवा वृद्धि के लिए गोदाम-परिचालक का उत्तरदायित्व

१८--(१) गोदाम परिचालक निक्षेप्ता को सिकुड़ अथवा सूख जाने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी हो जाने के कारण हुई उसकी हानि अथवा नमी सोख लेने के फलस्वरूप माल के भार अथवा परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक वृद्धि होने से उसके गुण क्षीण होने के कारण हुई उसकी हानि के बदले नियत रीति से अवधारित प्रतिकर का देनदार होगा।

(२) जब इस सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो कि भार या परिमाण में नियत सीमाओं से अधिक कमी या वृद्धि सूख या नमी सोख लेने के कारण है अथवा अन्य ऐसे कारणों से है जो गोदाम-परिचालक के वश के बाहर थे तो यह विवाद धारा ३४ में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका कि इस सम्बन्ध में निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

गोदाम के माल का बीमा

१९--प्रत्येक-गोदाम परिचालक ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, अपने गोदाम में जमा माल का अग्नि, वर्षा, बाढ़, चोरी, दंगा या ऐसी ऐसी अन्य घटना द्वारा, जो नियत की जाय, हानि या क्षति के विरुद्ध बीमा करायेगा।

२०--कोई गोदाम-परिचालक अपने व्यवसाय के संचालन में उन व्यक्तियों में विभेद नहीं करेगा जो उसके गोदाम की सुविधाओं का उपयोग करने की इच्छा करते हों: विभेद-निषेध

प्रतिबन्ध यह है कि गोदाम-परिचालक सहकारी समिति को ऐसी अधिमान्यता देगा तथा उसके लिये ऐसी रियासती दरें रखेगा जो नियत की जांय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १८, १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१--किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सहकारी समिति या ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट ऐंड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन स्थापित किसी सेन्ट्रल अथवा किसी स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से भिन्न कोई गोदाम-परिचालक अपन गोदाम में जमा करने के लिए प्राप्त माल से अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से न व्यापार करेगा न उस पर रुपया उधार देगा। गोदाम-परिचालक गोदाम में जमा माल से न तो व्यापार करेगा और न उस पर रुपया उधार देगा

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२-२४

२२--गोदाम-परिचालक गोदाम में माल जमा रखने के लिए ऐसे परिव्यय ले सकता है, जो नियत किये जायं। सेवा परिव्यय

२३--गोदाम-परिचालक हिसाब-किताब तथा अभिलेख ऐसे आकार में तथा रीति से रखेगा जो नियत किये जायं। लेखे आदि का रखा जाना

२४--प्रत्येक गोदाम-परिचालक का अपने गोदाम में जमा किये गये माल पर, माल जमा रखने के परिव्यय तथा उससे सम्बन्धित अन्य सभी आनुषंगिक परिव्ययों के लिये ग्रहणाधिकार (lion) होगा। गोदाम-परिचालक का ग्रहणाधिकार

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२, २३ और २४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

२५--(१) लाइसेंस-प्राधिकारी नियत प्रपत्र में प्रार्थना-पत्र तथा नियत शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि दिये जाने पर नियत अर्हताओं वाले व्यक्तियों को लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है, जो उन्हें लाइसेंस प्राप्त गोदाम में जमा किये गये अथवा जमा किये जाने वाले किसी माल के तौल, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का कार्य करने तथा अपने द्वारा परीक्षित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के बारे में प्रमाण-पत्र देने के लिये प्राधिकृत करेगा। तौल (weighers) नमूना बनाने वाले (samplers) तथा वर्गकार (classifiers) का लाइसेंस लेना

(२) इस प्रकार दिया गया कोई प्रमाण-पत्र, धारा २९ के अधीन मध्यस्थ-मंडल में की गई अपील के आदेश के अधीन रहते हुये, गोदाम-परिचालक तथा निक्षेप्ता के लिए इस प्रकार प्रमाणित माल के भार, परिमाण, प्रकार अथवा श्रेणी के विषय में बन्धनकारी होगा।

(३) कोई भी व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है, न तो तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार के रूप में काम करेगा और न स्वयं को इस रूप में प्रकट करेगा।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड २५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "लाइसेंस प्राप्त गोदाम" के स्थान पर शब्द "गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम" रख दिये जायं।

मुझे इसमें कुछ अधिक नहीं कहना है। यह केवल शाब्दिक संशोधन है। लाइसेंस प्राप्त गोदामों की इसमें कोई डैफिनिशन नहीं है। इससे वह स्पष्ट हो जाती है।

श्री मोहनलाल गौतम--यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "लाइसेंस प्राप्त गोदाम" के स्थान पर शब्द "गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशप्रसाद--मैं यह संशोधन रखता हूं कि खंड २५ के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "है" तथा शब्द "न तो" के बीच में शब्द "गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम में रक्खे जाने वाले माल के सम्बन्ध में" रख दिये जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २५ के उपखंड (३) की पंक्ति २ में शब्द "है" तथा शब्द "न तो" के बीच में शब्द "गोदाम परिचालक द्वारा चालित गोदाम में रखे जाने वाले माल के सम्बन्ध में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

धारा २५ के अधीन स्वीकृत लाइसेंस संबंधी उपबंध।

२६--(१) तौला, नमूना बनाने वाले तथा वर्गकार का धारा २५ के अधीन स्वीकृत प्रत्येक लाइसेंस ऐसी अवधि तक वैध होगा जो नियत की जाय तथा प्रार्थना-पत्र एवं नियत शुल्क दिये जाने पर समय-समय पर ऐसी और अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा, जो नियत की जाय।

(२) लाइसेंस-प्राधिकारी लाइसेंस-गृहीता को उन कारणों की सूचना देने के पश्चात् जिनके आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो तथा उस इसके विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देने के पश्चात्, कोई भी लाइसेंस रद्द कर सकता है।

(३) जब लोकहित में तुरन्त कार्यवाही करने की अपेक्षा हो तो लाइसेंस अधिकारी, कारण लिखने के पश्चात्, कोई भी लाइसेंस बिना उक्त सूचना दिये निलम्बित कर सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

२७—जब कभी तौला, नमूना बनाने वाले अथवा वर्गकार को स्वीकृत लाइसेंस समाप्त हो जाय अथवा निलम्बित या रद्द कर दिया जाय तो लाइसेंस-गृहीता उसे लाइसेंस-प्राधिकारी को लौटा देगा और उसके ऐसा न करने पर उसकी सम्पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी । लाइसेंस लौटाना

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २८—३८

२८—प्रत्येक गोदाम परिचालक अपने गोदाम में जमा किये जाने वाले माल के तौलने, उसका नमूना बनाने एवं उसके वर्गीकरण की उन सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो नियत की जायं । माल तौलने आदि के लिये सुविधायें देना

२९—लाइसेंस-प्राधिकारी गोदाम में जमा माल के प्रकार, भार अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में किसी तौला, नमूना बनाने वाले वर्गकार अथवा गोदाम-परिचालक के विरुद्ध किसी शिकायत का नियत रीति से निर्णय करने के लिये नियत रीति से एक मध्यस्थ-मण्डल का संघटन कर सकता है । मध्यस्थ-मंडल का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी । मध्यस्थ-मंडल

३०—गोदाम-परिचालक अपने गोदाम में जमा किये गये माल की रसीद देगा । रसीद देना

३१—यदि गोदाम-परिचालक द्वारा दी गई रसीद में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, तो वह पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरणीय होगी एवं सम्यक् अनुक्रम से धारी व्यक्ति को उसमें निर्दिष्ट माल उन्हीं शर्तों पर पाने के लिये अधिकृत करेगी जिन पर कि मूल निक्षेपता पा सकता । रसीद का पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरण

३२—यदि रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय अथवा बिगड़ जाय तो निक्षेप्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने तथा नियत शुल्क चुकाये जाने पर, गोदाम-परिचालक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा । दूसरी रसीद

३३—लाइसेंस-प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम तथा नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ऐसे समय के अन्दर, जो नियत किया जाय, कभी भी किसी गोदाम, उसके यन्त्र तथा साज-सज्जा का, उसमें जमा किये गये माल तथा उससे संबंधित हिसाब-किताब और अभिलेख का निरीक्षण या परीक्षण कर सकता है अथवा करा सकता है । निरीक्षण

३४—(१) लाइसेंस-प्राधिकारी की गोदाम-परिचालक का कोई लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत न करने अथवा निलम्बित या रद्द करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील ऐसे प्राधिकारी को तथा ऐसी अवधि के भीतर की जा सकेगी जो नियत की जाय । अपील

(२) अपील सुनने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

लाइसेंस के निलम्बन अथवा रद्द करने के लिये प्रतिकर न मिलना

३५--इस अधिनियम के अधीन जब कोई लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द किया जाय तो लाइसेंस-गृहीता उसके लिये किसी प्रतिकर का अधिकारी न होगा और यदि उसने कोई शुल्क दिया हो तो उसकी वापसी का भी अधिकारी न होगा ।

इस अधिनियम से असंगत अनुबंध शून्य होंगे

३६--प्रत्येक संविदा और अनुबंध, जो इस अधिनियम या नियमावली के उपबंधों से असंगत हों, ऐसी असंगति की आयति तक शून्य (void) होगा ।

दन्ड तथा प्रकिया

३७--(१) जो कोई :

(क) इस अधिनियम के अधीन, लाइसेंस प्राप्त किये बिना, लाइसेंस प्राप्त गोदाम-परिचालक, तौला, नमूना बनाने वाले या वर्गकार का कार्य करता है या अपने को ऐसा प्रकट करता है, अथवा

(ख) इस अधिनियम के या नियमों के किन्हीं उपबंधों या अपेक्षाओं का जानबूझ कर उल्लंघन करता है अथवा अनुपालन नहीं करता है,

तो वह कारावास द्वारा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या अर्थ-दंड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों द्वारा, दंडनीय होगा ।

(२) जब उपधारा (१) के अधीन कोई अपराध करने वाला कोई कम्पनी या कोई संस्था अथवा व्यक्तियों का समुदाय हो, चाहे वह निगमित हो या न हो, तो उस कम्पनी, संस्था या समुदाय के कार्यों का प्रबन्ध करने वाले प्रबंधक, सचिव, अभिकर्त्ता अथवा अन्य मुख्य अधिकारी को, जब तक कि वह यह प्रमाणित न कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, उस अपराध का दोषी समझा जायगा ।

नियम

३८--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतया और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है; अर्थात्--

(क) इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंसों का आकार (प्रपत्र) तथा उनकी शर्तें ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के स्वीकरण, नवीकरण, रद्द करने तथा निलम्बन से सम्बद्ध प्रक्रिया ;

(ग) समय-समय पर लाइसेंसों के स्वीकरण, निलम्बन, तथा रद्द करने और गोदाम परिचालकों को एवं उनके गोदामों की सूची का प्रकाशन ;

(घ) प्रतिभूति की धनराशि को जब्त करने की प्रक्रिया ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन सूचनायें देने की रीति ;

(च) धारा ७ के अधीन आदेशों को संदिष्ट करने की रीति ;

(छ) धारा १५ के अधीन सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल बेचने की रीति ;

(ज) आकार (प्रपत्र) तथा रीति जिसमें धारा १६ के अधीन सूचना भेजी जायगी तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्यौरे ;

(झ) धारा १७ के अधीन माल देने की प्रक्रिया ;

(ञ) धारा २५ के अधीन दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का आकार (प्रपत्र) ;

(ट) लाइसेंस-प्राप्त गोदामों में प्रयोग के लिये प्रमाणिक बांट, नाप तथा मालों का श्रेणी-निर्धारण ;

(ठ) धारा २९ के अधीन मध्यस्थ-मंडलों की कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उनके निर्णय के निष्पादन की रीति ;

(ड) अपीलों के निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) सामान्यतया गोदाम-परिचालक के कार्य का दक्ष संचालन ; तथा

(ण) ऐसे अन्य विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा जो नियत किये जा सकें ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बन जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रखे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान-मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे इस प्रकार उसके समक्ष रखे जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ और ३८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश में गोदामों के अधीक्षण तथा नियन्त्रण की व्यवस्था करने के लिये विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में गोदामों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय तथा उनके उचित अधीक्षण एवं नियन्त्रण की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश गोदाम अधिनियम, १९५८" कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी तथा शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोदाम विधेयक, १९५८, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति बनी थी और मुझे इस बात को कहने में हर्ष हो रहा है कि जो रिपोर्ट यहां पेश की गयी है वह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई है । इसको सभी दलों के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है और वह रिपोर्ट इस समय सदन के सामने पेश है । मैं इस पर कुछ अधिक न कहते हुए इसको सदन में विचार के लिये पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ की (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) धारा २ में—

(१) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(क) 'गोमांस' का तात्पर्य गाय के तथा ऐसे सांड़ अथवा बैल के मांस से है जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध है ; किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो ।

(२) खंड (ख) में शब्द "अन्तर्गत" तथा "बछिया" के बीच में आये हुए शब्द तथा कामा "सांड़, बैल" तथा कोष्ठक के अन्दर के शब्द तथा कामा "bull, bullock" निकाल दिये जायं ; तथा

---

*संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २५ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

(३) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (गग) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(गग) 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके सक्षम प्राधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग एवं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायें, नियुक्त किये जायें।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"३—(१) उन दशाओं को छोड़ कर जिनके लिये कि यहां आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी स्थान में—

(क) गाय का, अथवा

(ख) सांड़ या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से जहां कि उस सांड़ या बैल का वध किया जाना है, उसके सम्बन्ध म यह लिखित प्रमाण-पत्र कि वह वध करने के योग्य है, प्राप्त न कर लिया हो, न तो वध करेगा और न वध करवायेगा न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो अथवा कोई प्रतिकूल रुढ़ि अथवा प्रथा हो।

(२) किसी सांड़ या बैल का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (१) (ख) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है, प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर, अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से बीस दिन के अन्दर, वध नहीं किया जायगा।

(३) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (१) (ख) के अधीन, प्रमाण-पत्र केवल तब दिया जायगा जब कि वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् यह प्रमाणित कर दे कि

(क) सांड़ या बैल [१५] बीस वर्ष से अधिक आयु का है। तथा

(ख) वह सांड़ प्रजनन कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है या वह बैल भार वहन तथा किसी प्रकार के कृषि-कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिता जानबूझ कर उत्पन्न न की गई हो।

(४) सक्षम प्राधिकारी की इस धारा के अधीन आज्ञा से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, आज्ञा के दिनांक से २० दिन के भीतर, राज्य सरकार के पास उसके विरुद्ध अपील कर सकता है तथा राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।

(५) राज्य सरकार किसी भी समय इस धारा के अधीन किये गये कार्य की वैधता या उसके औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी भी मामले का अभिलेख मंगा सकती है तथा उसकी जांच कर सकती है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है, जो वह उचित समझे।

(६) यहां दिये हुए उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर, आपत्ति नहीं की जा सकेगी।"

श्री अध्यक्ष—अभी एक संशोधन आया है। यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं इसकी इजाजत दूंगा। संशोधन इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण संशोध विधेयक, १९५८ के प्रस्तावित खंड ३ के उप खंड (४) के शुरू में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं।

"सक्षम प्राधिकारी उपधारा (३) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा उसे अस्वीकृत करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा।"

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यह तो क्लियरिफिकेशन है उसका।

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसको उपस्थित करने की इजाजत देता हूं।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ के प्रस्तावित खंड ३ के उपखंड (४) के शुरू में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"सक्षम प्राधिकारी उपधारा (३) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा उसे अस्वीकृत करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा।"

यह बहुत मासूम-सा संशोधन है और इसका मतलब केवल यह है कि जो आज्ञा वह देगा वह ब्लैक और व्हाइट में होगी। मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, के प्रस्तावित खंड ३ के उपखंड (४) के शुरू में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :

"सक्षम प्राधिकारी उपधारा (३) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने अथवा उसे अस्वीकार करने से पूर्व अपनी आज्ञा को लेखबद्ध करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४, ५ व ६

४—मूल अधिनियम की धारा ४ में, जहां कहीं भी शब्द "गाय" आया है उसके स्थान पर शब्द "गाय, सांड़ अथवा बैल" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा ४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) में शब्द "गायों" के स्थान पर शब्द "गायों, सांड़ों अथवा बैलों" रख दिये जायं ।

(२) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाये—

"(कक) धारा ३ के अधीन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र, तथा आवेदन-पत्रों और अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया ।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, सन् १९५६ की धारा १० का संशोधन।

६—उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन रहा हो ।

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५८ यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग बनें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६

विधेयक

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण अधिनियम, १९५५ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त गवर्नर द्वारा १३ जून, १९५८ को उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया था ;

उ० प्र० अधिनियम संख्या १, १९५६

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय ;

उ०प्र० अध्यादेश संख्या २, १९५८

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक १९५८ ["The U. P. Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Bill, 1958"] जैसा कि वह संयुत प्रवर समिति द्वारा पारित हुआ है और और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, तथा जो इस सदन द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर, समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह अवसर मुझे आज मिला कि मैं नगर निगम विधेयक को इस सदन के समक्ष विचार करने के हेतु उपस्थित कर सकूं। वास्तव में बहुत पहले ही यह नगर निगम बना था, लेकिन सरकार को बहुत काम रहने की वजह से यह न आ सका। एक साल पहले हमने इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया और वहां से आने के बाद मुझे यह मौका मिला कि आज मैं इसको इस सदन के सामने उपस्थित करूं।

आज यह मेरे लिये एक दुःख की बात है कि यह विधेयक मुझे एक ऐसे समय में उपस्थित करना पड़ा है, जबकि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। सौभाग्य से यह विधेयक ऐसा था जिस पर अधिक से अधिक एक मत, इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले, दोनों तरफ से, प्राप्त हुआ है। बिना किसी पार्टी या दलबंदी का खयाल किये हुए इस नगर निगम पर सब लोगों ने विचार किया है। इसके पीछे भावना यह रही कि यह जो विधेयक हम ला रहे हैं, इसके मातहत जो प्रबंध होगा, वह शायद सदियों तक चले और इस बीच में न मालूम कितनी पार्टियों और दलों में एलाइनमेंट हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिये जो स्थायी प्रबंध इस प्रदेश के लिये होने जा रहा है उसको पार्टी बाजी का शिकार न बनाया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय में मुझे सबका सहयोग मिला।

श्रीमन्, जैसा कि आपने देखा कि जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है, वह करीब-करीब एक मत से है। कुछ लोगों को कुछ बुनियादी चीजों पर मतभेद था, लेकिन उन्होंने भी इस मतभेद को विरोध का रूप नहीं दिया और करीब-करीब पूर्ण सहयोग के साथ यह विधेयक प्रवर समिति से इस सदन के सामने आया है। कुछ खास बातें हैं, जिनमें परिवर्तन किये गये हैं, उनका दिग्दर्शन मैं करा देना चाहता हूं।

वैसे तो इतने दिनों से यह विधेयक इस सदन के सामने है और इतना बड़ा यह विधेयक है कि उस सब पर मैं कहने की चेष्टा नहीं करूंगा। मुझे आशा यह करनी चाहिये कि माननीय सदस्यों ने इसको काफी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा होगा, क्योंकि इतना समय इस पर विचार करने के लिये मिला है। इसके साथ ही साथ एक बात और भी याद रखना चाहिये कि यह विधेयक कोई नया विधेयक नहीं है, इसके द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है जो हमारे देश में या अन्य देशों में पहले से उपलब्ध न हो। सिर्फ हमने अपने प्रदेश का खयाल रखते हुए बहुत थोड़ा सा हेरफेर इसमें किया है और जो भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्पोरेशन ऐक्ट प्रचलित हैं, उनमें से जो अपने लिये अनुकूल समझा है उसको अपना लिया है।

(इस समय ३ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुए।)

---

*संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन ३० अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में छपा है। विधेयक छापा नहीं गया।

खास अन्तर जो इसमें रखा गया है उसमें पहला यह है कि हम मेयर को सम्मान का स्थान दे रहे हैं, लकिन साथ ही हमारे प्रदेश के जैसे छोटे नगरों के लिये जो बम्बई जैसे बड़े नहीं हैं शायद यह वांछनीय न हो कि सिर्फ प्रतिष्ठा का स्थान उनको हम दें और निगम के जो कार्य हैं, उसके एक्जीक्यूटिव कामों में उसका दखल न रखें। और पहले विधेयक में यही व्यवस्था की गयी थी कि वह जो हमारी एक्जीक्यूटिव कमेटी है जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं और जिसका नाम बदल कर एक्जीक्यूटिव कमेटी कर दिया गया है, उसका भी वह हेड होता है उसे प्रेसाइड करता है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर उसे स्थायित्व दें और उसे एक्जीक्यूटिव कमेटी का सदर बना दें तो फिर यह जरूरी था कि वह एक साल के लिये न हो बल्कि उसकी जो अवधि है वह कम से कम तीन साल या पांच साल के लिये हो ताकि जो स्कीम्स हों, जो प्रस्ताव हों, और योजनायें निगम के सामने हों उसकी वाकफियत उसे हो सके, मनुष्यों से, स्थानों से, स्कीमों से उसको फैमिलियरिटी हो सके, वह उनको जान सके। एक साल का समय इतना कम होता है कि उतने समय के अन्दर कोई भी व्यक्ति, अगर वह सचमुच में नियन्त्रण रखना चाहता है तो उसके लिये वह नाकाफी है और अगर हम सिर्फ एक साल की अवधि मेयर के लिये रखते हैं तो वह एक फिगर हेड रह जाता है और कोई इफेक्टिव कंट्रोल उसके शासन पर अपने निगम की एक्जीक्यूटिव के ऊपर नहीं रख सकता और अगर हम उसकी अवधि बढ़ाते हैं तो फिर वह स्थानीय दलादली, खींचातानी और पार्टीबाजी से अलग नहीं रह सकेगा। क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर दो या तीन या अधिक मत न हों और जब कोई भी मेयर इस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा तो कुछ लोगों का विरोध उसको स्वाभाविक मिलना आवश्यक हो जायगा और ऐसी हालत में यह जरूरी होगा कि हम उसके विरुद्ध नो कांफिडेंस मोशन, अविश्वास का प्रस्ताव लाने की व्यवस्था रखें, लेकिन अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो जो मेयर की हमने कल्पना की थी कि वह नगर का सबसे पहला नागरिक होगा, सबसे आगे का स्थान उसको मिलेगा और दूसरे बड़े से बड़े आदमी को भी वह स्थान प्राप्त नहीं होगा, उसके बाद ही दूसरे को स्थान मिलेगा, तो उसके उस पद और उसकी मर्यादा को देखते हुए अविश्वास के प्रस्ताव के रखने की बात ठीक नहीं जंची, क्योंकि जिस आदमी के विरुद्ध घृणा हो, द्वेष हो, पार्टीबाजी हो, वह आदमी वह स्थान नहीं रख सकता है जिसकी कल्पना हमने की थी। और इसलिये यह जरूरी हो गया कि हम मेयर को सिर्फ जैसा कि स्पीकर का एक स्थान होता है जो आदर और सम्मान का स्थान होता है वह उसे दें और वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा जाय और उसे एक्जीक्यूटिव के कामों से अलग रखा जाय। इसके लिये यह जरूरी समझा गया कि जो डिप्टी मेयर हो उसको यह काम दें कि वह एक्जीक्यूटिव का, स्टैन्डिंग कमेटी का चेयरमैन हो। यही प्रथा श्रीमन्, बम्बई वगैरह में है और वहां काफी अच्छी तरह से सफलता के साथ वह पद्धति चलती रही है। यहां तक कि बहुत से बड़े-बड़े नेता जिन्होंने २० साल तक निगम की डिप्टी मेयरशिप का काम किया है, उन्होंने मेयर बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि डिप्टी मेयर रहे और सचमुच में उन आदमियों का ऐसे बड़े-बड़े नगरों के बनाने में काफी हाथ रहा और उन्होंने ऐसी योजना लागू की जिसको हम भी कार्यान्वित कर सकते हैं। वही कल्पना हमने आज यहां की है।

दूसरी चीज जिन चीजों को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं, दलादली होती है वे ये हैं कि हमारे सदस्य जो म्युनिसिपल बोर्ड्स के हैं, कारपोरेशन के हैं वे छोटे-छोटे प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लगते हैं।

जहां तक सिद्धान्त का और नीति का सवाल है उससे आगे बढ़ कर किस व्यक्ति का एप्वाइंटमेंट हो, किस व्यक्ति को कंट्रैक्ट या ठेका दिया जाय, इस हद तक जब लोग बढ़ने लगते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन तक में इंटरफियर करते हैं। तो फिर ऐडमिनिस्ट्रेशन की पवित्रता कायम नहीं रह सकती है। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वह यह कि आपस में मनोमालिन्य बढ़ता है, अनावश्यक तौर से बदमजगी बढ़ती है और कटुता बढ़ती है। उस चीज को हटाने के लिये भी यह उचित समझा गया, कि जिस तरह से असेम्बली या पार्लियामेंट में छोटी-छोटी चीजों में, जो सदस्य हैं वे लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, नीति तक, बजट तक वहीं तक अपना कंट्रोल

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

रखते हैं उसी तरह वही व्यवस्था हमने यहां की और म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में बाकी शक्ति दी।

जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है उसमें भी यह कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जो अप्वाइंटमेंट्स हों वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत हों या एक आफिसर न करे बल्कि उसकी ऐडवाइस के लिए दो तीन आफिसर हों। जिस विभाग का प्रश्न हो उस विभाग का हेड, डिप्टी मेयर और इस तरह से और जो हमारा आडिटर होगा, वह रहे। इस तरह से उनका चुनाव वगैरह उनकी मार्फत हो।

यह खास-खास बातें हैं जिनमें हमने परिवर्तन किया है। छोटी-छोटी बातों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूं और एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि कम से कम समय में मैं चाहूंगा कि इसको पारित किया जाय। गो देखने को यह बिल बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कुशल की बात यह है कि इस तरह के ऐक्ट्स कई जगह पर कई जगह स्टेट्स में पास हो चुके हैं और हमारे देखते-देखते हमारे बाद में दिल्ली में लाया गया और आठ दस दिन के अन्दर वहां पर पारित कर दिया गया। तो श्रीमन्, अगर इस सदन को यह मंजूर हो तो मैं चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसे पारित करें और इस पर विचार किया जाय, यह मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत करते समय अपने विचार प्रकट किये हैं उनमें से बहुतों से मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। श्रीमन्, सिविक लाइफ, नागरिक जीवन का एक विशेष महत्व होता है। एक समय था जब इस देश में हमारे बड़े से बड़े नेताओं का क्षेत्र नागरिक जीवन में नियंत्रण तक ही सीमित था। आपको याद होगा हमारे प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे। कलकत्ता कारपोरेशन के चेयरमैन श्री सी० आर० दास रहे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन सरदार बल्लभ भाई पटेल रहे। उनके स्वशासन में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये वह हम सबको याद है। हमें याद हैं श्रीमन्, हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता चाहे वह माडरेट ही सही, लेकिन जिनका देश में काफी महत्व था, फीरोजशाह मेहता, वह बम्बई म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे। एक समय था जिस समय हमारे देश में हम लोगों को कोई और अधिकार नहीं थे, और राजनीतिक अधिकार केवल नागरिक क्षेत्र तक ही सीमित थे। उस समय हमारे बड़े से बड़े नेता ने, महान् से महान् व्यक्ति ने सिविक लाइफ में अपनी कैपेसिटी का काफी प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने काल में जिस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यों का संचालन किया वह हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मुझे यह याद है कि इलाहाबाद नगरपालिका के चेयरमैन की हैसियत से पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि मैं म्युनिसिपिल प्रशासन में जिस तरह इलाहाबाद नगरपालिका का काम कराना चाहता था उस तरह मैं नहीं करा सका। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे अनेक कार्य क्षेत्रों में, म्युनिसिपैलिटियों का, नागरिक जीवन का नियन्त्रण करना उसको ऊंचे स्तर पर लाकर संचालन करना यह हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष कर जब कि नगरपालिकाओं और कारपोरेशन्स की बराबर आबादी बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ नगरों में जिनकी पहले २,००,००० आबादी थी आज ४,००,००० हो गई, जिनकी ३,००,००० थी उनकी बढ़कर ८,००,००० तक हो चुकी है। तो यह विधेयक हमारे सामने इसलिये प्रस्तुत हुआ कि हमारे प्रदेश के जो ५ सबसे अधिक आबादी वाले नगर हैं वहां पर नगर निगम की स्थापना हो।

श्रीमन्, नगर निगम और म्युनिसिपैलिटीज के ऐक्ट में काफी अन्तर होने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जाती है एक नगर में वहां की समस्यायें अधिक से अधिक जटिल होती जाती हैं। तो उनको अधिक अधिकार देना, कहां पर किस तरह से उसका संचालन करना, इसके लिये उपयुक्त

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम की आवश्यकता है । और मुझे बड़ी खुशी है कि, मैं भी एक सदस्य था सेलेक्ट कमेटी का और मंत्री जी ने जिस तरह से इस विधेयक का संचालन किया, उससे मुझे खुशी है कि जो उसमें निर्णय हुए वे दोनों पक्षों की सर्व सम्मति से निर्णय हुए । इसलिये मैं समझता हूं इस विधेयक के अधिनियम बनने में कुछ अधिक समय नहीं लगना चाहिये ।

जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमारे सामने इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे मेयर का स्थान क्या हो । चुंगी में जो चेयरमैन का स्थान है वह एक तरह से मुख्य अधिकारी होता है, ऐग्जीक्यूटिव के भी हाथ में बहुत से कार्य होते हैं । और जो उसका अनुभव है कि उससे उसके प्रबन्ध में और उसकी पार्टीबन्दी में और फिर उसके साथ नो-कांफीडेंस के प्रस्ताव आने में जो तमाम झंझट पैदा होते हैं उससे म्युनिसिपैलिटी के संचालन में बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं । तो अब प्रश्न यह है कि यहां कारपोरेशन में मेयर का क्या स्थान हो ? बहुत सोचने के बाद यह निश्चय हुआ कि मेयर को हमें रोज-रोज की झंझटों से अलग रखना चाहिये । उसका स्थान वही होना चाहिये जो कि विधान सभा में स्पीकर का होता है । वह कारपोरेशन की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनका उचित संचालन करे और जब वह ऐग्जी-क्यूटिव फंक्शन्स के ऊपर रहता है तो मीटिंगों के संचालन में भी सभी भिन्न-भिन्न पार्टियों के विश्वास को प्राप्त कर सकता है । तब आवश्यकता नहीं रहती कि अविश्वास के प्रस्ताव उसके विरुद्ध लाये जायं और फिर जो उसके मेन फंक्शन होते हैं और नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते जो उसको प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं वह प्रतिष्ठा उसको मिलनी चाहिये । यह स्थान है आप के मेयर का, उसको वह प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये । अब सवाल आता है है उसका कि जिसको कई म्युनिसिपल कारपोरेशन्स में स्टैंडिंग कमेटियों का चेयरमैन कहा गया है और हमारे यहां उस को डिप्टी मेयर का स्थान दिया गया है । वस्तुतः हम सारे विधेयक को देखते हैं तो जहां तक कि लेजिस्लेटिव पालिसी निर्धारण बाडी का सम्बन्ध है उस में सब से महत्वपूर्ण व्यक्ति डिप्टी मेयर होता है ।

अब प्रश्न यह है कि क्या डिप्टी मेयर को मेयर से भी अधिक एफेक्टिव पावर हो तो वह क्या अनुपयुक्त न होगा । कुछ लोगों की राय है कि डिप्टी मेयर के लिये केवल मेयर की अनुपस्थिति में ही कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिये और एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन पृथक् होना चाहिये, ऐसी भी धारणा बहुत लोगों की है और मेरा खयाल है कि इस बात पर भी कुछ विचार किया जा सकता है ।

अब कुछ बातें ऐसी भी आई हैं कि जिन पर हमें फिर थोड़ा सा इस दृष्टि से विचार करना होगा कि म्युनिसिपल कमिश्नर के क्या अधिकार होने चाहिये । बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि अभी दिल्ली कारपोरेशन के सम्बन्ध में यह समस्या हुई कि क्या वहां के सदस्यों को फाइल देखने का अधिकार है या नहीं । ऐसी समस्या वहां उत्पन्न हुई, मेरा खयाल है कि यह एक नई बात है और इस पर हमें देखना होगा और इस तुलना में देखना होगा कि हम कारपोरेशन को इतना पंगु न कर दें कि वह एक मजाक की चीज हो जाय और उनके वह अधिकार भी न मिलें जो उन्हें साधारणतः मिलने चाहिये । म्युनिसिपल कमिश्नर के एग्जि-क्यूटिव फंक्शंस में चाहे वह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो या वहां का कोई अधिकारी व्यक्ति हो, उसको क्या अधिकार होगा कि वह म्युनिसिपल कारपोरेशन के एग्जिक्यूटिव फंक्शन्स में कम से कम जानकारी हासिल कर सके और आवश्यक हो तो अपने मत को व्यक्त कर सके और किसी चीज को एफेक्टिव बना सके । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार होना चाहिये ।

एक और प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है । आप जानते हैं कि जिन को म्युनिसिपैलिटी की राजनीति का अनुभव है और जो लोग जिला बोर्ड में भी काम किये हैं उन को मालूम है कि कभी कभी जिला बोर्ड में सेक्रेटरी, जो वहां पर स्थायी तौर पर रहते हैं वह आहिस्ता-आहिस्ता अपनी एक पार्टी चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और वह एक पार्टी बनाकर एक अलग सेक्रेटरी की पार्टी बना लेते हैं दूसरे जो म्युनिसिपल प्रशासन में हैं, दूसरे लोग हैं वह इनएफेक्टिव हो जाते हैं । यही म्युनिसिपैलिटी में भी होता है और सम्भवतः यही

[श्री देवकीनन्दन विभव]

कारपोरेशन में भी हो, जो प्रारम्भिक अधिकार है । चाहे वह एग्जीक्यूटिव आफिसर हों या कोई हेड्स आफ दि डिपार्टमेंट हों या म्युनिसिपल कमिश्नर ही क्यों न हों, हमें देखना चाहिये कि इनमें से किसीको भी कोई गुटबन्दी करने या इनट्रेंगिंग पोजीशन कायम करने की आवश्यकता न पड़े । ऐसी बात कब आती है ? मान लीजिये कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव आफिसर समझते हैं कि हमें तो यहीं रहना है और मान लीजिये, किसी तरह वह अपने को ऐडजस्ट नहीं कर पाते म्युनिसिपल कमेटी से तो वह यह कोशिश करते हैं कि म्युनिसिपल कमेटी में वह अपनी कमेटी बनायें और इनट्रीग करें । इसलिये मेरा खयाल यह है कि कुछ सर्विसेज को हमको प्राविंशियलाइज करना चाहिये । यानी अगर एक आदमी किसी जगह ठीक नहीं हो रहा है तो हम दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड में या म्युनिसिपल कारपोरेशन में उसका ट्रांस्फर कर सकें, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन अवश्य होगा । किस तरीके से और कहां पर ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे कि यह दोष हमारी नागरिक संस्थाओं का दूर हो सके उसके लिये मैं अपना सुझाव समय पर दूंगा । मेरा खयाल है कि मंत्री जी और उनके अधिकारियों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया होगा और वह उस पर कुछ न कुछ सोच रहे होंगे ।

एक नियुक्ति का प्रश्न है, यानी जो कर्मचारी वहां के हैं उनका एप्वाइंटमेंट कौन करे ? बहुत दिनों से यह खयाल रहा है कि जिस तरह से हमारे यहां प्राविंशियल सिविल सर्विस को नियुक्त करने के लिये एक कमेटी होती है, पब्लिक सर्विस कमेटी, इसी तरह से एक म्युनिसिपल सर्विस कमेटी होनी चाहिये । म्युनिसिपल कमेटी का हर नियुक्ति पर हस्तक्षेप करना भी एक थोड़ा सा अवांछनीय है और यह भी अवांछनीय है कि हम उस अधिकार को म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में ही दे दें और वह जिसको चाहे नियुक्त करे । तो इसका वायार्मीडिया, मध्य का मार्ग, होना चाहिये । दो या तीन सदस्यों की एक कमेटी होनी चाहिये, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रतिनिधि हो सकता है, एक मेयर हो सकता है और एक म्युनिसिपल कमिश्नर हो सकता है । इन तीनों की एक कमेटी बैठ जाय जो म्युनिसिपल सर्विसेज कमेटी के नाम से रहे और वह सारी नियुक्तियां करे । तो यह मैंने थोड़ा सा जिक्र कर दिया ।

यह विधेयक काफी महत्वपूर्ण है । ५ बड़े-बड़े नगर, जिनकी काफी आबादी है और जो बढ़ रहे हैं, इन स्थानों पर राजनीतिक विचारधाराओं का केन्द्र है और यहीं से राजनीतिक विचारधारा का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे स्थानों की उपयुक्त व्यवस्था करना विधेयक का कर्त्तव्य होना चाहिये । मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी उस तरफ बड़े सजग हैं और वह इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह जो हमारा अधिनियम बने बहुत उपयुक्त बने । बस मुझे इतना ही कहना है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने वह विधेयक प्रस्तुत किया जिसकी बहुत समय से आशा थी, जिसके लिये कि सदन के विरोधी दल के नेता और बाहर के लोग कभी-कभी सरकार पर लांछन लगाते रहे हैं कि इसमें देर हो रही है और जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के ५ सब से बड़े नगरों में स्वायत्त शासन एक तरह से मुअत्तल पड़ा था ।

आज मेरा निश्चित मत है कि इस सदन के सभी सदस्य और सभी वर्ग और इस सदन के बाहर के नागरिक भी इस विधेयक का स्वागत करेंगे और जिस भावना से उसको प्रस्तुत किया गया है उसका स्वागत करेंगे ।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, हमारे देश में मुख्यतः कारपोरेशंस के दो पैटर्न्स थे— एक कलकत्ता का पैटर्न और एक बाम्बे का पैटर्न । जहां तक कलकत्ते के पैटर्न का सम्बन्ध है उसकी अग्नि-परीक्षा १९४५ में हुई । उस समय कलकत्ते के पैटर्न में जो खराबियां देखी गयीं और जिसके कारण उसमें इनएफिश्यंसी और खराबियां आयी तो १९४५ में वहां के कारपोरशन को सस्पेंड करना पड़ा और १९५१ में एक कलकत्ता कारपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट

लाकर उस पैटर्न को बदलना पड़ा। और वह पैटर्न सिटी मैनेजर प्लान आफ अमरीका के आधार पर बनाया गया। सिटी मैनेजर प्लान आफ अमेरीका का जो ढांचा है वह करीब-करीब वही है जैसा कि बाम्बे कार्पोरेशन का पैटर्न है। हमारा कारपोरेशन बिल आरम्भ में जिस रूप में लाया गया था उसका भी करीब-करीब वही ढांचा था।

श्रीमन्, सारे विधेयक को पढ़ने पर और विशेषतया सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने पर मुझे एक बात लगी कि जब यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी के सामने था तो उस कमेटी के सामने दो आदर्श थे, एक तो उन कारपोरेशन की सारी परम्परायें जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं या दुनियां के दूसरे देशों में हैं और दूसरे एक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट जिससे हम सब सदस्य और कदाचित उस सेलेक्ट कमेटी के सदस्य भी रोजमर्रा परिचित रहते हैं। तो यदि मैं आपकी आज्ञा से यह कहूं कि इस कारपोरेशन बिल का सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद बहुत कुछ म्युनिसिपलाइजेशन किया गया, यानी इसको बहुत कुछ म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के नजदीक लाया गया तो ग़लत न होगा।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त मुझे केवल यह निवेदन करना है कि इसमें जो एक, दो बड़ी क्रान्तिकारी या मूलभूत बातें हैं वे यह हैं, जैसा कि अभी संक्षेप में जिक्र हुआ कि मेयर और डिप्टी मेयर के अधिकारों का प्रश्न है। डिप्टी मेयर का स्थान मेयर के स्थान से बहुत ऊंचा और सबल रखा गया है। एक तरह से इस कारपोरेशन के नियमों के अनुसार मेयर, डिप्टी मेयर की छाया की तरह होगा। उसका स्थान, उसकी शक्ति डिप्टी मेयर से बहुत कम होगी। परीक्षण काल है, मुझे बहुत शंका है, लेकिन समय बतायेगा कि यह ठीक साबित होगा या नहीं। लेकिन मैं संकेत में इतना कह दूं कि मैंने जब इस विधेयक को पढ़ा तो देखा कि डिप्टी मेयर के लिये जो वोट आफ़ नो कान्फीडेन्स का प्राविजन रखा गया है वह तो ठीक है, रखना ही था, लेकिन उस प्राविजन में जो प्रोसीजर है उसमें अभी दोष हैं जो कदाचित् संशोधनों के द्वारा दूर हो सकेंगे। एक मोटा सा दोष मैं बताऊं कि डिप्टी मेयर पर जो वोट आफ नो कान्फीडेन्स आयेगा तब मेयर उस मीटिंग को प्रेसाइड करेगा। मेयर पर जब वोट आफ़ नो कान्फीडेन्स आयेगा तब डिस्ट्रिक्ट जज उस मीटिंग को प्रेसाइड करेगा और अगर किसी कारणवश वह उस मीटिंग को प्रेसाइड न कर सके तो एक दूसरी मीटिंग निश्चित समय पर होगी। इसी तरह से जब डिप्टी मेयर पर वोट आफ नो कान्फीडेन्स आये तो मेयर उस मीटिंग को प्रेसाइड करेगा और अगर किसी वजह से मेयर प्रेसाइड न कर सके तो एक निश्चित समय पर दूसरी मीटिंग होगी। लेकिन बड़ा फर्क है डिस्ट्रिक्ट. जज और मेयर में। मेयर फिर भी एक राजनीतिक दल का आदमी होगा। उसका अपना मत होगा उस डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हो या न हो इसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट जज एक सरकारी अधिकारी होता है। उसका अपना कोई मत नहीं हो सकता। इसलिये उचित यह है कि उसी डिस्ट्रिक्ट जज को यह अधिकार होता कि उसमें भी वही प्रेसाइड करे। और एक प्रत्यक्ष लैक्यूना उसमें यह रह जाता है कि अगर किसी कारणवश मेयर दूसरी मीटिंग में भी शरीक न हो तब क्या होगा इसका कोई प्राविजन इस विधेयक में नहीं है। इसमें यह लिखा है कि जब एक दफा वोट आफ नो कान्फीडेन्स की मीटिंग हो जाय और उसमें किसी वजह से वह प्रस्ताव पास न हो सके तो उसके एक साल के बाद दूसरा अविश्वास का प्रस्ताव आ सकेगा। तब एक ऐसी स्थिति हो जायगी कि अगर मेयर डिप्टी मेयर में दिलचस्पी रखता हो तो वह जानबूझ कर उस दूसरी मीटिंग में भी शरीक न हो। या उस मीटिंग को प्रेसाइड न करे तो क्या व्यवस्था होगी वह मुझे इस बिल में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन हैं उसके द्वारा इस लैक्यूना को यदि वह पूरा कर सकें तो अच्छा हो।

श्रीमन्, एक बात यह भी थी कि हम लोग आशा करते थे और कदाचित् हमारा प्रदेश भी करता होगा कि मेयर की एजूकेशनल क्लवालीफिकेशन्स रखी जायं। एक ऐसा प्रस्ताव शुरू में था, लेकिन जिस तरह से यह म्युनिसिपल कारपोरेशन विधेयक आया तो उसमें कोई एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स मेयर की नहीं है। इसके तर्क में, अधिष्ठाता महोदय, यह कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट के मेम्बर्स, लेजिस्लेचर के मेम्बर्स और कौंसिल के मेम्बर्स की कोई

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स नियत नहीं हैं तो फिर क्या आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति की जिसे इतने बड़े नगर की जनता भेजे उसकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स रखी जाय। यह तर्क हो सकता है और देखने में प्रबल तर्क है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि एक लेजिस्लेचर, एक कौंसिल के मेम्बर का कार्य कारपोरेशन के चैयरमैन के कार्य से भिन्न होता है। लेजिस्लेचर का मेम्बर यहां पर एक मशीन का पुर्जा होता है, वह सारी बातें सुन सकता है, अध्ययन कर सकता है, अपनी योग्यता से, अपनी समझ से और दूसरों के ज्ञान की सहायता से। लेकिन कारपोरेशन के मेयर के लिये यह मुमकिन नहीं है। अगर वह स्वयं पढ़ा-लिखा नहीं है, स्वयं शिक्षित नहीं है तो उसे कठिनाई होगी अपने कार्य संचालन में। हो सकता है कि एक व्यक्ति पापूलर हो, हो सकता है कि एक व्यक्ति में जनता के वोट्स हासिल करने की क्षमता हो, लेकिन अगर उसकी ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स कम हैं तो उसके कार्य संचालन में कमी हो सकती है। मैं इस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और शायद उन्हें सूचना भी होगी और यह तर्क उनके सामने आये हैं लेकिन कृपा कर के इसको तोलने का यत्न करें और यदि वह समझें और उनको विश्वास हो कि मेयर जैसे उच्चाधिकारी के लिये जिसमें एक्जीक्यूटिव की पावर्स भी निहित होती हैं, जिसको रोजमर्रा के आर्डर्स अपने अध्ययन के बल पर देने पड़ते हैं तो, उसकी कुछ क्वालीफिकेशन होना परम आवश्यक है।

श्रीमन्, एक मुख्य बात यह है कि दूसरे कारपोरेशन ऐक्ट्स में भिन्न-भिन्न स्टैंडिंग कमेटियां हैं जैसे एजूकेशन कमेटी, टैक्सेशन कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी, आदि, लेकिन यहां पर एक मेन स्टैंडिंग कमेटी कायम की गई है और उसी को अधिकार दिया गया है कि वह इन उप समितियों को समय-समय पर बनायें। मैं इस बात से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि यह जो चेंज की गई है यह दूसरे कारपोरेशन ऐक्ट्स से हमारा ऐक्ट ज्यादा उपयोगी और लाभप्रद बन सकेगा।

श्रीमन्, इसके बाद मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि जिस भावना से और जिन विचारों से प्रेरित होकर वह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका आदर करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इतनी कृपा और करेंगे कि जो संशोधन सामने आ रहे हैं, इसके अलावा एक और प्रार्थना करूंगा कि आज हम लोग यह समझते थे कि कदाचित् यह विधेयक आज नहीं आ सकेगा इसी वजह से संशोधन नहीं आ सके, मैं समझता हूं कि मंत्री जी को आपत्ति नहीं होगी और वह संशोधनों को स्वीकार करके, उनके द्वारा यह विधेयक जितना भी अच्छा हो सके उसको बनाने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका पुनः स्वागत करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन उच्च विचारों को लेकर और जिस प्रेरणा से मंत्री जी ने इस विधेयक को इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि किसी भी शहर की उच्च व्यवस्था के लिये कोई भी प्रयास जो सरकार की ओर से आता है वह प्रशंसनीय है। परन्तु, अधिष्ठाता महोदय, मैं इतिहास के उन पन्नों को इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं जो यह साफ बताते हैं. . .

श्री अधिष्ठाता—मैं आपका ध्यान रूल १०६ की ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे मौके पर जब कि बिल सेलेक्ट कमेटी से लौट कर आया हो तो जनरल डिस्कशन नहीं होता है। एक थोड़ा सा स्टेटमेंट इस बिल के बारे में किया जाता है, खासकर जो संशोधन हुये हों उसके बारे में आप कह सकते हैं और जनरल डिस्कशन कृपया न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपकी आज्ञा मान्य है। मैं केवल एक झांकी उन बातों की इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जो काबिले गौर हैं। अगर हम अपने भविष्य के लिये सतर्क हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जो गत शक्तियों की

प्रणाली रही है, कार्य शैली रही है वह शक्ति को कंसेंट्रेट कर के उस देश को बढ़ाने का कार्य उन सदियों में किया गया। परन्तु आज संसार जिस तीव्र गति से आगे बढ़ा चला जा रहा है वह पुकार-पुकार कर कहता है कि आओ संसार की गति और भविष्य को देखो। हमें अपने बड़े-बड़े उद्योगों, साइंटिस्टों, साहित्यकारों और नवयुवकों को शहरों के अन्दर केन्द्रित कर के अपने भविष्य को अंधकार में नहीं रखना चाहिए।

मैं उचित समझता हूं कि हमारे मुल्क की इंटेलीजेंशिया को सारे देश के चारों ओर बिखरा देना चाहिए और जो समस्या हम अपने मुल्क में पैदा कर रहे हैं उस को पहले ही सोच लेना चाहिये। बड़े-बड़े शहर और बड़े-बड़े कारपोरेशन बना कर बहुत बड़ी आबादी को सीमित क्षेत्र के अन्दर बन्द कर के उस क्षेत्र में सैनिटेशन की समस्या को मुश्किल बनाते हैं। हमारा एक छोटा सा म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ का है। आपने उस की दुर्दशा देखी होगी। आपने पुराने लखनऊ को देखा होगा वहां के सैनिटेशन को देखा होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जबकि थोड़े से लोगों की सैनिटेशन की व्यवस्था, एजूकेशन की व्यवस्था और उसके निर्माण की व्यवस्था नहीं कर पाते तो शहरों के अन्दर बड़ी-बड़ी आबादियां बसा कर हम अपने मुल्क को विकास की ओर नहीं ले जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि इस युग में जब कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है किसी भी मुल्क का भविष्य खतरे से खाली नहीं है। चन्द शहरों को बम्बार्ड कर के बड़े-बड़े साइंटिस्ट्स और देश के होनहार नवयुवकों को बरबाद किया जा सकता है, जितने उद्योग-धंधे हैं उनको तबाह किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आज हमें विकेन्द्रीकरण में विश्वास करना चाहिए। हमारा आगे का कदम विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि इससे आगे चल कर मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारी डेमोक्रेसी की प्रणाली है हमारी हर संस्था के अन्दर डेमोक्रेसी की प्रणाली की उचित व्यवस्था बनाना आवश्यक है। या हमें डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों को तिलांजलि दे देनी चाहिए। लेकिन जब कि हम ने डेमोक्रेटिक आधार पर अपना संविधान बनाया है तो हमारी राय में हर कारपोरेशन में, हर म्युनिसिपैलिटी के अन्दर, हर नोटिफाइड एरिया के अन्दर किसी भी यूनिट के अन्दर डेमोक्रेसी के आधार पर हमें अपना ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश में डेमोक्रेसी का ट्रायल करना है। यह जरूर है कि हमने अपने देश में बहुत सी चीजों को बाहर से बारो किया है। जो नयी-नयी बातें हम इस समय चलाना चाहते हैं जो इस मुल्क की जीनियस के खिलाफ हैं, जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में नहीं गड़ी हैं, उनको अपनाकर ट्रायल देना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने संविधान की कसम खाई है। एक जगह अगर हम पावर को डिसेन्ट्रलाइज्ड करना चाहते हैं और दूसरी जगह हम उसी उसूल के खिलाफ उस पावर को एक आदमी के हाथ में देना चाहते हैं तो यह हमारी डेमोक्रेसी और हमारे संविधान को शोभा नहीं देता है। एक ही उसूल को लेकर चलना चाहिये जिससे हमारे यहां सब काम एक ही उसूल पर चल सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप कारपोरेशन बनायें जरूर लेकिन उसमें एक कांस्टीट्यूशनल हेड होना चाहिये।

जहां तक उस स्टैंडिंग कमेटी का प्रश्न है जिसको एग्जिक्यूटिव कमेटी का नाम दिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही हाथ में मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि अलग-अलग कमेटीज का निर्माण अवश्य होना चाहिये। वह एग्जीक्यूटिव कमेटी न हो बल्कि सारे कारपोरेशन की अलग-अलग कमेटीज होनी चाहिये। अगर आप यह चाहते हैं कि कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेशन में हर व्यक्ति की आवाज हो और हर तरह की दिक्कतें उनके सामने रखी जायं तो यह बहुत जरूरी है कि उन कमेटीज को बनाया जाय। इससे करपोरेशन को और अधिक सफलता मिलेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो विकास की स्कीमें रखी गयी हैं और जिसके फलस्वरूप यह हमारा कारपोरेशन बिल हमारे सामने आया है केवल हमें उनके लिये ही अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। बड़े-बड़े काम हमारे सामने हैं, लेकिन उनके लिये

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

आज उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हैं। जिनका आज हमारे पास साधन है उन्हीं चीजों को लेकर हमें चलना चाहिये, लेकिन अगर आज हम उसकी नींव डाल देते हैं और सही रास्ते पर नींव डाल देते हैं तो मैं कहता हूं कि इस मुल्क के लिये यह एक बहुत बड़ी चीज होगी और बड़ा काम होगा। आज हमें उन पुरानी व्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये जो हमारे बढ़ते हुये कदमों में जंजीर बन कर रह गई हैं। उनको हमें हटा कर अलग कर देना चाहिये। यदि हम एक कदम भी सही दिशा में बढ़ सकें तो यह हमारे लिये और हमारी सरकार के लिये सफलता की बात होगी।

यह बात भी ध्यान देने की है कि अगर सभी दिशाओं में हमें सफलता मिल जाय तो यह भी नामुमकिन है। विकास के मार्ग में वही मुल्क आगे बढ़ सकता है जो अपने देश की पुरानी व्यवस्था को मिटाकर नई व्यवस्था के लिये काम करता है। वही देश अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। हमारी आज की असफलतायें कल की सफलता में परिणत होंगी। इसलिये मेरा विश्वास है कि यह जो कारपोरेशन बिल लाया गया है यह एक सही दिशा की तरफ हमारा कदम है। चाहे यह छोटा बिल न हो लेकिन मैं इसका आदर करता हूं और सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। परन्तु अगर हम बड़ा भारी कारपोरेशन इस देश में खड़ा करना चाहते हैं तो हमको तभी उसको करना चाहिये अगर उसके जनता विरुद्ध न हो। अगर जनता की राय के अनुकूल नहीं है तो हमारे यहां सफलता नहीं खड़ी हो सकती है और वह चीज हमारे यहां कांस्टीट्यूशन भी नहीं होगी। हमारे दिमाग में भी उस चीज का सही चित्र नहीं उतरेगा और जिस चीज को हम यहां पर लाना चाहते हैं वह पीछे रह जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इन कारपोरेशन्स के अन्दर जो व्यवस्था होगी उसको आगे सही दिशा में हमें बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(इस समय ३ बजकर ४५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि भूलिये नहीं उस खतरे को जो आज सारे संसार पर मंडरा रहा है। जो लोग समझते हैं कि भविष्य में लड़ाई नहीं होगी वह महान् भूल करते हैं। इंसान-इंसान है। दुनियां के सारे इंसान खुदा नहीं हो जायंगे। इंसान अपनी कमजोरियों को लेकर चला है और आगे विकास करते हुये भी उसमें खराबियां और कमियां किसी न किसी रूप में रहेंगी। इसलिये हमें उस खतरे को भूलना नहीं चाहिये और जहां तक इस बिल के समर्थन का ताल्लुक है, मैं इन्हीं शब्दों से इसका समर्थन करता हूं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर इसकी नींव होनी चाहिये। जहां कहीं एक व्यक्ति को सत्ता सौंपने की बात है, मैं उसका विरोध करता हूं।

कारपोरेशन को नियुक्तियों के सारे अधिकार न देकर इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था है। वह ठीक है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके अलावा जहां एक ही व्यक्ति के हाथ में लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था होती है, उसके स्थान पर कम से कम कोई कमेटी होनी चाहिये ताकि वह अपने रिश्तेदारों को ही न भर ले। ऐसा कर के हम कुछ उदारता दिखायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर दोहरा दूं ताकि मेरी आवाज कुछ और दूर तक पहुंच जाय। क्या यह उचित होगा कि हम अपने देश की सारी दौलत, धन और लोग एक जगह पर इकट्ठा कर दें जो खतरा आ रहा है उसको देखते हुये भी, क्यों कि जो खतरा आ रहा है उसमें बमों से, हवाई जहाजों से सब कुछ जो एक जगह होगा, बरबाद किया जा सकता है। इसलिये हमको चाहिये कि हम अपनी इंडस्ट्री, कालेजेज, यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा जितने भी हमारे विकास के कार्य हैं उनको सारे मुल्क में बिखेरें...

श्री अध्यक्ष—आप 'माइक' पर थोड़े दूर से बोलें। साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, केवल आवाज आ रही है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे मुल्क के बड़े-बड़े दिमागों के नौजवानों को जिनके अन्दर जिन्दगी है, उत्साह है, हिम्मत है, मुल्क के कुछ हिस्सों में कंसेंट्रेट कर दें तो क्या यह मुल्क की सुरक्षा के नुक्तेनजर से उचित होगा? मैं कहता हूं, हरगिज नहीं। वह बड़े-बड़े करखाने, जिनमें ५०, ५० हजार आदमी काम करते हैं, आगे आने वाले जमाने के लिये प्रगति का चिन्ह नहीं होंगे और उसकी नींव हमें यहां अपने देश में नहीं डालनी है। हमें उस खतरे से अपने को सतर्क करना है। हमें भविष्य को देखते हुये अपने देश का विकास करना है। अगर हमने इस बात को नहीं सीखा तो हमने इतिहास को तिलांजलि दी और अनुभवों से अपने को दूर रखा। मैं समझता हूं कि हम पढ़े-लिखे व्यक्ति इस सदन में एकत्रित हुए हैं और हमारे लिये उचित है कि हम मुल्क की हर समस्या को देखें। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर दृष्टि रखें तभी मैं समझता हूं कि वह हमारे देश के लिये श्रेयस्कर होगा। अगर हम आंखों पर परदा डाल कर भविष्य को दूर रख कर कोई फैसला करते हैं तो हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अन्धकार में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी व्यवस्थायें, हमारे कदम, हमारी भावनायें, जिन पर हम नाज करते हैं वह सब कल मुल्क के लिये अभिशाप सिद्ध होंगी। इतना कह कर मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं।

***श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक के प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं।

जब इस सदन में कुछ वर्ष पूर्व यह चर्चा हुई कि अपने प्रदेश के प्रमुख ५ नगरों के लिये कारपोरेशन बनाये जावें तो उस समय मैंने मांग की थी कि वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड्स को भंग करके इस प्रकार का विधेयक लाया जाय जिसके अनुसार ये कारपोरेशन बन सकें। मैं इसकी प्रवर समिति में भी था। इसमें बहुत से ऐसे परिवर्तन हुये हैं जिनके संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विधेयक के बनाते समय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, जबलपुर कारपोरेशन्स के जितने भी ऐक्ट थे सब पर काफी गौर किया गया। इसमें सबसे पहली बात यह की गई कि इसके मेयर को १ साल के लिये रखा गया और वह इसलिये कि वह किसी पार्टीबाजी में पड़ कर अपने शहर का नुक्सान न कर सके लेकिन उन्हें दसरे साल भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। इसके साथ ही साथ डिप्टी मेयर का पूरा कार्यकाल होगा। एक एग्जीक्यूटिव बाडी होगी और उसके हेड होंगे। इसी प्रकार एक डेवलपमेंट कमेटी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो दूसरी कमेटी भी बनाई जा सकेगी। शहर को क्षेत्रों में बांटा जायगा और सिंगिल मेम्बर कन्स्टीट्यूएंसी न करके प्लूरल मेम्बर कंस्टीट्यूएंसी का प्रबन्ध किया गया है जिसमें ४ से अधिक सदस्य एक कन्स्टीट्यूएंसी से नहीं चुने जावेंगे। पहले यह था कि इंटरमीडियेट से कम की शिक्षा मेयर के लिये नहीं होनी चाहिये। इस बारे में काफी गौर करने के बाद यह निश्चय किया गया कि जिस प्रकार विधान सभा के सदस्य अपने क्षेत्रों से चुन कर आते हैं और उन पर योग्यता का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता, इसमें भी उसी प्रकार का प्रबन्ध किया गया।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि प्रजातंत्र के आधार पर उसका निर्माण होना चाहिये। मैं कहता हूं कि वास्तव में प्रजातंत्र के आधार पर ही इस विधेयक को बनाया गया है। जिन कारपोरेशन्स के मैंने अभी नाम लिये उनमें एक एल्डरमैन ऐसा भी होता है जिसे सरकार नियुक्त करती है। लेकिन हमने इस विधेयक में किसी भी ऐसी नियुक्ति का प्रबन्ध नहीं रखा है। नियुक्तियां हमने इसमें से निकाल दी हैं। दूसरे कारपोरेशन्स में, अगर मैं गल्ती नहीं करता हूं, २० प्रतिशत ऐसे सदस्य होते हैं जो ऐल्डरमैन चुने जाते हैं लेकिन हमने केवल १० प्रतिशत के चुनाव की व्यवस्था रखी है। इसके साथ ही साथ हमारे मूल विधेयक में ऐल्डरमैन की उम्र ३५ साल रखी गई थी, उसे कम करके हमने ३० वर्ष कर दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित]

इसमें एक सबसे बड़ी व्यवस्था यह भी है कि ५० रुपये से २०० रुपये तक की नियुक्तियां एक सेलेक्शन कमेटी करेगी और उसके ऊपर की नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होंगी। इसी प्रकार हैल्थ आफीसर की नियुक्ति भी कमीशन द्वारा होगी और मेयर उसका एप्रूवल करेगा। इस विधेयक में जो और तब्दीलियां की गई हैं उनमें से एक यह भी है कि ज्यादातर यह देखा गया है कि ऐसे बोर्डों के आडिट में अक्सर झंझट हुआ करते हैं। हमने इसमें यह व्यवस्था की है कि आडिट का संगठन हो और म्युनिसिपल आडिटर उक्त संगठन का प्रधान होगा। इसलिये म्युनिसिपल चीफ आडिटर की भी इसमें व्यवस्था रखी गई है। उसकी नियुक्ति मेयर द्वारा राजकीय सेवा आयोग की सलाह से की जायगी।

इस विधेयक के आने में जो बिलम्ब हुआ उसके बारे में नाना प्रकार की चर्चायें हुईं। लोग हमसे पूछते थे कि विधेयक कब आवेगा। इस बात की हमको खुशी है कि आज वह दिन आया है जब हमारे मंत्री जी ने यह विधेयक रखा है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि इसे पास करने की अविलम्ब कृपा की जायगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्से के बाद यह जो उपयोगी विधेयक हमारे माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसके लिये मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के ५ बड़े नगरों में म्युनिसिपल बोर्ड भंग हो जाने के बाद जिस तरह की व्यवस्था वहां चल रही है उससे बड़ा असन्तोष है जिसका कारण यह था कि एक तरह से वहां का नागरिक जीवन बड़ा असंतुलित सा हो गया है। बड़ी आवश्यकता थी कि यह कारपोरेशन विधेयक बहुत पहले ही आ जाता, तो अच्छा होता, लेकिन मैं जानता हूं कि काम की बेहद ज्यादती होते हुये भी हमारे मंत्री महोदय ने इसे पेश करने में कितनी जल्दी की है। इस बिल को जितना उपयोगी बनाने की व्यवस्था की गई है मैं समझता हूं कि वह बिलकुल मुनासिब है।

इसमें जो सबसे जरूरी स्थान है काउंसिलर का, उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव देना है। अक्सर ऐसी संस्थाओं में चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर की पार्टी होती है और वे पार्टीबन्दी करके कभी-कभी नागरिक जीवन को खतरे में डाल देते हैं। मेरा सुझाव है कि कारपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर या जिसे विधेयक में काउन्सिलर कहा गया है, उसे पब्लिकमैन में से नियुक्त किया जाय और उसकी उम्र कम से कम ४० वर्ष की हो और वह ला ग्रेजुएट जरूर हो मैं समझता हूं कि इस प्रकार यह लाभ होगा कि वह दल-बन्दी नहीं कर सकेगा। उसकी नियुक्ति केवल ५ वर्ष के लिये हुआ करे और अधिक से अधिक उसे तीन बार नियुक्त किया जा सके, या यों कहिये कि ५, ५ वर्ष के तीन इन्स्टालमेंट्स में उसकी सेवायें समाप्त की जावें और इस प्रकार से बनने वाले कारपोरेशनों को दलबन्दी का अखाड़ा बनने से बचा लिया जाय। और १५ वर्ष के बाद इस कौंसिलर को पेंशन दे दी जाय ताकि जनता में से अच्छे से अच्छे आदमी हमें मिल सकें। सर्विसेज के आदमी अक्सर इस तरह की संस्थाओं में अनफिट साबित होते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि सर्विसेज के आदमी इसमें न लाये जायं।

इन कार्पोरेशनों में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नियुक्तियां होती हैं, उस तरह की एक संस्था इसके लिये भी बनायी जाय जो कार्पोरेशनों के कर्मचारियों की नियुक्तियों के बारे में सलाह दे सके। हमारे एक मित्र ने कहा कि इनकी सर्विसेज को प्राविन्शियलाइज कर दिया जाय। मेरा इसमें उनसे मतभेद है, क्योंकि जब किसी कार्पोरेशन के कर्मचारी को यह मालूम होगा कि वह दूसरी जगह रह सकता है तो बहुत ज्यादा बेफिकरी के साथ वह गलत कामों को भी करने लगेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करें और कोई ऐसी सूरत निकालें जिसमें कार्पोरेशन में काम करने वाले निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।

इस प्रकार की जब योजना प्रदेश के ५ बड़े नगरों के लिये बन रही है तो उसके लिए ऐसे लोगों की नियुक्ति की जा सके जो ईमानदारी से कार्य संचालन करने में सच्चा सहयोग प्रदान करें।

आजकल इन ५ नगरों में जिन प्रशासक अधिकारियों की नियक्ति जिस अभिप्राय से की गयी है, उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वे नाकामयाब साबित हुए हैं। जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी तो यह आशा की गयी थी कि वे इन नगरों की आमदनी को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। मैं कानपुर के बारे में जानता हूं, वहां के बढ़ते हुए खर्चों और टैक्सों को मैंने देखा है। वहां की ऐसी कोई आमदनी नहीं बढ़ पायी और खर्चों के बढ़ने की हालत यह है कि जो कर्जे लिये गये थे उनको अदा करने के लिये दूसरे कर्जे लिये जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन कार्पोरेशन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो और जो इन नगरों का सार्वजनिक जीवन संकुचित हो रहा है उसको जीवन पुनः प्रदान करे और नागरिकों को यह अनुभव हो कि वह स्वायत्त शासन में रह रहे हैं और अपने अधिकार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। हमारा शासन हमारे लिये है और नागरिकों की भलाई के लिये है। इसलिये मैं इस विधेयक को उपस्थित करने के लिये मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित होकर, हमारे सामने आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा, बहुत दिनों से हमारे कबाल टाउन्स की यह मांग थी कि हमारे यहां कार्पोरेशन बने। सरकार का भी इसके लिये कमिटमेंट था कि वह जल्द ही इस तरह का निगम स्थापित करेगी और वहां जो नगरपालिकाएं हैं, वे समाप्त कर दी जायंगी, उसी के आधार पर यह विधेयक बनाया गया था और बनाये जाने के बाद इसको प्रवर समिति में भेजा गया। उस समिति ने बड़ा परिश्रम किया और उसके अन्दर बहुत से अच्छे और महत्व-पूर्ण संशोधन किये।

लेकिन एक बात से, श्रीमन्, मुझे अब भी इख्तलाफ है और वह यह है कि जहां तक मेयर की शिक्षा और योग्यता का सवाल था उसको प्रवर समिति ने निकाल दिया और माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। मैं आज भी महसूस करता हूं कि अगर हम वहां पर शिक्षा की योग्यता को रख पाते तो अच्छा होता। मैं जानता हूं कि जब म्यूनिसिपैलिटी का संशोधन विधेयक यहां आया हुआ था, उस समय भी यह प्रश्न उठा था और यह कहा गया था कि क्योंकि असेम्बली के सदस्यों के लिये कोई शिक्षा की योग्यता नहीं रखी गयी है, मंत्रि-मंडल के वास्ते शिक्षा की योग्यता नहीं रखी गयी है, हिन्दोस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसीडेंट के लिये कोई शिक्षा की योग्यता नहीं रखी गयी है तो फिर इसके लिये भी क्यों रखी जाय। यह दलील अपनी जगह पर समझ में आती है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जब कार्पोरेशन हम बनाने जा रहे हैं, जिनके हाथ में इतनी बड़ी एक्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, यदि हम वहां पर इस तरह का एक्सपेरीमेंट करें और कार्पोरेशन के मेयर के लिये कोई शिक्षा योग्यता निर्धारित कर सकें तो अच्छा होगा।

एक चीज और भी है और वह यह कि विधेयक बन गया है और बहुत जल्दी पास होने के बाद जो ५ बड़े-बड़े काबाल्स टाउन्स हैं उनमें निगम की स्थापना हो जायगी। मैं तो असल में यह सोचता था कि यदि एक-एक करके इसकी स्थापना होती तो अच्छा होता क्योंकि मुझे आज इस बात का डर जरूर है कि यह चीज तो बहुत अच्छी है लेकिन इसके साथ-साथ जितना खर्चा बढ़ेगा और जितने टैक्सेज बढ़ेंगे, उसको वह नगर कहां तक बर्दाश्त कर सकेंगे और कितने आर्थिक कमिटमेंट्स गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, उसका कोई पूरा अन्दाजा मेरे सामने तो नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि पहले बड़ी मांग की गयी थी कि नोटिफाइड एरिया को म्युनिसिपैलिटी बना दिया जाय और मुझे कम से कम ४, ६ म्युनिसिपैलिटियों की हालतों का पता है जिनको आज इस बात का अफसोस भी है कि अगर हम अपने यहां म्युनिसिपैलिटी न बनाते तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल मैं कोई हतोत्साहित करने की बात नहीं कहता, सरकार ने यह तय किया है कि ५ जगहों में

[श्री नवल किशोर]

निगम बनेंगे, अच्छी बात है, मेरी भी शुभकामना है, लेकिन मुझे आज यह डर जरूर लगता है कि इसके अन्दर जितना खर्च होगा, उसका जितना बोझ वहां के नागरिकों और सरकार के ऊपर आयेगा, वह भी एक बड़ा भारी सवाल हमारे सामने होगा। इसके अन्दर बहुत से संशोधन किये गये हैं। हरिजनों के वास्ते भी मान्यवर, इसमें एक बहुत अच्छा संशोधित क्लाज आ गया है कि संविधान के अनुसार जिस तरह से और जगह उनके लिये रिजर्वेशन है उसी तरह से इसके अन्दर भी रहेगा।

जहां तक मेयर तथा डिप्टी मेयर के चुने जाने की पद्धति की बात है, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि प्रवर समिति से आने के बाद इसके डिटेल में जाना उचित भी नहीं है। लिहाजा मैं इस विधेयक का पुनः स्वागत करता हूं और जिस चीज की तरफ मैंने एक संकेत किया है कि इसके पीछे बड़ा खर्च होने वाला है, मैं आशा करता हूं कि उसको भी माननीय मंत्री जी देख लेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, मैं,इस सदन का बहुत आभारी हूंकि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत किया और अपना आशीर्वाद इसको दिया। आम बात मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहनी है। एक प्रस्ताव यह आया है कि इसके अन्दर जो सर्विसेज हों उनको प्रोविंशियलाइज्ड कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह विचार हमारे सामने है और हम यह सोच रहे हैं कि एक ऐसा बिल ले आवें जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स, इन सब के लिये वह लागू हो सके लेकिन मैं समझता हूं कि इसको काफी तफसील में देखना होगा और उसको हम अलग विचार करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक म्युनिसिपल कमिश्नर्स को बाहर से चुनने की बात है, उसमें कुछ रुकावट नहीं है। उसको हम बाहर से चुनें या अन्दर से चुनें, इसके लिये प्रोविजन है और वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर वह बाहर का व्यक्ति है तो उसके लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति और मंजूरी की जरूरत होगी और अगर वह स्टेट सर्विसेज का है तो उसके लिये यह जरूरी नहीं होगा। यही यह बात है कि उसके बारे में पार्टीबाजी होती है, तो अगर बाहर का आदमी हम रखेंगे तो पार्टीबाजी हम न भी चाहें तो भी वह हो जायगी क्योंकि लोग इंटरेस्टेड हो जायेंगे कि किस आदमी को हम चुनें और अगर हमारा चुना हुआ आदमी होगा तो हमारे मुताबिक काम करेगा। सिर्फ जो जगह खाली भी नहीं होती है, खाली होने वाली होती है तो पहले से ही बहुत से आदमी पहुंचने लगते हैं कि हमारे नाम पर विचार किया जाय। लोगों के पास अपने असरात पहुंचाते हैं और इस तरह से ज्यादा आदमियों को लेकर चलने की बात होती है। इन चीजों को हटाने के लिये ही यह सोचा गया कि सदस्यों की राय से न चुना जाय तो बेहतर होगा प्रोविजन ऐसा है। लेकिन यदि ऐसा किया जाय तो कोई बाधा नहीं होगी। पांच-पांच साल के लिये चुनना और तीन बार से ज्यादा न चुनना, इन सब से सिवा इसके कि पार्टीबाजी और ज्यादा बढ़े कोई दूसरा नतीजा नहीं होने वाला है। पार्टीबाजी हटाने के लिये ही सोचा गया है कि जिसको सरकार नामिनेट करे अगर सर्विसेज में से तो वह तीन साल से ज्यादा के लिए न हो, तो आटोमैटिक जो आदमी वहां रहेगा वह ग्रूप एलाइनमेंट्स में नहीं पड़ेगा। उसे किसी खुशामद की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उसका फर्ज इतना होगा कि वह देखे कि स्मूथली, आसानी के साथ सबके साथ निभा सके और चला सके। यही उसका फर्ज रहेगा और इस तरह से अच्छे से अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन रहेगा।

मेयर की शिक्षा की बाबत भी एक भाई ने बहुत ज्यादा कहा। मेरा खयाल यह है कि शिक्षा की योग्यता कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिसे हम फूल प्रूफ कह सकें। मुझे स्मरण आता है कि एक महाशय ने, एक भाई जो एम० ए० पास थे उनकी बाबत कहा कि फलां आदमी एम० ए० है। तब तो एक गधा भी एम० ए० पास हो सकता है। शिक्षा ही कोई योग्यता की निशानी नहीं है, एम० ए० पास कर लेना या बी० ए० पास कर लेना ही कोई योग्यता की निशानी नहीं है। होना यह चाहिए कि वास्तव में सारे नगर का अच्छा से अच्छा आदमी जो चुना हुआ

हो उनका अगर वह विश्वास प्राप्त कर लेता है, उन पर अपनी योग्यता की धाक जमा सकता है तो मैं समझता हूं कि यह काफी एक बड़ा इसके वास्ते सेफ गार्ड हो जाता है और बिलकुल निकम्मा आदमी जो कि नहीं होना चाहिए वह नहीं होगा। इंटरमीडियेट अगर हम रखते भी तो कौन सा ऐसा भारी सेफगार्ड हो जाता ? इसलिए अच्छा यही होगा कि ख्वामख्वाह के लिए बदमजगी न बढ़ाई जाय। जब शिक्षा की योग्यता की शर्त किसी और के लिए उससे बड़े से बड़े ओहदे के लिए नहीं है तो सिर्फ एक ओहदा जिसे हम प्रतिष्ठा के लिए बना रहे हैं उसके लिए यह शर्त हम रखें इसकी जरूरत मैं नहीं समझता। (व्यवधान) पढ़ा लिखा अच्छा होता बशर्ते कि वह अच्छा हो, नहीं तो पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक होता है।

एक सवाल यह हुआ कि पांच जगह न करके एक इसको करते तो अच्छा होता। मेरा खयाल है कि कोई भी प्रयोग अगर किया जाय तो एक जगह कभी नहीं करना चाहिए। बहुत बार एक जगह ऐसा हो सकता है कि वहां जो आदमी चुनकर के आयें वह ऐसे निकम्मे आ जायं कि एक अच्छी से अच्छी चीज भी नाकामयाब हो जाय। इसलिए जो हम करना चाहते हैं वह कम से कम चार पांच जगह हम करें और उसका परिणाम देखें कि जो असफलता हुई या दोष आये वह आदमियों की वजह से है या हमने जो प्रयोग किया है उसका दोष है। इसलिए यह निश्चय करने के लिए भी यह जरूरी है कि अगर कोई प्रयोग करना हो तो एक जगह न करके ५ जगह किया जाय। (व्यवधान) सात जगह करने की आवश्यकता होगी अगर मेरठ और बरेली जैसी जगह भी अपने को क्वालीफाई कर लें।

खर्च का जहां तक सवाल है इसका खयाल हमको है और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्राविजन्स जिनसे कि खर्च अनायास ही बढ़ जाता हो, उनको हम कम्पलसरी न बनायें, लेकिन वह परमिसिव हों।

तो मेरा खयाल यह है कि जिस शकल में यह बिल पास होगा और कार्यान्वित होगा उससे बहुत सारे अन्देशे जो हैं उनका निवारण हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि और कुछ कहना आवश्यक न होगा और मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे सामने संशोधन नहीं है, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि खंड पर विचार यदि आपकी आज्ञा हो तो कल हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? वैसे मेरे पास तो संशोधन मौजूद हैं।

कई सदस्य—हमारे पास नहीं हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अच्छा होगा अगर और भाई आ जायं तो उनका भी सहयोग मिल सकेगा। इसलिये कल ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है कल ही लिया जायगा।

अब मैं एक सूचना देकर आज की बैठक समाप्त कर दूंगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

"Sri Kalyan Chand Mohiley, M.L.A., arrested under section 107/117 Cr. P. C. This morning at 8.45 a.m. and is lodged in Naini Central Jail. Detailed information in prescribed form follows."

श्री कल्याणचन्द मोहिले दफा १०७ और ११७ जाब्ता फौजदारी में आज सुबह ८ बजकर ४५ मिनट पर गिरफ्तार किये गये और वह नैनी सेन्ट्रल जेल में रखे गये हैं और खुलासेवार इस संबंध में सूचना बाद में दी जायगी। यह वायरलेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद से आया है।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
८ सितम्बर, १९५८।

संसद सदस्य सेवा प्रतिष्ठान

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

चोरियां जिनका पता लगा और जिनमें चोरी का माल भी बरामद हुआ।

क्रम-संख्या	वादी का नाम	गिरफ्तार हुए अभियुक्त का नाम	घटना की तारीख
१	श्री मैकू लाल निशाद, सादिया बादी।	त्रिलोकी व अन्य	१९/२०-२-५८
२	श्री रियाउद्दीन, नि० नई बस्ती	मुहम्मद अहमद व अन्य	१-३-५८
३	श्री घनश्यामदास, कटरा, मनोहर दास	हर नासिक	५-३-५८
४	श्री अब्दुल शकूर, नि० बहादुरगंज	हाशिम अली, नि० यहयापुर	२१-३-५८
५	श्री प्राणय कुमार, नि० ईदगाह	रामशरण, दतवारीगंज, झांसी	२५-३-५८
६	श्री सुलेमान, सुल्तानपुर भावा	अब्दुलसत्तारदाम, गढ़ा हरिया	३-५-५८
७	श्री मु० इस्माइल, नाखासकोना	राज नारायन व अन्य	१८-२-५८
८	श्री अब्दुल शकूर, बख्शी बाजार	बाबू, नि० सुल्तानपुर भावा	२३-२-५८
९	श्री सूर्य देव शर्मा, लीडर प्रेस	जगन्नाथ, नि० सुलेमान सराय	२४-२-५८
१०	श्री मु० नबी, नि० नखासकोना	मु० हुसेन, नि० नखासकोना	३/४-३-५८
११	श्री जोगेन्द्र कुमारु, नि० अतरसूया	सुशील कुमार	९-३-५८
१२	श्री मुनव्वर खां, नि० सुल्तानपुर भावा	बासदेव व अन्य	४-३-५८
१३	श्री शिव नारायण नि० मलाका	रामजीत व अन्य	११-३-५८
१४	श्री रंजीत सिंह, नि० उत्तर सूर्या	गफूरान	२८-२-५८
१५	श्री औधपत राय, नि० बादशाही मंडी	जगदीश सिंह, नि० लाखिनपुर	४-४-५८
१६	श्रीमती बिट्टन, नि० लूकरगंज	जानकी	१४-४-५८
१७	श्री जुबेर अहमद, नि० पुरेमुफती	ननकू, नि० रामगढ़	१५-४-५८
१८	करम उल्लाह, नि० नखासकोना	छोटे मियां, नि० नखासकोना	१६-४-५८
१९	श्री प्रतीम सिंह, नि० चौक	विजय कुमार, नि० राची	१७-४-५८
२०	श्री कैलाश बिहारी, नि० अत्तरसूर्या	मुहम्मद हुसेन व अन्य	२७-४-५८
२१	रघुनाथ प्रसाद, गदीवां टोला	अब्दुल रज्जाक	६-५-५८
२२	श्री दीना नाथ भार्गव	निजानउद्दीन, नि० दाराशाह अजमल।	१२-५-५८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे ६८७ पृष्ठ पर)

व्यय किये हुए धन का वितरण

	५६–५७	५७–५८	५८–५९	योग
(१) धोबा बांध	—	७६,८९४	—	७६,८९४
(२) धोबा ड्रेनेज कट	४६,१६०	१,७४,३४६	१,५५१	२,१८,९५५
(३) धोबा सुपर पैसेज तथा संबधित कार्य (धोबा साइफन)	—	८,६९३	७,४८,६९९	७,५७,३९२
(४) डोमा साइफन (साइफन नारायणी के पांचवें मील पर)	—	१,४९,७०६	६,१४५	१,५५,८५१

सिंचाई मंत्री

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'ग'

(देखिय तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९८ पर)

गंगा के किनारे पूर्ण तथा ऊंचे किये गए तथा रिंग बांध द्वारा बनाये गये ग्रामों की सूची

१ पान्डेपुर
२ जनारी
३ दुबहर खुर्द
४ अरन्डा
५ नगवा
६ सियाखुर्द
७ सौरू बांध
८ मोहन छपरा
९ गंगापुर
१० माधवमठ
११ बन्धूचक
१२ धरनीपुर
१३ हरलाल छपरा
१४ किश्नीपुर
१५ भोराछपरा
१६ श्रीनगर
१७ थामनपुरा
१८ बधेजी
१९ गंगहरा
२० चेरूइया
२१ अजोरेपुर
२२ कोट
२३ प्रेमनगर
२४ करन छपरा
२५ बरकाखेत

रिंग बांध द्वारा बचाये गये ग्राम

१ भुलेश्वर
२ भोमपट्टी
३ उग्रसेनपुर
४ बिशुनपुर
५ सारोपर
६ बिसारिकपुर
७ उझौलिया
८ दूमर छपरा
९ सुजानीपुर
१० रपुरा

सिंचाई मंत्री

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

घटना का विवरण

रमजान हिस्ट्री शीटर था और चार बार का सजायाफ्ता था और वह धारा ३७९ भारतीय दंड विधान के अपराध के अन्तर्गत फरार था। २९-७-५८ को थाना बलरामपुर के सब-इन्सपेक्टर श्री ओंकार नाथ नागर ने उसे बलरामपुर के डाकखाने के पास देखा और उसे गिरफ्तार करके दिन के ११ बजकर ४० मिनट पर बलरामपुर के थाने पर लाये। जबकि अभियुक्त थाने पर लाया गया तब उसने बताया कि उसके बुखार और दर्द है। वह बीमार भी मालूम होता था। अतः वह दो कान्सटिबलों के साथ फौरन बलरामपुर के सिविल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डाक्टर ने देखकर उसे आवश्यक औषधि दी। १ बजे दिन को वह थाने पर लाया गया और हवालात में बन्द कर दिया गया। उसे साढ़े तीन बजे शाम की गाड़ी से गोंडा जेल भेजा जाने वाला था। २ बजे दिन को कान्सटिबल जो सन्तरी ड्यूटी पर था उसने देखा कि रमजान हवालात में जमीन पर सीधा पड़ा हुआ था। हवालात खोलने पर यह ज्ञात हुआ कि रमजान मर गया था। डाक्टरी जांच से यह ज्ञात हुआ कि रमजान की स्वाभाविक मृत्यु हुई।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

सूची प्रश्न ६९ का उत्तर

नाम तहसील		१९५६		१९५७		१९५८ (३० जून)	
		आवेदन-पत्रों की संख्या	कितने स्वीकृत हुये	आवेदन-पत्रों की संख्या	कितने स्वीकृत हुए	आवेदन-पत्रों की संख्या	कितने स्वीकृत हुए
१—सगड़ी	..	३	—	७	२	६	१
२—मुहम्मदाबाद	..	१३	३	२३	१३	१२	३
३—लालगंज		३	१	५	३	८	२
४—सदर	..	९	७	४१	१२	२७	११
५—फूलपुर	..	१०	१	४४	१७	१५	२
६—घोसी	..	९	२	३२	१४	२०	३
योग	..	४७	१४	१५२	६१	८८	२२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०४ पर)

अनुसूची संख्या १

अनुसूची नं० १	फसल	दरें रुपयों में प्रति एकड़ तोड़		डाल		छूट ३ आना प्रति रु०
		रु०	आ०	रु०	आ०	
	गन्ना	३२	०	१६	०	
	चावल तरकारियां बाग हर फसल धाटा पोस्ता।	१४	०	७	०	
	तम्बाकू	१६	०	८	०	
	चाय बगीचे और बाड दून नहर के ..	२०	०	१०	०	
	गेहूं जौ और वे फसलें जो गेहूं और जौ के साथ हो	१२	०	६	०	
रोहिन	कपास ..	४	८	२	८	
और						
डांडा	चारे की फसल	३	०	१	८	
नहर	हरी खाद	२	०	१	०	
	अन्य रबी की फसलें	९	०	४	८	
	अन्य खरीफ की फसलें	७	०	३	८	

अनुसूची नं० २	फसल	दरें रुपये में प्रति एकड़ तोड		डाल		छूट ३ आना प्रति रुपया
		रु०	आ०	रु०	आ०	
	गन्ना	१६	०	८	०	
	चावल तरिकारियां बागहरफसल सिंघारा पोस्ता	१०	०	५	०	
	कपास	३	०	१	८	
	तम्बाकू	१२	०	६	०	
नारायणी	गेहूं जौ की फसलें जो गेहूं या जौ के साथ हो।	१०	०	५	०	
नहर						
	चारा	२	०	१	०	
	हरी खाद	२	०	१	०	
	अन्य रबी की फसलें	५	०	२	८	
	अन्य खरीफ की फसलें	५	०	२	८	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में बाढ़ से बचाने के लिये ऊंचे किये गये ग्रामों की तथा जिन पर कार्य प्रगति पर है की तालिका

क्रम-सं०	ऊंचे किये गये गांवों के नाम	क्रम-सं०	गांवों के नाम जिन पर कार्य प्रगति पर है
१	२	३	४
१	जगदीशपुर . .	१	मगरी खुर्द
२	अनुसार . .	२	मंगरी कलां
३	लारपुर . .	३	अराजी अनुसार
४	गजनपुर . .	४	मेन्दहा
५	कशुपुर . .	५	गौरा
६	रावतपुर . .	६	रामानीपुर
७	पटखौली . .	७	मौपटीपुर
८	पिलकिछा . .	८	टिलवारी
९	मेलपुर . .	९	बरसारा
१०	रामनगर . .	१०	सुतौली
११	गुलारा . .	११	दुगूंवा
१२	दान्दुवा . .	१२	मुहम्मदपुर
१३	कछौरा . .	१३	परसादपुर
१४	गोपालपुर . .	१४	बिरामपुर
१५	गोघादा . .	१५	उदयपुर डीपि
१६	अंगली . .	१६	सामनपुर
१७	खानपुर . .	१७	कनकरपुर
१८	लच्छीपट्टी . .	१८	जमन पट्टी
१९	दयालपुर . .	१९	बीरपालपुर
२०	फत्तपुर . .	२०	तहियापुर
२१	दुर्गालीखुर्द . .	२१	सियाराबसी
२२	बलुआ . .	२२	हरसिंहपुर
२३	इकडला . .	२३	अहपुर जाहूंर
२४	दिहोरा . .	२४	खामपुर
२५	देवतली . .	२५	बहरीपुर
२६	करनपुर . .	२६	कस्तूरीपुर
२७	नौरंगाबाद . .	२७	फट्टुपुर
		२८	बाहर
		२९	भटौली
		३०	शाहपुर
		३१	सेमरघहा

सिंचाई मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५७ एल० ए०—१९५८—८४० ।